द्वितीय माला, खण्ड २०—अंक २८

१७ सितम्बर, १९५८ (बुधवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

2nd Lok Sabha

(Fifth Session)

(खण्ड २० में अंक २१ से अंक ३० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

६२ नये पैसे (देश में) ३ शिलिंग (विदेश में)

205(A) LSD

विषय-सूची

(द्वितीय माला, खण्ड २०--अंक २१ से ३०--८ सितम्बर से १९ सितम्बर १९५८)

पृष्ठ

अंक २१ सोमवार, ८ सितम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १००९, १०११ से १०१७ और १०१९ से १०२२ . . . . २४९१--२५१३

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १०१०, १०१८ और १०२३ से १०५४ . २५१३--२७

अतारांकित प्रश्न संख्या १६३२ से १६९६ . . . २५२७--५३

स्थगन प्रस्ताव--

उत्तर प्रदेश में कथित खाद्य संकट . . . २५५३--५९

दो सदस्यों की गिरफ्तारी २५५९

दो सदस्यों को सजा २५५९-६०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र २५६०

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . . २५६०

तारांकित प्रश्न संख्या ८० के उत्तर की शुद्धि . . २५६१

उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) विधेयक--पुरःस्थापित २५६१

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम (पद उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार) विधेयक--पुरःस्थापित २५६२

सरकारी भूगृहादि (अनधिकृत कब्जाधारियों का निष्कासन) विधेयक राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . २५६२--९७

खण्ड २ और ३ . . . . . २५८९--९७

खाद्य स्थिति पर विचार करने के लिये अनौपचारिक बैठक के सम्बन्ध में वक्तव्य २५९७--२६००

दैनिक संक्षेपिका २६०१--०६

पृष्ठ

अंक २२—मंगलवार, ६ सितम्बर, १६५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०५५, १०५६, १०५८, १०५६, १०६१, १०६३, १०६५, १०६७ से १०६६, १०७१ से १०७४, १०७६, १०७८ और १०७६ . . . . . २६०७—३१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८ . . . . २६३१—३३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०५७, १०६०, १०६२, १०६४, १०६६, १०७०, १०७५, १०७७, १०८० से १०८६ और ५६५ . . २६३३—४१

अतारांकित प्रश्न संख्या १६६७ से १७५५ . . . २६४१—६८

स्थगन प्रस्ताव—

उत्तर प्रदेश विधान सभा में शान्ति स्थापित करने के लिये सशस्त्र सिपाहियों का बुलाया जाना . . . . २६६८—७४

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . २६७४—७६

श्री शि० ला० सक्सेना द्वारा वक्तव्य २६७५

राज्य सभा से सन्देश २६७६

लोक लेखा समिति—

६वीं रिपोर्ट २६७६

सरकारी भूगृहादि (अनधिकृत कब्जाधारियों का निष्कासन) विधेयक—

खण्ड ४ से १४ और १ . . . . . . २६७७—६५

पारित करने के लिये प्रस्ताव . . . २६६४—६५

केरल तथा मद्रास राज्य में विषाक्त खाद्यपदार्थों से हुई घटनाओं के बारे मे प्रस्ताव . . . . . . २६६५—२७०४

दैनिक संक्षेपिका . . . २७०५—०६

अंक २३—बुधवार, १० सितम्बर, १६५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०६० से ११०० और ११०३ से ११०८ २७११—३४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११०१, ११०२, ११०६ से ११३७, ६३१ और ६७४ . . . . . . २७३४—४६

अतारांकित प्रश्न संख्या १७५६ से १८१४ और १८१६ से १८३० २७४६—८१

पृष्ठ

सदस्य द्वारा पद-त्याग २७८१

स्थगन प्रस्ताव के बारे में—

उत्तर प्रदेश विधान सभा के सत्र में विरोधी दल के सदस्यों द्वारा भाग न लिया जाना . . . . २७८१—८४, २७८५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

छब्बीसवां प्रतिवेदन . . २७८४

भारतीय चिकित्सा परिषद् (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . २७८६—९५

खण्ड २ और १ . . २७९३–९४

पारित करने का प्रस्ताव . २७९५

दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . २७९५—२८०५

पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के बारे में चर्चा २८०६—१६

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक—

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन . . २०१६

कार्य मंत्रणा समिति—

उनतीसवां प्रतिवेदन . . २८१६

दैनिक संक्षेपिका . . २८१७—२१

अंक २४—गुरुवार, ११ सितम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११४० से ११४५, ११४७, ११५०, ११८३, ११५१ से ११५४, ११५६ से ११५९, ११६२ से ११६४, ११६६, ११६८, ११६९, ११७१ और ११७२ . . . . २८२३—४८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११३८, ११३९, ११४६, ११४८, ११४९, ११५५, ११६०, ११६१, ११६५, ११६७, ११७०, ११७३ से ११८२ और ११८४ . . . . . . २८४९—५९

अतारांकित प्रश्न संख्या १८३१ से १९०३, १९०५ से १९१३ और १९१५ से १९१८ . . . . . २८५९—९२

	पृष्ठ
स्थगन प्रस्ताव के बारे में प्रश्न . . .	२८९२
सभा-पटल पर रखे गये पत्र .	२८९२–९३
राज्य-सभा से सन्देश . . .	२८९३
याचिका का उपस्थापन	२८९३
पठानकोट में गोला-बारूद की पेटियों में विस्फोट के बारे में वक्तव्य .	२८९३–९४
कार्य मंत्रणा समिति—	
उनतीसवां प्रतिवेदन .	२८९५
दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक—	
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव .	२८९५—२९३२
दैनिक संक्षेपिका . . .	२९३३—३९
अंक २५—शुक्रवार, १२ सितम्बर, १९५८	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ११८५ से ११८८, ११९० से ११९६, ११९८ से १२०३, १२०७ और १२०८ . . .	२९४१—६६
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ९ और १० .	२९६६—७०
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ११८९, ११९७, १२०४ से १२०६ और १२०९ से १२२२	२९७०—७७
अतारांकित प्रश्न संख्या १९१९ से १९७२ और १९७४ से १९९९	२९७७—३०१०
सरदार सम्पूर्ण सिंह का निधन	३०१०
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	३०१०–११
राज्य सभा से सन्देश	३०११
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
भारत तथा पाकिस्तान के प्रधान मंत्रियों के बीच हुई बातचीत के परिणाम .	३०११—१६
तारांकित प्रश्न संख्या ९१३ के उत्तर की शुद्धि .	३०१६–१७
तारांकित प्रश्न संख्या २३२ के उत्तर की शुद्धि . .	३०१७
सभा का कार्य . .	३०१७
तेल की खोज के बारे में वक्तव्य . .	३०१८
समिति के लिये निर्वाचन—	
प्राक्कलन समिति . .	३०१८–१९

पृष्ठ

उच्चन्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक—
पुरःस्थापित . . ३०१९
दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक—
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . ३०१९—२५
वाणिज्यिक नौवहन विधेयक—
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ३०२५—३१
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—
छब्बीसवां प्रतिवेदन . ३०३१—३२
राष्ट्रीय भारतीय युवक परिषद् बनाने के बारे में संकल्प—
वापिस लिया गया ३०३२—३४
कुछ न्यायाधिकरणों को उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार से हटाने के बारे में संकल्प—
अस्वीकृत . . . . . ३०३५—४८
उड़ीसा, मध्यप्रदेश तथा बिहार राज्यों के बीच सीमा संबंधी झगड़ों का निर्णय करने के लिये एक आयोग की स्थापना के बारे में संकल्प . . ३०४८
दैनिक संक्षेपिका . . ३०४९—५५

अंक २६—सोमवार, १५ सितम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या १२२३ से १२२५, १२२७, १२२८, १२३०, १२३२ से १२३५, १२३७ से १२४१, १२४३ से १२४८ और १२५३ . ३०५७—८३
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ११ और १२ ३०८३—८६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या १२२६, १२२९, १२३१, १२३६, १२४२, १२४९ से १२५२ और १२५४ से १२६३ . . . ३०८६—९४
अतारांकित प्रश्न संख्या २००० से २०८९ . ३०९५—३१३२
स्थगन प्रस्ताव—
किमाय और माट्सू द्वीप के संबंध में वाशिंगटन में वित्त मंत्री का वक्तव्य . . . . ३१३२—३५
स्थगन प्रस्ताव के बारे में ३१३६—३८
सभा-पटल पर रखे गये पत्र . ३१३८—३९
राज्य-सभा से सन्देश ३१३९

पृष्ठ

एक सदस्य को गिरफ्तारी तथा सजा . . . ३१३९

एक सदस्य की गिरफ्तारी ३१३९

वाणिज्यिक नौवहन विधेयक——

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—— ३१३९——५४

गन्दी बस्तियाँ हटाने के बारे में मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन के संबंध में चर्चा ३१५४——७७

दैनिक संक्षेपिका ३१७८——८४

अंक २७——मंगलवार, १६ सितम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर——

तारांकित प्रश्न संख्या १२६५ से १२६७, १२६९, १२७१ से १२७६, १२७८ से १२८१, १२८३, १२८४, १२८७ और १२८८ . ३१८५——३२०९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १३ ३२०९——११

प्रश्नों के लिखित उत्तर——

तारांकित प्रश्न संख्या १२,६४, १२६८, १२७०, १२७७, १२८२, १२८५, १२८६, और १२८९ से १३०५ . ३२११——२०

अतारांकित प्रश्न संख्या २०९० से २१७६ ३२२०——५३

दो सदस्यों की गिरफ्तारी . ३२५३

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ३२५४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना——

बीमा एजेन्टों को दिये जाने वाले कमीशन में कमी ३२५५–५६

वाणिज्यक नौवहन विधेयक——

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ३२५६——९५

दैनिक संक्षेपिका ३२९६——३३०२

अंक २८——बुधवार, १७ सितम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर——

तारांकित प्रश्न संख्या १३०६ से १३१०, १३१२, १३१५ से १३१७, १३२१ से १३२८ और १३३० . . . . ३३०३——२९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १४ . ३३३०–३१

प्रश्नों के लिखित उत्तर ——

तारांकित प्रश्न संख्या १३११, १३१३, १३१४, १३१८ से १३२०, १३२९ और १३३१ से १३४९ . . . . ३३३१——४१

पृष्ठ

अतारांकित प्रश्न संख्या २१७७ से २२६३ ३३४१—७९

स्थगन प्रस्ताव के बारे में ३३७९—८०

जानकारी का प्रश्न ३३८०

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३३८०—८१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

सत्ताईसवां प्रतिवेदन . ३३८१

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

उड़ीसा राज्य के कालाहांडी जिले में हैजे का प्रकोप ३३८१

विष (संशोधन) विधेयक—

पुरस्थापित . ३३८१—८२

वाणिज्यिक नौवहन विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार .

खण्ड २ से २०, २२ से १००, १०२ से १४६, २१, १०१, १०३ से ४६१, अनुसूची और खंड १ . ३३८२—३४१६

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . ३४१३—१६

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मूल्यांकन तथा उसकी संभावनाओं के बारे में प्रस्ताव . ३४१६—२८

दैनिक संक्षेपिका . ३४२९—३४

अंक २९—गुरुवार, १८ सितम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३५०, १३५१, १३५४, १३५६ से १३६५ और १३६७ . . . ३४३५—५७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३५२, १३५३, १३५५, १३६६, १३६८ से १३७९ और १३८१ से १३९५ . . ३४५७—६९

अतारांकित प्रश्न संख्या २२६४ से २३७६ ३४६९—३५१९

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ३५२०

एक सदस्य का अपराधी ठहराया जाना . . . ३५२१

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मूल्यांकन तथा उसकी संभावनाओं के बारे में प्रस्ताव . ३५२१—६१

दैनिक संक्षेपिका . . . . ३५६२—६९

अंक ३०—शुक्रवार, १९ सितम्बर, १९५८

	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १३९६, १३९८ से १४००, १४०२, १४०४, १४०५, १४०८, १४०९, १४११, १४१२ और १४१४ .	३५७१—९५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १३९७, १४०१, १४०३, १४०७, १४१०, १४१३ और १४१५ से १४२६ .	३५९५—३६०१
अतारांकित प्रश्न संख्या २३७७ से २४३६	३६०२—२६
डा० भगवान दास का निधन	३६२६—३०
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३६३०—३१
राज्य सभा से सन्देश	३६३१
सभा का कार्य . .	३६३१–३२
समितियों के लिये निर्वाचन .	३६३२–३३
१. प्राक्कलन समिति; और	
२. लोक लेखा समिति ?	
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—	
पुरःस्थापित	३६३३
द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मूल्यांकन तथा उसकी संभावनाओं के बारे में प्रस्ताव . . .	३६३३—४७
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
सत्ताइसवां प्रतिवेदन	३६४७
अयोग्य व्यक्ति बन्ध्यीकरण विधेयक—	
पुरःस्थापित .	३६४८
छावनी (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	३६४८—५९
समवाय (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव .	३६५९—६३
कार्य मंत्रणा समिति—	
तीसवां प्रतिवेदन . . .	३६६३
सामाजिक सुरक्षा योजना के बारे में आधे घण्टे की चर्चा .	३६६३
दैनिक संक्षेपिका	३६६४—७०

नोटः— मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

बुधवार, १७ सितम्बर, १९५८

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

चिलियन नाइट्रेट का आयात

†*१३०६. **श्री वि० च० शुक्ल :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वह ठीक-ठीक कौन सा कारण है जिसकी वजह से भारत के राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड ने चिलियन नाइट्रेट का आयात अपने हाथ में ले लिया ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) :** लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

चिलियन नाइट्रेट का आयात चिली सरकार के साथ हुए एक करार की शर्तों के अधीन सरकारी हिसाब में किया जा रहा है । इस करार के अनुसार चिली से अक्तूबर, १९५९ में खतम होने वाले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष में ६०,००० टन का आयात किया जायगा । इसका वितरण सुनिश्चित जरियों से कुछ निश्चित उपभोक्ताओं को किया जाता है ताकि आयात किये गये चिलियन नाइट्रेट का अच्छे से अच्छा उपयोग किया जा सके । इकट्ठे खरीदने और इकट्ठे मंगाने में होनेवाली बचत को और इस उर्वरक के आयात के साथ भारतीय वस्तुओं के निर्यात को जोड़ देने की सम्भावनाओं को ध्यान में रखते हुये चिलियन नाइट्रेट का आयात राज्य व्यापार निगम को सौंप दिया गया है ।

†**श्री वि० च० शुक्ल :** राज्य व्यापार निगम द्वारा आयात अपने हाथ में लेने से पहले कितने आयात करने वाले चिलियन नाइट्रेट का आयात करते थे और इस बात का ठीक-ठीक कारण क्या है कि राज्य व्यापार निगम ने केवल रैलीज़ (इंडिया) के जरिये से इसका आयात कराने का निश्चय किया है ?

†**श्री कानूनगो :** चिली के सोडियम नाइट्रेट का आयात कई वर्षों से बन्द था और जब चिली की सरकार ने हमारी सरकार से इसका कुछ आयात करने का अनुरोध किया तो यह समझौता

†मूल अंग्रेजी में

चिली की सरकार और भारत सरकार के बीच हुआ। राज्य व्यापार निगम को इसका आयात करने के लिये चुना गया और रैलीज को वितरण-एजेंट नियुक्त किया गया क्योंकि उनका अपना संगठन पहले से ही मौजूद है, इस वस्तु-विशेष के सम्बन्ध में उन्हें अनुभव प्राप्त है और कृषि मंत्रालय ने भी हमें यही राय दी थी।

†**श्री वि० च० शुक्ल :** मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न के पहले अंश का उत्तर नहीं दिया। रैलीज (भारत) को छोड़ कर और कितने आयात करने वाले थे ?

†**श्री कानूनगो :** मैं बता चुका हूं कि चिलियन नाइट्रेट के आयात पर कई वर्षों से, जिनमें युद्धकाल भी शामिल है, प्रतिबन्ध था।

†**श्री मुरारका :** वह मार्ग दर्शक सिद्धांत कौन कौन से हैं जिनके आधार पर कुछ वस्तुओं का आयात और निर्यात राज्य व्यापार निगम अपने हाथ में ले लेता है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह एक सामान्य प्रश्न है। माननीय सदस्य राज्य व्यापार निगम से ही यह जानकारी देने को कह सकते हैं। संसद् के सभी सदस्य, देश की समस्त जनता इन में से प्रत्येक संगठन के अंशधारियों के समान हैं। इसलिये माननीय सदस्यों को मेरी राय है कि ऐसे सभी मामलों में पहले उन्हें सम्बंधित संगठनों से ही तथ्य मालूम कर लेने चाहियें।

†**श्री रंगा :** हम राज्य व्यापार निगम के पास कैसे जा सकते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या वह राज्य व्यापार निगम को यह नहीं लिख सकते कि वह किसी विशेष वस्तु का आयात अथवा निर्यात गैर-सरकारी व्यवसायियों से अपने हाथ में ले लेने के विशेषाधिकार का प्रयोग किस प्रकार उपयोग करते हैं, किन परिस्थितियों में वह इन्हें अपने हाथ में ले सकते हैं; इस वस्तु का मूल्य, परिमाण क्या है और वह किस प्रकार की है, ? क्या वह यहां प्रश्न पूछने से पहले उनसे यह- बात नहीं पूछ सकते ?

†**श्री विमल घोष :** हम सीधे निगमों के पास जायें या मंत्रालय के जरिये से।

†**अध्यक्ष महोदय :** श्री मोरार जी देसाई और प्रधान मंत्री ने मेरे साथ इस बारे में चर्चा की थी कि राज्य व्यापार निगम सम्बन्धी व्यौरेवार प्रश्नों के बारे में क्या किया जाना चाहिये। उसके बाद मैंने एक आफिस आर्डर निकाला था कि जिन मामलों में मंत्री निगम के विधान के अधीन उत्तरदायी हों उन सभी के सम्बन्ध में प्रश्न यहां पूछे जा सकते हैं। अत्यधिक महत्ववाले अन्य मामलों के बारे में, चाहे वह बहुत व्यौरे की बातों से भी सम्बन्धित हों, जैसे ४ करोड़ के मूल्य के ६ लाख टन का ठेका एक ही व्यक्ति को देने का मामला था, मैं ऐसे प्रश्नों को यहां पूछने की अनुमति दे दूंगा। व्यौरे की अन्य बातों के बारे में माननीय सदस्य सदैव ही मैनेजिंग डाइरेक्टर को लिख कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उनको यह कहने का अधिकार है बहुत अधिक व्यौरे की या प्रबन्ध के हित में न होने के कारण मांगी गयी जानकारी देना सम्भव नहीं है।

मैंने जो आफिस आर्डर निकाला है वह इंगलैंड की एक प्रथा के अनुसार है जिसमें पार्लियामेंट की सभाओं ने इन सभी मामलों पर विचार करने के लिये एक समिति नियुक्त कर दी है। उन्हीं लोगों का कहना है कि पार्लियामेंट के जरिये जानकारी मांगने के बजाय सदस्यगण सीधे लिख कर जानकारी मांग सकते हैं और यदि वह जानकारी देना संभव हुआ तो वह अवश्य दे दी जायगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

माननीय सदस्यों को इसको उससे कुछ भी भिन्न नहीं समझना चाहिये। ऐसे सभी मामलों में जिनमें ये संगठन यह समझें कि मांगी गयी जानकारी दी जा सकती है, वह दे देंगे। जिन मामलों में माननीय सदस्य यह समझें कि वह बहुत महत्त्वपूर्ण हैं, और सम्बधित संगठन उनके बारे में जानकारी देना नहीं चाहते, वे मुझे लिख सकते हैं और मैं उस की जांच करूंगा।

†**श्री वि० च० शुक्ल** : राज्य व्यापार निगम के सहयोगियों द्वारा सीधे चिलियन नाइट्रेट का आयात किये जाने से उपभोक्ताओं के लिये क्या अंतर पड़ेगा ?

†**श्री कानूनगो** : भारत सरकार के कृषि मंत्रालय की नीति यह है कि चिलियन नाइट्रेट का उपयोग कृषि के एक विशेष क्षेत्र में किया जाय और इसे जो मांगे उसी को न बेच दिया जाय ।

†**श्री वि० च० शुक्ल** : मैंने यह पूछा था कि इसमें उपभोक्ताओं के लिये क्या अन्तर पड़ेगा ?

†**श्री तंगामणि** : विवरण से पता चलता है कि चिलियन नाइट्रेट का आयात राज्य व्यापार निगम के जरिये से होता है और वितरण विशिष्ट और चुने हुये उपभोक्ताओं में होता है। चिलियन नाइट्रेट का खुदरा मूल्य कितना है और आयात-मूल्य की तुलना में यह कितना बैठता है ?

†**श्री कानूनगो** : खुदरा भाव तो मेरे पास नहीं है लेकिन हम जो रेल पर्यन्त निःशुल्क थोक-भाव देते हैं वह ३३० रुपये प्रति टन है ।

†**श्री बोस** : चिलियन नाइट्रेट का आयात किन कारणों से बन्द कर दिया गया था और अब कौन सा लाभ होगा जो इसका आयात पुनः किया जा रहा है ?

†**श्री कानूनगो** : मैं बता चुका हूं कि विदेशी मुद्राओं की कमी के कारण चिलियन नाइट्रेट का आयात बन्द कर दिया गया था । इसके अलावा आरम्भिक युद्धोत्तर काल में सभी खादों की आम तौर पर कमी थी और एक अन्तर्राष्ट्रीय संग्रह था जिसमें से भारत सरकार अपने सभी प्रकार के उर्वरक लेती थी और चिलियन नाइट्रेट में नाइट्रेट की मात्रा कम होने के कारण इसे आयात के लिये अधिक प्राथमिकता नहीं दी गयी ।

†**श्री वि० च० शुक्ल** : १६५६ के बाद से चिलियन नाइट्रेट का आयात किया जा रहा है और विवरण में कहा गया है कि इसका आयात कुछ तो बचत के ख्याल से और कुछ चिली को हमारे निर्यात से जोड़ देने के कारण किया जा रहा है। इससे क्या बचत हुई है और इसके बदले में हम चिली को किन-किन वस्तुओं का निर्यात कर रहे हैं ?

†श्री कानूनगो : एक मुश्त खरीद कर हमने भाड़े में २५ प्रतिशत की बचत की है ।

श्री वें० प० नायर उठे —

†**अध्यक्ष महोदय** : हम अगला प्रश्न लेंगे। हम एक ही प्रश्न पर सारा समय नहीं लगा सकते। आज ४४ प्रश्न हैं ।

†**श्री तंगामणि** : यह बड़ा ही महत्वपूर्ण उर्वरक है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति । हम अगला प्रश्न लेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

डालमिया दादरी सीमेन्ट लिमिटेड

†*१३०७. **श्री राम कृष्ण** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २२ अप्रैल, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १७५८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समवाय अधिनियम की धारा २४७ के अधीन चरखी दादरी की डालमिया दादरी सीमेन्ट फैक्टरी के खिलाफ जो जांच की गयी थी, उसके क्या परिणाम हुये ;

(ख) क्या उक्त अधिनियम की धारा २३७ (ख) के अधीन जांच पूरी हो गयी है; और

(ग) यदि हां, तो उस जांच के क्या परिणाम निकले हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) धारा २४७ के अधीन इन्सपेक्टरों के प्रतिवेदन में अन्य बातों के साथ-साथ यह बताया गया है कि वित्तीय दृष्टि से एक व्यक्ति को कम्पनी की सफलता या असफलता में दिलचस्पी थी और वह इस स्थिति में था कि वह कम्पनी की नीतियों पर महत्वपूर्ण असर डाल सकता था और उन्हें नियंत्रित कर सकता था। इस प्रतिवेदन से समवाय अधिनियम के उपबन्धों के प्रत्यक्षतः उल्लंघन के कुछ मामले भी प्रकट हुये हैं, और इन की जांच की जा रही है।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री राम कृष्ण** : इस उपपत्ति को ध्यान में रखते हुये क्या सेठ राम कृष्ण डालमिया के खिलाफ कुछ कार्यवाही की गयी है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : धारा २४७ के अधीन प्रतिवेदन पूरा हो गया है और एक मुकद्मा आरम्भ किया गया है ।

†**श्री राम कृष्ण** : इसका बात को ध्यान में रखते हुये कि इस कम्पनी ने प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी के रूप में अपना स्वरूप बदल लिया है क्या इसका कम्पनी के खिलाफ़ की जाने वाली कार्यवाही पर कोई असर पड़ेगा ?

†**श्री सतीशचन्द्र** : माननीय सदस्य यह प्रश्न कई बार पूछ चुके हैं और उतनी ही बार उसका जवाब दिया जा चुका है कि सरकार के पास इस तरह की कोई शक्ति नहीं है जो एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी को प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी के रूप में परिवर्तित करने के खिलाफ़ कोई कार्यवाही कर सके। लेकिन यदि अंशधारियों में से १० प्रतिशत से अधिक यह चाहें तो मामले को अदालत में ले जा सकते हैं ।

†**श्री फिरोज गांधी** : क्या सरकार यह प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखेगी और क्या इस कम्पनी का मामला उस जांच आयोग के सामने रखा जायगा जिसे सरकार ने डालमिया जैन प्रतिष्ठानों के कार्यकलाप के ढंगों की जांच के लिये नियुक्त किया है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : सरकार आयोग की पहली ही बैठक में यह प्रश्न उठायेगी ......

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री **फिरोज़ गांधी :** डालमिया दादरी सीमेंट लिमिटेड के बारे में ?

†श्री **सतीशचन्द्र :** जी हां। डालमिया दादरी के बारे में। और मैं आयोग से अनुरोध करूंगा कि वह इसे भी शामिल कर लें और डालमिया समूह के अन्य उद्योगों के साथ इसकी भी जांच करे। सरकार इस प्रतिवेदन को प्रकाशित करना चाहती है लेकिन उस सम्बन्ध में वह आयोग की भी राय ले लेना चाहती है क्योंकि आयोग इस कम्पनी के बारे में जांच करेगा।

†श्री **फिरोज़ गांधी :** हमें यह तो पता नहीं है कि इस आयोग की बैठकें गुप्त होंगी या सार्वजनिक रूप से होंगी, लेकिन हम यह जानना चाहते हैं कि क्या यह प्रतिवेदन संसद् को उपलब्ध किया जायगा।

†**अध्यक्ष महोदय :** वह उसे यहां रखने से इस बारे में आयोग की राय ले लेना चाहते हैं कि यहां पटल पर रखना चाहिये या नहीं।

यूरोपीय सामान्य विपणि योजना[1]

+

†*१३०८. { **श्रीमती इलापाल चौधरी :**
श्री तंगामणि :
सरदार इकबाल सिंह : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ५ दिसम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ८१७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय सामान्य विपणि योजना तब से चालू कर दी गयी है; और

(ख) यदि हां, तो भारत के व्यवसाय पर उसका क्या प्रभाव पड़ा है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) इस योजना का संचालन करने वाली एक संधि तो लागू हो चुकी है लेकिन पता चला है कि तृतीय पक्ष के देशों के व्यवसाय को प्रभावित करने वाली अभी कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

(ख) यह प्रश्न अभी नहीं उठता।

†**श्रीमती इला पाल चौधरी :** इस सम्मेलन में हमारे जिस सचिव ने भाग लिया था उसने इस सामान्य विपणि योजना के लागू होने की स्थिति में भारत के बचाव के सम्बन्ध में जो नया फार्मूला निकाला है, वह क्या है ?

†**श्री कानूनगो :** मैं बता चुका हूं कि कार्यवाही अभी चालू नहीं हुई है। जहां तक तृतीय पक्ष के देशों का सम्बन्ध है, क्योंकि प्रायः सभी देश व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य समझौते के सदस्य हैं इसलिये इस समझौते से युक्त करने के सम्बन्ध में चर्चा शुरू होगी। यह अभी तक शुरू नहीं हुई है।

†**श्री तंगामणि :** सामान्य विपणि योजना का भारत जैसे और राष्ट्रमण्डल के अन्य देशों पर जो प्रभाव पड़ेगा क्या उसके बारे में १५ तारीख के बाद से होने वाले राष्ट्रमण्डल व्यापार तथा आर्थिक सम्मेलन में चर्चा की जायगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]European Common Market Scheme.

†श्री कानूनगो : जी हां, राष्ट्रमण्डल सम्मेलन में इस पर अनौपचारिक रूप से चर्चा की जायगी ।

†श्री तंगामणि : ५ दिसम्बर को एक तारांकित प्रश्न के उत्तर में बताया गया था कि छः देशों ने इस योजना पर हस्ताक्षर कर दिये हैं । क्या उनकी संख्या छः ही है या कुछ अन्य देश और इसमें शामिल हो गये हैं ?

†श्री कानूनगो : जी नहीं, इन्हीं छः देशों ने इस व्यापार के सम्बन्ध में हस्ताक्षर किये हैं ।

†श्री न० रा० मुनिस्वामी : क्या भारत सरकार को किसी एशियाई देश का यह प्रस्ताव मिला है कि योरोपीय सामान्य विपणि योजना की तरह की सामान्य विपणि योजना में उन्हें भी शामिल कर लिया जाय ?

†श्री कानूनगो : इसी विषय पर एक दूसरा प्रश्न और है ।

†श्री रामनाथन् चेट्टियार : क्या भारत के इस योजना में शामिल होने का व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य समझौते की हमारी सदस्यता पर कुछ प्रभाव पड़ेगा ?

†श्री कानूनगो : हमें किसी ने शामिल होने के लिये आमंत्रित नहीं किया है और न हम इसमें शामिल होना चाहते हैं ।

†श्री तंगामणि : वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के हमारे विशेष सचिव, श्री झा ने जो योजना या फार्मूला बनाया है क्या उसे सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

†श्री कानूनगो : अभी कोई फार्मूला नहीं निकला है ।

इमारती सामान

†*१३०९. श्री वें० प० नायर : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्माण-कार्यों के प्रयोजन के लिये भारत सरकार की सीमेंट की खपत १९५७–५८ में पिछले वर्ष की अपेक्षा बढ़ गयी थी ;

(ख) यदि हां, तो कितनी ; और

(ग) १९५७–५८ में पिछले वर्ष की तुलना में भारत सरकार के लिये कुल कितने मूल्य की सीमेंट खरीदी गई थी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) राजकीय निगमों, कम्पनियों और नदी घाटी परियोजनाओं को दी गई सीमेंट को छोड़ कर, जिसके आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं, निर्माण कार्यों के प्रयोजन के लिये भारत सरकार की सीमेंट की खपत १९५७–५८ में पिछले वर्ष की अपेक्षा घट गई है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा, जो मुख्य रूप से भारत सरकार के निर्माण कार्यों के लिये उत्तरदायी हैं, द्वारा उठायी गई सीमेंट का परिमाण और कीमत इस प्रकार है :

	परिमाण	कीमत
	टन	लाख रुपये
१९५६–५७	७,९२,०००	८०५
१९५७–५८	६,९३,०००	८१४

†**श्री वें० प० नायर :** १९५७–५८ में सरकार के कार्यों के लिये, विशेष रूप से तीन मंत्रालयों के लिये लगभग १००,००० टन सीमेंट कम उठायी गई थी। इसका क्या कारण है ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** मैं समझ नहीं सका।

†**श्री वें० प० नायर :** विवरण से पता चलता है कि १९५७–५८ में सरकारी प्रयोजनों के लिये केवल ६.९३ लाख टन सीमेंट ली गई थी। जब कि उससे पिछले वर्ष में ७.९२ लाख टन ली गई थी। १९५७–५८ में लगभग १००,००० की कमी हुई है। यह क्यों है ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** यह निर्माण-कार्य कम होने या सरकार द्वारा भवनों का निर्माण कम होने के कारण होगा।

†**श्री वें० प० नायर :** इस वर्ष पिछले वर्ष की अपेक्षा १००,००० टन कम ली गई है फिर भी कीमत लगभग ९ लाख रुपये अधिक है। यह क्यों है ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** सीमेंट के उत्पादन शुल्क में १५ रुपये प्रति टन की वृद्धि कर दी गई थी और सीमेंट का भाव भी १५ रुपये प्रतिटन चढ़ गया था—वही यहां बढ़ गया है।

†**श्री वें० प० नायर :** प्रकाशित संतुलन-पत्रों से पता चलता है कि असोसियेटेड सीमेंट कम्पनी का, जो ५० प्रतिशत उत्पादन पर नियंत्रण रखती है और १०.१२ करोड़ रुपये की पेड-अप पूंजी में से १०२ करोड़ की पूंजी जिसके हाथ में है, मुनाफ़ा १९५६–५७ में २.५७ करोड़ बढ़ गया है। इसलिये सीमेंट का अधिक मूल्य देने की क्या जरूरत थी ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** प्रशुल्क आयोग ने हाल ही में इस मामले की जांच की थी और मैं माननीय सदस्य का ध्यान आयोग के प्रतिवेदन की ओर आकृष्ट करता हूं।

भारत का राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड

†*१३१०. **श्री त्यागी :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड को १९५६–५७, १९५७–५८ और १९५८–५९ में लौह अयस्क का कितना कोटा निर्यात करने की अनुमति दी गई है ;

(ख) १९५७–५८ में राज्य व्यापार निगम ने खनिज व्यापार से कुल कितना लाभ कमाया ; और

(ग) यदि राज्य व्यापार निगम को आय और निगम कर सरकार को देना पड़ता तो उसका वास्तविक लाभ कितना रह जाता ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क)

मैंगनीज़ अयस्क—	टन
१९५६–५७ . . .	३,९०,०५९
१९५७–५८ . . .	१०,२१,७५३
१९५८–५९ . . .	७,९५,७६० (अस्थायी)

लौह अयस्क—राज्य व्यापार निगम को १९५६–५७ में ६,०२,३८८ टन कोटा स्वीकृत किया गया था। १ जुलाई, १९५७ से ही राज्य व्यापार निगम के द्वारा लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है।

(ख) १९५६–५७ में राज्य व्यापार निगम को खनिज से जो सकल लाभ हुआ वह निगम के १९५६–५७ के वार्षिक प्रतिवेदन में दिया गया है, जो सभा-पटल पर रखा गया था। १९५७–५८ के हानि-लाभ लेखे का अभी संकलन किया जा रहा है, जो निगम के वार्षिक प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जायेगा, जो यथा समय सभा-पटल पर रखा जायेगा।

(ग) राज्य व्यापार निगम को आय-कर और निगम-कर देना पड़ता है।

†**श्री रंगा :** क्या यह सच है कि लौह अयस्क के निर्यात पर राज्य व्यापार निगम का एकाधिकार है ?

†**श्री कानूनगो :** जी हां।

†**श्री वि० चं० शुक्ल :** १९५६–५७ में राज्य व्यापार निगम को खनिज जितना सकल लाभ हुआ उसमें कितने प्रतिशत वह कमीशन शामिल है जो उसने उन निर्यातकों से कमाया है जिन्होंने खनिजों का निर्यात राज्य व्यापार निगम के द्वारा किया था ?

†**अध्यक्ष महोदय :** एक प्रतिवेदन पटल पर रखा गया था।

†**श्री वि० च० शुक्ल :** यह जानकारी उसमें नहीं दी गई है।

†**अध्यक्ष महोदय :** हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। क्या वह तत्काल ही बताई जा सकती है ?

†**श्री कानूनगो :** मेरे पास जो कमीशन उन्होंने दिया उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। किन्तु जहां तक मुझे स्मरण है, वह कोई कमीशन नहीं लेता है।

†**श्री च० द० पांडे :** क्या सरकार ने इसका कोई हिसाब लगाया कि यदि इस प्रकार का इतना ही व्यापार गैर-सरकारी कम्पनी द्वारा किया गया होता, तो इस पर कितना लाभ होता और उस पर कितना आय-कर लगता ?

†**श्री कानूनगो :** मैं आय-कर का हिसाब तो नहीं लगा सकता किन्तु ऐसा करने से राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था को कम से कम ३० करोड़ रुपये की शुद्ध हानि अवश्य होती।

†**श्री अन्सार हरवानी :** क्या यह सच नहीं है कि जब से निर्यात का एकाधिकार राज्य व्यापार निगम को मिला है तब से देश की अनेक खानें बन्द हो गई हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** हमें समाचार मिला है कि कुछ खानें बन्द हो गई हैं किन्तु उनका अयस्क घटिया किस्म का है, जिसकी सामान्यत: विदेशों को आवश्यकता नहीं रहती । अत: घटिया किस्म के अयस्क का निर्यात नहीं किया जा सकता ।

दूसरा कारण यह है कि मन्दी आ गई है और विशेषकर अमरीका में जिसका प्रभाव अन्य देशों पर भी पड़ा है । इस कारण निर्यात और भी कम हो गया है ।

तीसरी बात सामान्य रूप से मैं यह बताना चाहूंगा जिसका आपने अभी उल्लेख किया है कि राज्य-व्यापार निगम बन गया है और चलेगा भी । जहां तक मुझे ज्ञात है कि सदन ने सामान्य रूप से राज्य व्यापार निगम के निर्माण के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया है और राज्य की ओर से कुछ व्यापार भी किया जाना चाहिये । राज्य व्यापार निगम ने कई अच्छे काम कर दिखाये हैं । उदाहरण के लिये अब सीमेंट का मूल्य सभी स्थानों पर समान है । राज्य व्यापार निगम की स्थापना होने से पूर्व आसाम को सीमेंट का अत्यधिक मूल्य देना पड़ता था, जब कि उसने देश के प्रत्येक भाग में समान मूल्य स्थापित कर दिया है ।

लौह अयस्क के यातायात और खनिज के मालिकों के सम्बन्ध में मुझे उस समय का कुछ अनुभव है जब कि मैं रेलवे का प्रभारी था । खनिज के मालिकों तथा जहाज़ मालिकों के बारे में अगणित कठिनाइयां उठानी पड़ती थीं । राज्य व्यापार निगम ने यातायात का कहीं अच्छा संगठन कर दिया है जिससे काफी बचत भी हुई है ।

अन्त में मैं माननीय सदस्यों के सुझावों का स्वागत करता हूं क्योंकि ज्योंही राज्य व्यापार निगम सम्बन्धी कोई प्रश्न आता है, अनेक सदस्य उसके विषय में प्रश्न पूछने के लिये उठ खड़े होते हैं ।

†**श्री रंगा :** क्योंकि बहुत सी चीजें हो रही हैं और हम चाहेंगे कि इन सब की जांच की जाये ।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** वस्तुत: श्री वि० च० शुक्ल ने मुझे इसके बारे में लिखा था । मैंने कहा था कि वह स्वयं जाकर राज्य व्यापार निगम के पदाधिकारियों और उसके सभापति से बातचीत कर सकते हैं । हमने स्थिति को स्पष्ट करते हुये लम्बे-लम्बे पत्र लिखे हैं । मैं चाहता हूं कि कभी भी कुछ सदस्य जा कर सभापति से बातचीत करके स्थिति स्पष्ट कर लें । उनकी आशंकायें और सन्देह दूर हो जायेंगे ।

†**श्री रंगा :** **क्या यह सच नहीं कि राज्य व्यापार निगम से यह आशा की जाती है कि वह लाभ कमाये और क्या वह लौह अयस्क की खरीद अपनी ठहरने की शक्ति का लाभ उठा कर विभिन्न मूल्यों पर और भिन्न-भिन्न संभरण करने वालों से करता है ?**

†**श्री कानूनगो :** लदाम के बन्दरगाह और किस्म के अनुसार मूल्य भिन्न-भिन्न होना ही चाहिये ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : हम इस बात से पूर्ण सहमत हैं कि राज्य व्यापार निगम का विस्तार हो और वह सफल बने, किन्तु क्या इसमें कुछ सचाई है कि खान के मालिकों को जो कोटा राज्य व्यापार निगम में से दिया जाता है उस स्टाक को भी निकालने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिस के परिणामस्वरूप खानें बन्द हो रही हैं ?**

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री **कानूनगो** : यह मैंगनीज के बारे में लागू होता है और जैसा कि मेरे वरिष्ठ साथी बता चुके हैं, पिछले वर्ष मैंगनीज की मांग बहुत कम हो गई है थी ।

†**श्री रंगा** : क्या सरकार को इस बात की सूचना दी गई है कि जिन व्यक्तियों को निर्यात और बेचने के लिये जो कोटा आवंटित किया गया है वे उसका मूल्य खान के मालिकों से भी बहुत दे रहे हैं ?

†**श्री कानूनगो** : मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है । मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य वह जानकारी हमारे पास भेजें जिसकी जांच की जायेगी ?

छंगालाल टैक्सटाइल मिल्ज (प्राइवेट) लिमिटेड, चालीसगांव

†*१३१२. **श्री जाधव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी खान्देश के चालीसगांव ज़िले की छंगालाल टैक्सटाइल मिल्ज (प्राइवेट) लिमिटेड ने मिल बन्द करने के समय में परिवर्तन करने का नोटिस जारी किया है ;

(ख) मिल की रात की शिफ्ट कब से बन्द की गई ;

(ग) मिल में इस समय कितने मजदूर काम कर रहे हैं ;

(घ) क्या सोमानी समिति ने इस मिल पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसकी मुख्य उपपत्तियां क्या हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) पहले २९ जुलाई, १९५८ से मिल बन्द करने के समय में परिवर्तन करने का नोटिस दिया गया था जो अब स्थगित कर २९ सितम्बर, १९५८ हो गई है ।

(ख) मिल की रात की शिफ्ट ९–८–१९५७ से बन्द कर दी गई थी ।

(ग) ११०८ मजदूर ।

(घ) जी हां ।

(ङ) समिति की उपपत्ति का प्रतिवेदन गोपनीय दस्तावेज है और जिसे बताना लोकहित में नहीं होगा । सिफारिशों की जांच की जा रही है और यदि आवश्यक समझा गया तो उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के उपबन्धों के अधीन कार्यवाही की जायेगी ।

†**श्री जाधव** : रात की शिफ्ट क्यों बन्द कर दी गई ?

†**श्री कानूनगो** : कर्मवाहक पूंजी की कमी और स्टाक का जमा हो जाना ।

†**श्री नौशीर भरूचा** : क्या यह सच है कि मिल मालिकों का विचार मजदूरों की मजूरी में कमी करके उन्हें मात देना था और रात की शिफ्ट बन्द करने का यही कारण था ? यह मिल मेरे ही निर्वाचन क्षेत्र में है, इस कारण मैं सत्यता को जानता हूं ।

†**श्री कानूनगो** : सरकार को इस बात की सूचना नहीं दी गई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

नये नमूने का चर्खा

†*१३१५. **श्री आसर :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** १६ सितम्बर, १९५५ के अतारांकित प्रश्न संख्या ९५५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मन्तुंगा प्रौद्योगिकीय प्रयोगशाला बम्बई के श्री वी० वी० गुप्त द्वारा बनाये गये नये नमूने के चर्खे की प्रयोगात्मक स्थिति अब समाप्त हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसे लोकप्रिय बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) से (ग). श्री गुप्त ने नये नमूने का चर्खा पूरा बना लिया है। उसे लोकप्रिय बनाने के लिये कार्यवाही करने से पूर्व उसकी क्षेत्रगत जांच करनी है।

†**श्री आसर :** क्या इस कार्य के लिये श्री गुप्त को कुछ धन राशि स्वीकृत की गई थी ?

†**श्री कानूनगो :** जी हां। ३०,००० रुपये परियोजना के लिये स्वीकृत किये गये हैं और चूंकि उसका प्रथम रूप बन चुका है, इस कारण परियोजना पूरी हो गई है।

†**श्री गोरे :** ये परीक्षण कब किये गये थे ?

†**श्री कानूनगो:** हम इस प्रयोगात्मक मशीन पर प्रयोग रूप में कार्य करने के लिये राज्य सरकारों से कहने का विचार कर रहे हैं।

जापान को लौह अयस्क का निर्यात

+

†*१३१६. { **श्री पाणिग्रही :**
श्री वि० चं० शुक्ल :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें निम्न बातें दिखाई गई हों :

(क) १४ लाख टन लौह अयस्क १९५८–५९ में जापान को निर्यात करने के लिये भारत के लौह अयस्क उत्पादन करने वाले प्रत्येक राज्य को कितनी मात्रा में लौह अयस्क दिया गया ; और

(ख) प्रत्येक क्षेत्र से निर्यात किये जाने वाले अयस्क में लौह कितने प्रतिशत होता है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) और (ख). इसकी खरीद किये गये कुल वादे पर अखिल भारत के आधार पर उसकी किस्म, मात्रा और यातायात की सुविधा को देखते हुये राज्य व्यापार निगम द्वारा की जाती है। देश से आयात की जाने वाली मात्रा में लौह का ६५ से ६० प्रतिशत तक होता है।

†**श्री पाणिग्रही :** जहां तक १९५८–५९ में जापान के निर्यात कोटे का सम्बन्ध है, इस कोटे का वितरण रूरकेला आदि के खनिज क्षेत्रों में किस प्रकार किया गया था ?

†**श्री कानूनगो :** लौह अयस्क का कुल उत्पादन ५० लाख टन है, जिसमें से लगभग ३० लाख टन राज्य व्यापार निगम निर्यात कर देता है। प्रश्न जापान के साथ किये गये संविदा के सम्बन्ध

†मूल अंग्रेजी में

में है, जो केवल १४ लाख टन का है। जैसा कि मैं उत्तर में बता चुका हूं कि लदान भिन्न-भिन्न पत्तनों से अलग-अलग होता है इस कारण मैं किसी विशेष खान के अलग-अलग आंकड़े नहीं बता सकता। इस वर्ष हमारा अनुमान है कि कलकत्ता पत्तन से १० लाख टन, प्रदीप से ५० लाख टन, विजाग १ लाख टन, काकिनाडा १ लाख टन, मछलीपटनम १ लाख टन कुड्डालोर १ लाख टन, मद्रास ३.२ लाख आदि लदान होगा। **(अन्तर्बाधा)**

†**श्री वि० चं० शुक्ल:** क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम और भारत सरकार के पास बिहार द्वारा इस प्रकार राज्य व्यापार निगम के लौह अयस्क खरीदने की नीति का प्रतिरोध किया गया है ?

†**श्री कानूनगो :** जी नहीं।

†**श्री वि० चं० शुक्ल :** सदन को निगम के कार्यकलापों की यथोचित जानकारी नहीं कराई गई है।

†**श्री रंगा :** क्या सरकार उन उत्पादकों और उत्पादन न करने वालों की एक सूची प्रकाशित करेगी जिनको कोटा दिया जाता है ?

†**श्री कानूनगो :** ये कोटे नहीं हैं। जो आंकड़े मैंने दिये हैं वे पत्तनों से सम्भावित निर्यात के आंकड़े हैं।

†**श्री आचार :** क्या मैसूर का कोटा है ?

†**श्री कानूनगो :** मैसूर के सम्बन्ध में लौह अयस्क का निर्यात मंगलौर और करवाड़ से किया जाता है। कुछ मद्रास को भी दिया जाता है। मैं खान के अलग-अलग आंकड़े नहीं बता सकता।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रति दिन जब भी राज्य व्यापार निगम का नाम आता है उस दिन सदन में उसी की धूम रहती है। मैं प्रतिवेदन पर वाद-विवाद करने का अवसर दूंगा। मैंने इसके लिये अनियत दिन वाला प्रस्ताव रखा है। माननीय सदस्य इस बात की शिकायत करते हैं कि हम समाजवादी ढंग से नहीं कार्य कर रहे हैं और साथ ही वे राज्य व्यापार निगम पर दोषारोपण भी करते हैं। यदि हम उत्तर, उत्तर-पूर्व और दक्षिण, पश्चिम किसी भी ओर चले जायें तो हम देखेंगे कि सम्पूर्ण व्यापार सरकार के हाथों में है। हमारे यहां राज्य व्यापार निगम ने केवल एक मद अपने हाथों में लिया है जिस पर प्रति दिन तमाम प्रश्न पूछे जाते हैं भले उसे लाभ हुआ हो अथवा हानि। सदन यदि इसका सम्पूर्ण ढांचा बदलना चाहता है तो वह बदल सकता है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** हम चाहते हैं कि वह कुशलता से काम करे और इसी करारण हम स्पष्टीकरण चाहते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह सदन कोई निदेशालय तो है नहीं जिसमें प्रत्येक दिन हर चीज पर विस्तृत बात की जा सके। लगभग प्रतिदिन ही मैं अनेक प्रश्न पूछने की अनुमति देता हूं। आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं इस सम्बन्ध में सदन को अपना विचार बता देना चाहता हूं। हमने यह निर्णय किया है कि सरकारी क्षेत्र में उद्योग आरम्भ किये जा सकते हैं और राज्य व्यापार के लिये भी अनुमति दे दी गई है। मैं यहां विस्तार में चर्चा करने की अनुमति नहीं दे सकता।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री रंगा : यह विस्तृत चर्चा की बात नहीं है; यह भेद-भाव का प्रश्न है।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने बताया है कि वह इस मामले पर माननीय सदस्यों से चर्चा करने के लिये सहमत हैं किन्तु उनके पास कोई जाता ही नहीं है। यदि माननीय सदस्य यह समझते हैं कि यह बड़ा गम्भीर मामला है तो वे पहले मंत्री महोदय को लिखें। यदि उन्हें कोई जानकारी न मिले और जो मैं समझूंगा कि यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो मैं उसे स्वीकृत कर लूंगा। कुछ भी हो वह हमारे मंत्री हैं।

†श्री विमल घोष : तो फिर हम मंत्री महोदय को लिख कर यह पूछ सकते हैं कि कितना लौह अयस्क निर्यात किया जाता है। हम यहां प्रश्न न पूछ कर लिख कर कुछ भी उनसे पूछ सकते हैं।

†अध्यक्ष महोदय : हां, उन्हें यहां प्रश्न पूछने की क्या आवश्यकता है ? मुझे वास्तव में आश्चर्य होता है। मैं ऐसे प्रश्नों को पूछने की अनुमति नहीं दूंगा जिनका उत्तर किसी पुस्तक अथवा प्रकाशित रिपोर्ट में मिल सकता है। मैं ऐसे प्रश्न पूछे जाने के लिये अनुमति देने हेतु बाध्य हूं जिनका उत्तर अन्य कहीं उपलब्ध न हो। जहां तक राज्य व्यापार निगम का सम्बन्ध है, सर्वप्रथम तो जो कुछ वे जानना चाहते हैं उनका उत्तर उन्हें उसी से मिल जायेगा। उससे वे न केवल यही अपितु सभी कुछ पूछ सकते हैं। हां, यदि उन्हें किसी बात का उत्तर नहीं मिलता है तो मैं उस प्रश्न को पूछने की अनुमति दूंगा।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : यदि आप इस प्रकार का अधिनिर्णय देते हैं, तो बड़ी खतरनाक स्थिति हो जायेगी। यह सच है कि हमें सदैव यही उत्तर दे दिया जाता है कि जानकारी अमुक पुस्तक से मिल सकती है और हम उस पर और आगे पूछ-ताछ नहीं करते हैं। किन्तु यदि यह प्रश्न ऐसा है जो नियमों के अन्दर आ जाता है, तो क्या हम सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र के लिये अलग अलग नियम बनायेंगे ?

†अध्यक्ष महोदय : यह नियम के अन्दर नहीं आता है। यह तो निर्वचन का प्रश्न है।

†श्री वें० प० नायर : तो फिर प्रक्रिया के नियमों में परिवर्तन करना पड़ेगा।

†अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसा ही करूंगा।

†श्री वें० प० नायर : आप ऐसा नहीं कर सकते हैं।

†अध्यक्ष महोदय : प्रत्येक विस्तृत जानकारी नियमों के अन्तर्गत नहीं आती है। हम राज्य व्यापार निगम अथवा अन्य जो भी निगम बनाते हैं तो उसे कुछ हद तक स्वायत्तता भी देते हैं। इसका तात्पर्य यह नहीं कि हम सभी अधिकार उसे दिये दे रहे हैं और यदि वह कोई महत्वपूर्ण विषय होता है, तो मैं ऐसे प्रश्नों को पूछने की अनुमति दे देता हूं। मुझे केवल इतना ही कहना है। मैं नहीं समझता कि हमें अपना समय इस प्रकार व्यय करना चाहिये।

†श्री नाथ पाई : यह कुछ न हो यदि माननीय मंत्री प्रश्नों का उत्तर देने के लिये अधिक अच्छी तरह तैयार हो कर आयें।

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : श्री घोष को कुछ गलतफहमी हो गई है। हम बराबर उत्तर देते रहते हैं और बहुत सी बातें विस्तारपूर्वक बताते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री विमल घोष :** मैं अध्यक्ष महोदय से हमें प्रश्न और अनुपूरक पूछने की अनुमति न देने के सम्बन्ध में केवल निवेदन कर रहा था। माननीय मंत्री के विरुद्ध मुझे कुछ नहीं कहना है।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह आश्चर्य की बात है। श्री घोष कहते हैं कि मंत्री महोदय उत्तर देने के लिये तैयार हैं किन्तु मैं अनुमति नहीं देता। कुछ भी हो हम अब स्थिति समझ लें। जब कभी कोई महत्वपूर्ण विषय होता है, भले ही मंत्री महोदय उत्तर देने के इच्छुक न हों तो भी यदि वह चीज़ ऐसी है जो सदन और जनता को जाननी चाहिये तो मैं ऐसे प्रश्नों के लिये अनुमति दे देता हूं।

†**श्री वि० च० शुक्ल:** माननीय मंत्री ने अभी अभी कहा है कि उन्हें बिहार सरकार से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। जब कि मेरे पास शिकायत की एक प्रतिलिपि मौजूद है, जो मुझे प्राप्त हुई है। मैं उसे सभा पटल पर रख दूंगा।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** वह प्रतिलिपि राज्य व्यापार निगम को भेजी गई होगी जो एक स्वायत्तशासी निकाय है। वह मंत्री अथवा मंत्रालय में नहीं पहुंची है। इस प्रकार का अन्तर आसानी से समझा जा सकता है।

†**अध्यक्ष महोदय :** मंत्री महोदय से यह आशा नहीं की जा सकती कि वह राज्य व्यापार निगम का प्रारम्भिक ज्ञान रखते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन

†*१३१७. **श्री वारियर :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में हुये अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारतीय मजदूरों का प्रतिनिधि-मंडल जेनेवा तब पहुंचा जब कि सम्मेलन के मजदूर सदस्यों का चुनाव समाप्त हो चुका था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि प्रतिनिधि-मंडल के सदस्यों के नाम अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के प्राधिकारियों को समय के भीतर नहीं बताये गये थे ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) सम्मेलन ४ जून को आरम्भ हुआ था। मजदूरों का प्रतिनिधि-मण्डल ३ जून को जेनेवा पहुंच गया था। किन्तु चूंकि सम्मेलन के मजदूर दल ने अपनी बैठक २ जून को ही कर ली, इस कारण भारतीय मजदूर प्रतिनिधि-मंडल उस बैठक में भाग नहीं ले सका।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रतिनिधि-मण्डल के सदस्यों को बैठक होने से काफी पहले भेजने की बात ध्यान में रखी गई थी।

†**श्री वारियर :** अखिल भारतीय श्रम संगठनों में प्रतिनिधि भेजने का क्या आधार था ? क्या संगठन की सदस्यता को भी दृष्टि में रखा जाता है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री आबिद अली :** जी हां, अत्यधिक। सत्यापन के आधार पर जो प्रतिवर्ष किया जाता है यह पता लगा था कि भारतीय राष्ट्रीय कार्मिक संघ कांग्रेस के सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है। इस कारण वह अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में प्रतिनिधित्व करने की अधिकारिणी समझी गई। इतना ही नहीं उनके अधिकार-पत्र की जांच अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की अधिकार-पत्र समिति ने की थी और उसने भी इसे सहमति दे दी थी।

†**श्री नारायणन् कुट्टी मेनन :** इस प्रकार के प्रतिनिधि-मंडलों का चुनाव करने में क्या सरकार की नीति यह है कि वह केवल उन्हीं संगठनों के प्रतिनिधि भेजती है जिसके सदस्य बहुमत में होते हैं तथा दूसरे अन्य संगठन जिनकी सदस्य संख्या चाहे कितनी भी हो उनका प्रतिनिधित्व करने की अनुमति नहीं दी जाती ?

†**श्री आबिद अली :** अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के विधान की प्रतिष्ठा रखनी पड़ती है, उसी के आधार पर चुनाव किया जाता है।

†**श्री बोस :** इस वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सम्मेलन में कितनी समितियां बनाई गई थीं ? क्या हमारे प्रतिनिधि-मंडल इन समितियों में रखे गये थे ?

†**श्री आबिद अली** : मेरे विचार से ३ या ४ समितियां बनाई गई थीं और इन समितियों में भारत के मजदूर प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया था।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** माननीय मंत्री ने बताया कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के विधान का पालन किया जा रहा है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि उन्होंने ऐसा कहा है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के विधान के अनुसार सभी प्रतिनिधिकारी केन्द्रीय कार्मिक संघ के संगठनों को प्रतिनिधि-मंडल के सदस्यों की एक सूची भेजनी पड़ेगी और सरकार को उसमें से प्रतिनिधि छांटने होंगे। भारत में ऐसा नहीं किया जा रहा है।

†**श्री आबिद अली :** यह बात सही नहीं है। विधान के अनुसार हमें संबंधित संगठनों से एक अनुमोदित सूची मांगनी पड़ती है। यदि वे सहमति सूची नहीं भेज पाते हैं तो हमें सबसे अधिक सदस्यों वाले संगठन को आमंत्रित करना पड़ता है जो उनकी प्रतिनिधि समझी जाती है, इसी नियम का पालन यहां किया जा रहा है।

†**श्री स० म० बनर्जी :** क्या अखिल भारतीय कार्मिक संघ कांग्रेस ने हाल ही में सरकार को अपने सदस्यों की संख्या १४, ७२, ४९६ बताई है जिसकी संख्या भारतीय राष्ट्रीय कार्मिक संघ कांग्रेस के सदस्यों से ६२,९०६ अधिक है, और यदि ऐसा है तो क्या अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में अखिल भारतीय कार्मिक संघ का प्रतिनिधित्व किया जायेगा और यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

†**श्री आबिद अली :** अखिल भारतीय कार्मिक संघ कांग्रेस तथा अन्य केन्द्रीय कार्मिक संघ संगठनों से भी सूचियां प्राप्त हुई हैं। माननीय सदस्य ने जो संख्या बताई है उसके विषय में मुझे यह निवेदन करना है कि इस संगठन ने जिन संघों की सूची प्रस्तुत की है वह इतनी अपूर्ण है कि उनके लगभग ५० प्रतिशत सम्बद्ध संघों की पंजीयन संख्या तक नहीं दी गई है ?

†**श्री स० म० बनर्जी :** अखिल भारतीय कार्मिक संघ कांग्रेस ने एक अस्थायी सूची प्रस्तुत की है। मंत्री महोदय उसमें कुछ संशोधन चाहते थे। शुद्ध की गई सूची में सदस्य संख्या

†**मूल अंग्रेजी में**

१४,७२,४९६ दिखाई गई है और सम्बद्ध संघों की संख्या १,४८२ है। अखिल भारतीय कार्मिक संघ कांग्रेस ने अपनी सूची प्रस्तुत कर दी है। क्या उनकी जांच अथवा उनका सत्यापन किया गया है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री का कथन है कि वे सही नहीं हैं।

†**श्री तंगामणि :** अखिल भारतीय कार्मिक संघ कांग्रेस से यह अन्तिम सूची प्राप्त करने के पश्चात् कि सदस्य संख्या १४ लाख के आस-पास है और संघों की संख्या १,००० के लगभग है, क्या सरकार ने आंकड़ों का सत्यापन किया है ?

†**श्री आबिद अली :** मांगी गई सूचना प्राप्त हो जाने के पश्चात् सत्यापन कार्य किया जायेगा। हमने अखिल भारतीय कार्मिक संघ कांग्रेस को यह बताने के लिये सूची वापिस लौटा दी है कि वे हमें इन संघों की पंजीयन संख्या बतायें। कुछ के तो पते तक नहीं दिये गये हैं। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में प्रतिनिधित्व का आधार ३ मार्च, १९५७ की सदस्य संख्या माना गया था। अब माननीय सदस्य ३१ मार्च, १९५८ की सूची की बात कर रहे हैं। नई सूची का आधार वही है जिस पर जून, १९५९ के सम्मेलन के लिये चुनाव किया जायेगा।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** माननीय मंत्री का कथन है कि सहमति प्राप्त सदस्यों की सूची भेजी जाती है। गत जून में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के प्रतिनिधियों की सूची पर अन्तिम निर्णय से पूर्व क्या दोनों केन्द्रीय कार्मिक संघ संगठनों से सहमति प्राप्त सदस्यों की सूची मांगी गई थी जिनको भारत सरकार से मान्यता मिली हुई है ?

†**श्री आबिद अली:** लगभग छः वर्ष तक प्रयत्न करने पर भी हमें इसमें सफलता नहीं मिली। माननीय सदस्य जानते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** पिछले वर्ष भी उन्हें सफलता नहीं मिली थी।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** उन्हें ऐसा कहने दीजिये। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय यही कहें।

†**श्री पलनियाण्डी :** क्या यह सच है कि अकेले केरल में इस वर्ष अखिल भारतीय कार्मिक संघ कांग्रेस के सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई है यद्यपि औद्योगिक श्रमिकों में कमी हो गई है ?

†**श्री आबिद अली :** केरल में अखिल भारतीय कार्मिक संघ कांग्रेस के सदस्यों की संख्या ४०० प्रतिशत से अधिक बढ़ गई है। किन्तु उन्होंने कुछ अच्छे अच्छे कार्मिक संघों की पंजीयन संख्या नहीं बताई है जिनका दावा है कि वे अखिल भारतीय कार्मिक संघ कांग्रेस से सम्बद्ध हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** हम इस बात का यह निश्चय नहीं कर रहे हैं कि वह ठीक है अथवा नहीं।

†**श्री जयपाल सिंह :** समाचार पत्र उद्योग में बिक्री का लेखा परीक्षा ब्यूरो है जो समाचार पत्रों की बिक्री की अधिकृत मशीनरी है। क्या इन कार्मिक संघों द्वारा किये गये दावे के सत्यापन के मामले में कोई इसी प्रकार की लेखा परीक्षा मशीनरी है ?

†**श्री आबिद अली :** संघों की सदस्यता के सत्यापन की कुछ मशीनरी हमारे पास भी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री नाथ पाई : इस तथ्य की दृष्टि से कि माननीय मंत्री ने अखिल भारतीय कार्मिक संघ कांग्रेस की सदस्य संख्या को चुनौती दी है और अखिल भारतीय कार्मिक संघ कांग्रेस ने भी उसका प्रत्युत्तर दे दिया है, क्या सरकार एच० एम० एस० (हिन्द मजदूर संघ) को प्रतिनिधिकारी संगठन के रूप में मान्यता देने पर गम्भीरता-पूर्वक विचार कर रही है ?

†श्री आबिद अली : इसकी सदस्यता प्रतिवर्ष कम होती जा रही है ।

†श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : भारतीय श्रम सम्मेलन में जो नैनीताल में हुआ था, संघों की सदस्य संख्या के सत्यापन के बारे में नियम बना दिये गये हैं, तो क्या केन्द्रीय कार्मिक संघ संगठनों में और विशेषकर अखिल भारतीय कार्मिक संघ कांग्रेस ने इन नियमों का पालन किया है ?

†श्री आबिद अली : नैनीताल में इस बारे में सहमति दी गई थी और अब उनका पालन किया जायेगा । जहां तक प्रश्न के उत्तरार्द्ध का सम्बन्ध है, अभी कोई ऐसा अवसर नहीं आया है जब कि यह कहा जा सके कि उन्होंने इसका पालन किया है अथवा नहीं ।

अणु शक्ति केन्द्र

+

†*१३२१. { **श्री पी० रा० रामकृष्णन् :**
श्री जाधव :
श्री प० ला० बारूपाल :
श्री दलजीत सिंह : }

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अणु-शक्ति आयोग ने तृतीय पंचवर्षीय योजना में भारत में अणु-शक्ति केन्द्र स्थापित करने की प्रस्थापना की है ; और

(ख) यदि हां, तो वह क्या है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) :** (क) जी हां ।

(ख) अणु-शक्ति आयोग ने सिफारिश की है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक १० लाख किलोवाट नाभिकीय शक्ति अधिप्लावित की जाये और यह काम दो अणु शक्ति केन्द्र स्थापित करके जिनमें से प्रत्येक में ढाई-ढाई लाख किलोवाट के दो यूनिट हों । उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि एक यूनिट का निर्माण अगले वर्ष शुरू कर दिया जाये ।

†श्री पी० रा० रामकृष्णन : क्या शक्ति रियेक्टर देश में ही तैयार किये जायेंगे और क्या आणविक रियेक्टरों के लिये ईंधन देश में ही उपलब्ध होगा ?

†श्री सादत अली खां : इसके लिये पूर्व सूचना चाहिये ।

†श्री जाधव : ये केन्द्र किन स्थानों पर बनाये जायेंगे ? क्या इस बारे में कोई निर्णय किया गया है ?

†श्री सादत अली खां : जी, नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दिनेश सिंह :** क्या इस प्रकार तैयार की जाने वाली विद्युत शक्ति जलविद्युत शक्ति से सस्ती होगी ?

†**श्री सादत अली खां :** आयोग का विचार है कि इन बिजली घरों में जो बिजली तैयार की जायेगी उस पर उतनी ही लागत आयेगी जितनी कोयला क्षेत्रों से दूर स्थित थर्मल पावर स्टेशनों से पैदा की जाने वाली बिजली पर आती है।

†**श्री जाधव :** क्या यह सच है कि उदयपुर के निकट आणविक बिजली घर लगाने सम्बन्धी राजस्थान सरकार की प्रार्थना ठुकरा दी गई ?

†**श्री सादत अली खां :** मुझे मालूम नहीं है।

†**श्री नाथ पाई :** क्या यह सच नहीं कि गत सप्ताह जनेवा में डा० भाभा ने कहा कि अन्त में यह बिजली सस्ती ही पड़ेगी ?

†**श्री सादत अली खां :** यह सच है।

†**अध्यक्ष महोदय :** उन्होंने सेन्ट्रल हाल में भी यही कहा था।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या राजस्थान में आणविक बिजली घर लगाने के बारे में कोई निर्णय किया गया है ?

†**श्री सादत अली खां :** अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है।

अनधिकृत भवन निर्माण

†*१३२२. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कितने सरकारी भू-गृहादि में अनधिकृत रूप से निर्माण किया गया है ;

(ख) सरकारी भू-गृहादि में से इन अनधिकृत ढांचों को हटाने के लिये यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) :** (क) सरकारी भू-गृहादि- में किये गये अनधिकृत निर्माण का कोई ठीक ढंग से सर्वेक्षण नहीं किया गया है। उपलब्ध जानकारी से पता चलता है कि इनकी संख्या मो े तौर पर २०,००० के लगभग होगी।

(ख) सरकारी भ-गृहादि (अनधिकृत रूप से रहने वालों की बेदखली) विधेयक, १९५८ जब अधिनियमित हो जायेगा तब वह उन मामलों का शीघ्र निर्णय करेगा जहां अनधिकृत निर्माणों को हटाना आवश्यक है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** यह देखते ये कि अनधिकृत निर्माणों की संख्या इतनी अधिक है नियमित रूप से इसकी रोकथाम करना क्यों आवश्यक नहीं समझा जाता।

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** माननीय सदस्य को मालूम है कि पूर्वी पंजाब उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय देने के पश्चात् सरकारी ज़मीन पर अनधिकृत कब्जा करने वालों को बेदखल करने के

†मूल अंग्रेजी में

लिये हमारे हाथ में कोई विधायिनी शक्ति नहीं थी इसलिये कोई आंकड़े नहीं रखे गये थे ? इसके अतिरिक्त गृह-कार्य मंत्री ने भी एक प्रश्न के उत्तर में बताया था कि ये ढांचे बनते और गिरते रहते हैं इसलिये इनके आंकड़े रखना बहुत कठिन है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या माननीय मंत्री का यह अभिप्राय है कि न्यायिक शक्तियों के अभाव में वह न्यायालय के द्वारा भी कोई कार्यवाही नहीं कर सकते ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** न्यायालय से निर्णय कराने में ब त समय लग जाता इसलिये हमने लाक-सभा से विशेष शक्तियां प्राप्त करना ही ठीक समझा ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या कारण है कि . . . .

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य पहले की बातें पूछ रहे हैं । माननीय मंत्री ने बताया कि अब उन्हें शक्तियां प्राप्त हो गई हैं और इस बारे में शीघ्र ही कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न काल सरकार की आलोचना करने के लिये नहीं है । माननीय सदस्य कोई जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं । अगला प्रश्न ।

बर्मा में भारतीय

+

†*१३२३. { **श्री तंगामणि :** / **श्री सरजू पांडे :** }

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बर्मा में गये उन भारतीय प्रव्रजकों और उनके बाल-बच्चों को भारतीय नागरिक नहीं माना जाता जो वहां के नागरिक बन चुके अथवा नागरिकता प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र दिये हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि बर्मा सरकार ने हाल ही में उन भारतीय प्रव्रजकों पर, जो वहां के नागरिक बन गये हैं. ये प्रतिबन्ध लगा दिये हैं कि वे भारत में रहने वाले अपने आश्रितों को रुपया नहीं भेज सकते; और

(ग) यदि हां, तो प्रतिबन्ध किस प्रकार के हैं ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** (क) जी नहीं । उन भारतीयों की, जो बर्मा के नागरिक बन गये हैं, स्त्रियां भारतीय राष्ट्रजन हैं जब तक वे स्वयं बर्मा की नागरिकता ग्रहण नहीं कर लेतीं । अवयस्क बालक बर्मा के नागरिक माने जाते हैं परन्तु वयस्क होने के एक वर्ष बाद तक वे भारतीय नागरिकता के लिये विकल्प दे सकते हैं ।

(ख) और (ग) वे भारतीय, जिन्होंने बर्मा की नागरिकता के लिये विकल्प नहीं दिया है, भारत में रह रहे अपनी स्त्री और बच्चों को २० रुपये मासिक भेज सकते हैं । बर्मा के नागरिक बन चुके भारतीय यदि भारत में अपने सम्बन्धियों को रुपया भेजना चाहें तो बर्मा सरकार प्रत्येक मामले को देख कर निर्णय करती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री तंगामणि :** क्या यह सच है कि कुछ मास पहले ही राशि को घटा कर २० रुपये मासिक किया गया ? उस से पूर्व यह राशि कितनी थी ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** १ जून, १९५८ से यह राशि २० पये निर्धारित की गई। इस से पूर्व ३१ अगस्त, १९५५ तक भारतीय राष्ट्रजन ५० रुपये भेज सकते थे जो १ सितम्बर, १९५५ से ३० रुपये कर दिया गया ।

†**श्री तंगामणि :** यह देखते हुये कि २० रुपये मासिक में कोई भी परिवार निर्वाह नहीं कर सकता क्या सरकार इसे बढ़ाने के लिये अभ्यावेदन करेगी ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** ये प्रतिबन्ध बर्मा में विदेशी मुद्रा की कठिनाई के कारण लगाई गई और ये केवल भारतीयों पर ही नहीं बल्कि बर्मा में रहने वाले सभी विदेशियों पर लागू होती हैं ?

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार :** जिन परिवारों को इस से हानि पहुंची है क्या उन से सरकार को कोई अभ्यावेदन मिले हैं और यदि हां तो उनके कष्ट को दूर करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** कई अभ्यावेदन प्राप्त होते रहते हैं और जिन मामलों में अत्यन्त आवश्यक ोता है उनके बारे में बर्मा में भारतीय राजदूत विनिमय नियंत्रण प्राधिकारियों से मिल कर सहायता करता है ।

†**श्री थानू पिल्ले :** क्या सरकार उन लोगों को सहायता देगी जो यहां रह रहे हैं और जिन्हें बर्मा से पया नहीं भेजा जा सकता ।

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** भारत सरकार के लिये यह सम्भव नहीं कि वह उन्हें सहायता दे ।

†**श्री रंगा :** भारत सरकार बर्मा सरकार को उधार देती रही है यह देखते हुये क्या उसने बर्मा सरकार से यह कहना उचित समझा कि वह राशि ३० पये अथवा ५० रुपये ही रखी जाये और बर्मा को दिये गये ऋण में से भुगतान करके स्वयं ही उस कठिनाई को दूर कर ले ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** इस प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका है । विदेशी मुद्रा की कठिनाई के कारण बर्मा सरकार ने ये प्रतिबन्ध लगाये थे । हम बर्मा सरकार को अपना निश्चय बदलने के लिये नहीं कह सकते ।

†**अध्यक्ष महोदय :** उन्होंने ऋण ले लिया है और वे वापस देने के लिये तैयार नहीं हैं ?

†**श्री त्यागी :** भारत में रहने वाले बर्मी लोग अपने देश में कितना रुपया भेज सकते हैं ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** इसके लिये पूर्व सूचना चाहिये ।

सोलहवां भारतीय श्रम सम्मेलन

†*१३२४. **श्री तंगामणि :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री ११ अगस्त, १९५८ को सभा-पटल पर रखे गये सोलहवें भारतीय श्रम सम्मेलन के कार्यवाही सारांश के सम्बन्ध में एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिस में यह जानकारी हो :—

---

†मूल अंग्रेजी में

(क) कर्मचारी राज्य बीमा योजना सम्बन्धी निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) बीमा कराने वाले कितने कर्मचारियों को सुविधायें दी गई हैं। और

(ग) बढ़ाई गई दर नियोजकों पर कब तक लागू की जायेगी?

श्रम और रोज़गार तथा योजना मंत्री के सभा-सचिव (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) एक विवरण जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १०६]**

(ख) ५०,०००।

(ग) अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है।

†**श्री तंगामणि :** नैनीताल में हुए भारतीय श्रम सम्मेलन की नौ सिफारिशों का उल्लेख विवरण में किया गया है। ३० रुपये अवरोध फीस और प्रसूत काल में सुविधायें देने और प्रतीक्षा अवधि का पुनरीक्षण करने के बारे में कब विचार किया जायेगा?

†**श्री ल० ना० मिश्र :** बहुत शीघ्र।

†**अध्यक्ष महोदय :** उन्होंने कहा कि इस पर विचार किया जायेगा।

†**श्री तंगामणि :** प्रमुख सिफारिशों में से एक यह भी थी कि नियोजकों का अंशदान ४ ७५ प्रतिशत की मूल संविदित दर तक बढ़ा दिया जाये। इस पर कब विचार किया जायेगा?

†**श्री ल० ना० मिश्र :** निगम की गत बैठक में इस पर विचार किया गया था और यह निर्णय किया गया था कि अभी इसे लागू न किया जाये क्योंकि वर्तमान वसूली इस प्रयोजन के लिये पर्याप्त है ।

†**श्री तंगामणि :** क्या सरकार को मालूम है कि वर्तमान योजना के अन्तर्गत, जिसमें नियोजकों का अंशदान घटाया गया है। नियोजक कर्मचरियों की अपेक्षा कम अंशदान दे रहे हैं?

†**श्री ल० ना० मिश्र :** यह ठीक है कि इस समय कर्मचारियों को अधिक अंशदान देना पड़ता है परन्तु सारा लाभ कर्मचारियों को ही होता है।

इराक के साथ चाय का व्यापार

†*१३२५. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इराक को भारतीय चाय के निर्यात की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) साधारण तथा अधिक पैदा होने वाली भारतीय चाय का निर्यात बढ़ाने के लिये क्या उपाय किये गये हैं?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** (क) इराक को भारतीय चाय का निर्यात बहुत ही कम था।

(ख) चाय बोर्ड यह अनुभव करता है कि पश्चिमी एशियाई देशों में चाय का निर्यात बढ़ाया जाये परन्तु मंडियों का अध्ययन करने का काम निर्यात करने वाले व्यापारियों को ही करना होगा।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या सरकार को मालूम है कि इराक प्रत्येक वर्ष घटिया और मध्यम दर्जे की ३ करोड़ पौंड चाय, जो कि उसकी कुल आवश्यकता थी, श्रीलंका से ही खरीदा करता था परन्तु नूरी शासन के समाप्त होते ही इराक में चाय का आयात बिल्कुल रुका हुआ है?

†**श्री सतीश चन्द्र :** श्रीलंका से अब भी इराक को चाय भेजी जा रही है? कुछ कमी अवश्य हुई है। यह भी सम्भव है कि भारतीय चाय का निर्यात इराक को किया जाये परन्तु यह कई बातों पर निर्भर करता है।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** यह देखते हुए कि इराक संयुक्त अरब गणराज्य के प्रभाव में है और वह अरब भुगतान संघ में शामिल हो जायेगा श्रीलंका से इराक को चाय का निर्यात बिल्कुल बन्द हो जायेगा। क्या इराक की मंडियों में हमारी साधारण किस्म की चाय भेजने के लिये कोई कार्यवाही की गई है?

†**श्री सतीश चन्द्र :** व्यापार की प्रवृत्ति सदा किसी देश के राजनैतिक परिवर्तनों पर निर्भर नहीं करती। मैं अपने आप को इस विषय पर चर्चा करने के समर्थ नहीं समझता।

†**श्री मुरारका :** क्या यह सच है कि हाल ही में चाय का निर्यात कम हो जाने के कारण सरकार यह विचार कर रही है कि चाय के निर्यात का काम राज्य व्यापार निगम को सौंप दिया जाये?

†**श्री सतीश चन्द्र :** ऐसी कोई प्रस्थापना नहीं है।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार :** इस बात को देखते हुए कि सभी मध्य पूर्वी देश, जिनमें इराक भी शामिल है, साधारण किस्म की चाय पसन्द करते हैं, सरकार इराक को साधारण चाय का निर्यात बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही करेगी?

†**श्री सतीश चन्द्र :** प्रश्न यह नहीं कि हम इराक को चाय का अधिक निर्यात नहीं करना चाहते। हम तो यह जानते हैं कि इराक में साधारण चाय की नहीं बल्कि बढ़िया चाय की मांग है। वहां एक विशेष किस्म और रंग की चाय पसन्द की जाती है। द्वितीय महायुद्ध से पूर्व इंडोनेशिया से चाय खरीदता था। फिर वहां से पर्याप्त मात्रा में चाय उपलब्ध न होने के कारण उन्होंने श्रीलंका से चाय खरीदनी शुरू कर दी। यदि भारतीय चाय का निर्यात करने वाले प्रयत्न करें तो वे वहां चाय की मार्किट बना सकते हैं।

†**श्री प्रभात कार :** इराक को चाय का निर्यात चाहे कम ही था परन्तु क्या यह सच है कि घटिया किस्म की चाय होने के कारण उसमें भी कमी आ गई है।

†**श्री सतीश चन्द्र :** निर्यात कम नहीं हुआ है। मात्रा बहुत कम है। वस्तुतः गत कुछ मास में इसमें थोड़ी वृद्धि हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

जाली पार पत्र

+

†१३२६. श्री गोरे :
श्री जाधव :
श्री नाथ पाई :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ११ जून, १९५७ को एक दल गिरफ्तार किया गया जिस पर दिल्ली से जाली पारपत्र जारी करने का शक किया जाता था ; और

(ख) क्या इसकी जांच पूरी हो चुकी है ?

†वैदेशिक कार्य-मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) : (क) जी हां।

(ख) अभी जांच हो रही है।

†श्री गोरे : मामले की जांच करने में इतना समय क्यों लगा ?

†श्री सादत अली खां : अभी जांच हो रही है। केन्द्रीय गुप्तचर विभाग के कर्मचारियों ने पता लगाया है कि कई रबड़ की मुहरें और मुद्रांक प्राप्त हुए हैं। इसकी तफतीश करने में कुछ समय लगेगा।

†श्री गोरे : क्या यह सच है कि ब्रिटेन में भी कुछ लोग पकड़े गये हैं जिनके पास हज़ारों पारपत्र थे ?

†अध्यक्ष महोदय : ब्रिटेन ?

†श्री सादत अली खां : जी हां। समाचारपत्रों से पता चला है। ब्रिटेन के बारे में तो मुझे जानकारी नहीं परन्तु यहां कुछ लोग गिरफ्तार किये गये हैं।

†श्री नाथ पाई : क्या जांच से यह पता चला कि पंजाब में बड़े पैमाने पर जो जाली पारपत्र बनाये जा रहे थे क्या वे लोगों को पाकिस्तान जाने में सहायता देने के लिये बनाये जाते थे या कि ब्रिटेन जाने के लिये ?

†श्री सादत अली खां : पुलिस इन सब बातों का पता लगा रही है। कुछ बातों का पता चल गया है। पहले पहल दर्शन सिंह पकड़ा गया था परन्तु बाद में पता चला कि दिल्ली का एक बाल किशन सहगल भी इसमें शामिल है जो कि इस दल का सरदार माना जाता है और उसके साथ १२ व्यक्ति और पकड़े गये। पुलिस यह जांच कर रही है कि उनका क्या सम्बन्ध था।

†श्री गोरे : क्या यह सच है कि दिल्ली में जो लोग पकड़े गये थे उन्हें छोड़ दिया गया है ?

†श्री सादत अली खां : उनमें से १२ को जमानत पर रिहा कर दिया गया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नाथ पाई :** कुछ समय पहले बम्बई में छः पारपत्र पदाधिकारी भी इस शक में गिरफ्तार किये गये थे कि उनका इस धांधली से कोई सम्बन्ध है। क्या उनका इस दल के साथ कोई सम्बन्ध होने का प्रमाण मिला है?

†**श्री सादत अली खां :** मैं यह बताने में असमर्थ हूँ, मैंने बताया कि जांच हो रही है।

†**श्री जाधव :** क्या सरकार को इस बारे में पता चला है कि इंग्लैंड के समाचार-पत्रों में कुछ ऐसे समाचार प्रकाशित हुए जिन में भारतीय आप्रवासियों के व्यवहार की निन्दा की गई थी।

†**श्री सादत अली खां :** जी हां। हम ने वे समाचार पढ़े हैं।

†**श्री जाधव :** आप्रवासियों की संख्या क्या है?

†**श्री सादत अली खां :** इसके लिये पूर्वसूचना चाहिये।

†**श्री अन्सार हरवानी :** क्या इस मामले में वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में कोई पदाधिकारी अथवा कर्मचारी भी शामिल है?

†**श्री सादत अली खां :** मुझे मालूम नहीं।

नैरोबी में भारतीय आयुक्त

†१३२७. **श्री मानवेन्द्र शाह :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार ने नैरोबी से भारतीय आयुक्त को वापस बुलाने का निश्चय किया है?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) :** जी हां। आयुक्त छुट्टी लेकर भारत आ रहा है।

†**श्री मानवेन्द्र शाह :** उस ने जो वित्तीय अनियमिततायें की क्या मंत्रालय को उस बारे में जानकारी है और उसके खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** मंत्रालय को सब मालूम है। उपयुक्त समय पर उचित कार्यवाही की जायेगी। अभी वह पदाधिकारी नैरोबी में है और छुट्टी पर आ रहा है?

†**श्री मानवेन्द्र शाह :** क्या सरकार को मालूम है कि उसने अपना सारा वेतन भारत भेज दिया है?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** इसके लिये अलग पूर्वसूचना चाहिये।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** जब एक भारतीय आयुक्त को वापस बुलाया जा रहा है तो केवल इतना कहना कि वह छुट्टी पर आ रहा है ठीक न होगा। उसे वापस बुलाने के ठीक-ठीक कारण क्या हैं?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** मैंने कहा कि वह छुट्टी पर घर आ रहा है। मैंने यह तो नहीं कहा कि उसे वापस बुलाया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

इराक को भारतीय राजदूत

†*१३२८. **श्री सै० अ० मेहदी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इराक के लिये भारतीय नामोद्दिष्ट राजदूत बगदाद कब तक पहुंचेंगे ; और

(ख) यह नियुक्ति कब तय हुई थी ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) इराक के लिये भारतीय राजदूत ४ सितम्बर, १९५८ को बगदाद पहुंच गया।

(ग) प्रस्तावित नियुक्ति की घोषणा इराक सरकार और भारत सरकार ने ९ अप्रैल, १९५८ को कर दी थी।

†**श्री सै० अ० मेहदी** : इराक विद्रोह के समय नामोद्दिष्ट राजदूत कहां थे ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : शायद वह स्वीडन में अथवा जाते समय लंदन में ठहरे हुए थे। विद्रोह के समय वह कहां थे मुझे ठीक मालूम नहीं।

†**श्री दिनेश सिंह** : इराक में विद्रोह चल रहा था तो नामोदिष्ट राजदूत को भारत आने की बजाय सीधा इराक जाने के लिये क्यों नहीं कह दिया गया ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : वह तीन मास की छुट्टी ले सकते हैं । उसमें से कुछ उन्होंने लंदन में गुजारी होगी। उनकी नियुक्ति की घोषणा और पद ारण करने में चार मास का अन्तर था। ऐसे स्थानान्तरण के समय तीन मास का अवकाश मिलता है। उन्होंने एक मास ही अधिक लिया था।

†**सरदार इकबाल सिंह** : हमारे राजदूतों के स्थान बहुत देर तक खाली रहते हैं। संसार में तीन महत्वपूर्ण घटनाओं के समय—इराक में विद्रोह, स्वेज़ नहर और हंगरी—हमारे राजदूत वहां नहीं थे। क्या सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि हमारे राजदूतों की नियुक्तियां शीघ्र कर दी जायें ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : यह तो कार्यवाही के लिये सुझाव है।

कानपुर के कपड़ा मिल श्रमिकों का अस्थायी रूप से काम से हटाया जाना

+

†*१३३०. { **श्री स० म० बनर्जी** :
श्री तंगामणि :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर की तीन कपड़ा मिलों में से ६,००० श्रमिकों को अस्थायी रूप से काम से हटा दिया गया है ;

(ख) जैसा कि नैनीताल में १६वें श्रम सम्मेलन में तय हुआ था क्या कानपुर में इस स्थिति को सुलझाने के लिये कोई अलग समिति नियुक्त की जा रही है ;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ग) क्या इन मिलों को कार्यकुशल ढंग से चलाने के लिये मिल-मालिकों ने कोई सुझाव दिये हैं ;

(घ) यदि हां, तो वे सुझाव क्या हैं ; और

(ङ) उनके बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**श्रम और रोज़गार तथा योजना मंत्री के सभा-सचिव (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) ५,३७८ को अस्थायी रूप से काम से हटाया गया है।

(ख) इस पर विचार किया जा रहा है।

(ग) जी हां।

(घ) मुख्य सुझाव ये हैं :

बैंको द्वारा दिये जाने वाले ऋण की प्रतिभूति कम करना ; उत्पादन शुल्क घटाना, रेल भाड़ का पुनरीक्षण आदि।

(ङ) इन सुझावों पर वस्त्र जांच समिति विचार कर चुकी है जिसके प्रतिवेदन पर अब सरकार विचार कर रही है।

†**श्री स० म० बनर्जी** : वस्त्र उद्योग श्रमिक और वस्त्र उद्योग जांच प्रतिवेदन— इस विषय पर सोलहवें श्रम सम्मेलन में चर्चा की गई थी। जब वहां कानपुर का निश्चित रूप में उल्लेख किया गया था और इसका आश्वासन भी दिया गया था तो फिर उसके लिये विशेष समिति क्यों नहीं नियुक्त की गई ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : कानपुर के बारे में भी वस्त्र उद्योग जांच समिति ने विचार किया था और समिति ने इस विषय में एक व्यापक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। कानपुर के लिये समिति नियुक्त करना सम्भव न हो यह भी हो सकता है।

†**श्री स० म० बनर्जी** : क्या माननीय मंत्री को यह बताया गया है कि सूती मिल मज़दूर संघ के दो कार्यालय पदाधिकारियों ने सरकार के उपेक्षापूर्ण व्यवहार के विरोध में ७ सितम्बर, १९५८ से भूख हड़ताल कर रखी है ? इस समस्या का हल करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : वस्त्र मिलों में औद्योगिक सम्बन्धों का उत्तरदायित्व प्राथमिक रूप में राज्यगत है। मुझे भूख हड़ताल के बारे में जानकारी नहीं है।

†**श्री स० म० बनर्जी** : मेरा निवेदन यह है कि मिलें कानपुर में बंद हो रही हैं और राज्य सरकार के श्रम मंत्री ने स्पष्ट रूप में यह कह दिया है कि यह केन्द्रीय सरकार का काम है और वह संभवतः उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। सोलहवें सम्मेलन में इस विषय पर व्यापक रूप से चर्चा की गई थी। मैं जानना चाहता हूं कि इस विषय में क्या किया जा रहा है। क्या ये व्यक्ति भूखों मर जायें ? आम हड़ताल भी की गई थी। उत्तर प्रदेश की असामान्य स्थिति के परिणामस्वरूप....

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा। मंत्री महोदय कहते हैं कि उन्हें भूख हड़ताल के बारे में जानकारी नहीं है। राज्य सरकार मंत्री ने कहा है कि—श्री स० म० बनर्जी की सूचना के अनुसार—मिलों का बन्द होना केन्द्रीय विषय है। इन सब बातों से क्या प्रयोजन है?

†**श्री ल० ना० मिश्र :** कपड़ा मिलों की स्थिति खराब है और कपड़ा जांच समिति ने इसका परीक्षण किया है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय उस पर विचार कर रहा है? माननीय सदस्य की जानकारी के लिये मैं यह भी बता दूं कि कानपुर के सूती कपड़ा मिलों की कुछ मांगें थी जिनमें से अधिकतर मंजूर कर ली गई हैं।

†**श्री तंगामणि :** नैनीताल के सम्मेलन में कानपुर की मिलों के श्रमिकों के प्रतिनिधियों की वहां की गम्भीर स्थिति को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। यह भी निर्णय किया गया था कि कानपुर की मिलों के प्रश्न पर विचार करने के लिये एक विशेष समिति स्थापित की जायेगी। क्या यह विशेष समिति नियुक्त की गई है अथवा इसे नियुक्त करने का विचार है?

†**श्री ल० ना० मिश्र :** समिति नियुक्त नहीं की गई थी हम सूती वस्त्र जांच समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रहे थे और वह प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है। कानपुर की स्थिति से सम्बन्धित अनेक विषय उसमें सम्मिलित हैं वाणिज्य मंत्रालय द्वारा इस प्रतिवेदन का परीक्षण कर लेने के पश्चात् श्रम मंत्रालय भी इसका अध्ययन करेगा।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य का प्रश्न यह है कि कानपुर के सूती कपड़ा मिलों के प्रश्न की जांच करने के लिये एक विशेष समिति नियुक्त की जायेगी--क्या यह समिति नियुक्त कर दी गई है?

†**श्री ल० ना० मिश्र :** यह सिफारिश नैनीताल सम्मेलन में की गई थी किन्तु कपड़ा जांच समिति को ध्यान में रखते हुये वर्तमान अवस्था में समिति नियुक्त करना आवश्यक नहीं था।

†**श्री प्रभात कार :** इस बात का ध्यान रखते हुए कि लगभग ६,००० श्रमिक बेकार पड़े ह, मैं यह जानना चाहता हूं कि कपड़ा जांच समिति की रिपोर्ट का निर्णय करने और उसकी सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये सरकार को कितना समय चाहिये?

†**श्री ल० ना० मिश्र :** अधिक समय नहीं।

†**श्री जगदीश अवस्थी :** श्रीमन्, एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं। मैं कानपुर से सम्बन्धित हूं।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य पहले क्यों नहीं खड़े हुये?

†**श्री जगदीश अवस्थी :** क्या मैं मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि कानपुर म्योर मिल में मार्च १९५८ से जो मिल मालिकों और मज़दूरों के बीच विवाद चल रहा है और जिसके कारण मज़दूरों को अभी तक वेतन नहीं मिला है, उसके बारे में आपने क्या कोई उचित कार्यवाही की है?

श्री ल० ना० मिश्र : माननीय सदस्य ने जो इत्तिला दी है उसको मैं उत्तरप्रदेश सरकार को भेज दूंगा।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

पाकिस्तानियों द्वारा सीमा का अतिक्रमण

†अल्प सूचना प्रश्न संख्या १४. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जब भारत और पाकिस्तान के प्रधान मंत्री दिल्ली में मंत्रणा कर रहे थे तो उसी समय सिलचर से ६५ मील दूर पथारिया रिजर्व फारेस्ट में दीमाचेरा पर पाकिस्तानी पुलिस ने आधे घंटे से अधिक तक गोली चलाई और भारतीय सीमा पर स्थित गार्ड ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया ; और

(ख) क्या समझौते के पश्चात् ११ सितम्बर, १९५८ को पाकिस्तानी नागरिक सशस्त्र पाकिस्तानी सेना के साथ पथारिया की कुलोनाई हिल में घुस गये और बलपूर्वक बांस काटकर ले गये ?

†**वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) जी हां।

(ख) ११ सितम्बर, को पथारिया रिजर्व फारेस्ट में भारतीय सीमा में पाकिस्तानी नागरिकों ने घुस कर कुलेरीटिला की पूर्वी दिशा में ढालू जमीन से बांस काटकर ले जाने का प्रयत्न किया। इस कोशिश में एक पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार किया गया।

श्री रघुनाथ सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि जिस दिन यह एग्रीमेंट हुआ है उससे लेकर आज तक ईस्टर्न बौर्डर पर कितने रेड्स और इंसीडेंट्स हुए हैं ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : १० सितम्बर, के पश्चात् हुई घटनाओं के बारे में मेरे पास जानकारी नहीं है।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : क्या मैं जान सकता हूं कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब जिस दिन यहां से लौटकर गये उनके चौबीस घंटे के बाद उन्होंने अपनी नेशनल असेम्बली में यह सूचना दी कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने वेस्टर्न पाकिस्तान के सम्बन्ध में जो आर्बिटरेशन का सजैशन दिया है उसको वे नहीं मानते और उसको मानने से इंकार कर दिया है और क्या यह बात ठीक है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन**: अखबारों में खबर थी कि पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने ऐसा वक्तव्य दिया था।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : समझौते के एक दिन बाद ही नेशनल असेम्बली में वक्तव्य दिया गया था ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : जी हां, हमने यह वक्तव्य देखा है।

सेठ गोविन्द दास : पाकिस्तान के निर्माण के बाद हिन्दुस्तान और पाकिस्तान में अनेक अहदनामे हुए हैं तो क्या मैं जान सकता हूं कि उनमें से कितने तोड़े गये और भविष्य में भी क्या यह उम्मीद की जा सकती है कि जो अहदनामे होंगे उनको नहीं तोड़ा जायेगा ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : मैं इतनी हिन्दी नहीं समझती हूं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अंग्रेजी में अपना सवाल पूछें।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†श्री गोविन्द दास : पाकिस्तान के बनने के पश्चात् भारत और पाकिस्तान के बीच कितने करार हुए थे ; पाकिस्तान ने इनमें कितने करार भंग किये हैं, तथा क्या भविष्य में यह आशा है कि पाकिस्तान हाल में किये गये समझौते का पालन करेगा ?

†श्रीमती लक्ष्मी मेनन : यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता है। फिर भी इस प्रश्न के लिये पूर्व सूचना चाहिये ।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य केवल यह बताना चाहते हैं कि अनेक करार भंग किये जा चुके हैं ।

†श्री अ० चं० गुह : क्या करीमगंज की सीमा पर जो स्थान विभाजन के पश्चात् भारतीय अधिकार में थे उन पर अब पाकिस्तान द्वारा अधिकार कर लिया गया है। जिनमें टुकरग्राम आदि सम्मिलित हैं, तथा क्या पाकिस्तानी सेनाओं ने यह स्थान खाली कर दिये हैं। अथवा अभी भी उनके अधिकार में हैं ?

†श्रीमती लक्ष्मी मेनन : भारत से रवाना होने के पहले प्रधान मंत्री ने इस विषय पर एक व्यापक वक्तव्य दिया था ।

†श्री अ० चं० गुह : पाकिस्तान द्वारा हाल में अधिकृत किये गये टुकरग्राम तथा अन्य स्थानों के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है ।

†अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री ने जो कुछ कहा था उससे अधिक कोई जानकारी माननीय मंत्री के पास नहीं है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

लघु उद्योग सेवा संस्था दिल्ली[1]

†*१३११. पण्डित द्वा० ना० तिवारी : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लघु उद्योग सेवा संस्था, दिल्ली ने निर्यात वितरण सहायता सर्वेक्षण प्रारम्भ कर दिया है ;

(ख) इन सर्वेक्षणों का मुख्य उद्देश्य क्या है ; और

(ग) इससे क्या परिणाम उत्पन्न हुए हैं ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) जी हां ।

(ख) इस प्रकार के सर्वेक्षण से छोटे पैमाने के निर्माताओं को अपने उत्पादों के मुख्य वितरण केन्द्रों का निर्धारण करने और महत्वपूर्ण थोक तथा फुटकर विक्रेताओं से सम्पर्क स्थापित करने में सहायता मिलेगी। इस कीमत के प्रति विक्रेताओं और उपभोक्ताओं की प्रतिक्रिया, टेक्नीकल किस्म और उत्पाद की डिजाइन भी प्राप्त होगी और निर्माताओं को दे दी जायेगी ।

(ग) चूंकि सर्वेक्षण हाल ही में आरम्भ किया गया है इतना शीघ्र परिणाम नहीं बताया जा सकता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Small Industries Service Institute.

खेल-कूद सामान उद्योग

†*१३१३. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में खेल कूद सामान की वर्तमान अवस्था क्या है ;

(ख) देश में इस उद्योग के मुख्य केन्द्र कहां कहां हैं ;

(ग) क्या कच्चे सामान की अनुपलब्धता के कारण इस उद्योग को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में उद्योगों की सहायता के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** (क) खेलकूद सामान उद्योग की वर्तमान अवस्था इस प्रकार है :—

(१) उद्योगों की संख्या	लगभग २५०
(२) वार्षिक उत्पादन	लगभग १·५ करोड़ रुपये
(३) किस्म	खेलकूद के सामान की अनेक वस्तुओं के लिये स्टैंडर्ड ब्यौरा निर्धारित कर दिया गया है ।
(४) टेक्नीकल सहायता	मेरठ में एक औद्योगिक विस्तार केन्द्र स्थापित किया गया है ।
(५) निर्यात संवर्द्धन	खेलकूद के सामान के लिये हाल ही में एक निर्यात संवर्द्धन कौंसिल स्थापित की गई है ।

(ख) जालंधर, मेरठ, दिल्ली, कलकत्ता और बम्बई ।

(ग) और (घ). अक्तूबर १९५७ से मार्च, १९५८ तक की अवधि के बीच समिति आयात नीति के परिणामस्वरूप इस उद्योग को पर, कार्कवुड, विलो क्लेफ्ट्स, बीचवुड, वाटरप्रूफ ग्लू, नाइलोन गट्स आदि कच्चे माल के आयात में कठिनाई अनुभव हुई और उनकी कीमतें काफी बढ गई हैं । अप्रैल से सितम्बर, १९५८ की अवधि में भारत सरकार ने खेलकूद सामान उद्योग के लिये आवश्यक कच्चे माल के आयात में प्रयुक्त करने के लिये पृथक् राशि निर्धारित कर दी है । इस उदार नीति के पश्चात् आयात किये गये कच्चे माल की कीमतें बाज़ार में कम होने लगीं हैं ।

खाद्यान्नों की कीमतों में वृद्धि

†*१३१४. **श्री नागी रेड्डी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात संबंधी नियंत्रणों पर ध्यान देते हुए सरकार आयात किये गये खाद्यान्नों की कीमतों में भारी वृद्धि से अवगत है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस दिशा में क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) और (ख). निस्संदेह ही कीमतें बढ़ी हैं किन्तु सरकार कड़ी निगाह रख रही है और स्थिति में सुधार करने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

क्रय परामर्शदात्री समिति की बैठक

†*१३१८. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्रय परामर्शदात्री समिति की हाल ही में कोई बैठक हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में क्या क्या निर्णय किये गये थे ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) जी हां। क्रय परामर्शदात्री समिति की एक बैठक २९ जुलाई, १९५८ को हुई थी।

(ख) समिति की सिफारिशों और उन पर किये गये निर्णय बताने वाला एक विवरण लोक सभा के पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १०७]

त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्ति

†*१३१८. **श्री दशरथ देव** : क्या **पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि त्रिपुरा के शिविरों में रहने वाले स्वस्थ शरीर वाले विस्थापित व्यक्तियों को अकर्म वेतन[1] नहीं दिया जा रहा है;

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : यह सच नहीं है कि त्रिपुरा में रहने वाले सब स्वस्थ शरीर वाले विस्थापित व्यक्तियों को अकर्म वेतन नहीं दिया गया है। १९५१ में जारी किये गये भारत सरकार के आदेशों के अनुसार केवल उन स्वस्थ व्यक्तियों को अकर्म वेतन नहीं दिया जाता है जिन्हें परिश्रमिक मिलने वाला कोई काम दिया जाता है।

खादी उद्योग

†*१३२०. { **श्री सुबोध हंसदा** :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी उद्योग के विकास के लिये राज्य सरकारों और गैर-सरकारी संगठनों की स्वीकृत निधि के समुचित उपयोग की जांच करने के लिये सरकार के पास कोई साधन है ; और

(ख) यदि हां, तो यह कब से कार्य कर रहा है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जी हां।

(ख) इस योजना के प्रारम्भ काल से ही ऐसी साधन है।

छोटे पैमाने के उद्योग

†१३२९. **श्री केशव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने राज्य सरकारों से कहा है कि राज्यों को आवंटित रकम का कम से कम १० प्रतिशत भाग १९५७–५८ में सामुदायिक विकास क्षेत्रों में छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये निर्धारित कर दिया जाये ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Cash dole.

(ख) कितनी राज्य सरकारों ने उपरोक्त योजना की कार्यान्विति की है और किस सीमा तक यह किया गया है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) राज्य सरकारों से यह निश्चय करने के लिये कहा गया था कि १९५७–५८ में आवंटित सम्पूर्ण राशि में से २५ प्रतिशत व्यय सामुदायिक विकास क्षेत्रों में किया जाये ।

(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और लोकसभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

पंजाब में छोटे पैमाने के औद्योगिक एकक

†*१३३१. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब में कोटे का असमान वितरण अथवा उसकी कमी के परिणामस्वरूप इस्पात और कच्चे माल के संभरण में कमी के कारण पंजाब में छोटे पैमाने के उनके औद्योगिक एकक बंद हो गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति का सामना करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

केरल में विकिरण का खतरा[1]

†*१३३२. **श्री संगण्णा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ८ सितम्बर, १९५८ के **हिन्दुस्तान टाइम्स** में पृष्ठ ५, स्तम्भ ३ में प्रकाशित "केरल में विकिरण का खतरा" खबर की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस खतरे को टालने के लिये सरकार द्वारा की गई क्या कार्यवाही की गई है ?

†वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). यह खबर स्पष्टत: "भारत में केरल राज्य के मोनाजाइट क्षेत्रों में विकिरण की मात्रा का माप" सम्बन्धी पेपर पर आधारित है । यह पेपर जेनेवा में हाल में हुए अणुशक्ति के शान्तिमय प्रयोग सम्बन्धी द्वितीय संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय कान्फ्रेंस में अणु शक्ति प्रतिष्ठान, ट्राम्बे के दो भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुत किया गया था । यह पेपर १९५६ और १९५७ में अणुशक्ति विभाग द्वारा किये गये दो सर्वेक्षणों पर आधारित था । इस विषय में और विस्तृत अध्ययन किया जा रहा है ।

इस सिलसिले में मैं इस २२ मई १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४४ के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित करूंगा ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1] Radiation Danger in Kerala.

ब्रिटेन में जाति भेद सम्बन्धी उपद्रव

†*१३३३. { श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधा रमण :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री तंगामणि : }

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में ब्रिटेन में श्वेत और अश्वेत व्यक्तियों को अंतर्ग्रस्त करते हुए जाति भेद उपद्रव हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत के राष्ट्रजन उन उपद्रवों से प्रभावित हुए हैं ; और

(ग) क्या इन उपद्रवों में भारतीयों की प्राण अथवा संपति सम्बन्धी कोई हानि हुई है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) यह उपद्रव मुख्यतः वेस्ट इंडीज के निवासियों के विरुद्ध थे।

(ख) लंदन में एक भारतीय को छुरा भोंक दिया गया था। उसकी अवस्था अब संतोषजनक बताई जाती है एक और नगर में एक भारतीय रेस्तरां में आग लगा दी गई थी और भारतीयों द्वारा अधिकृत मकान पर पत्थर फेंके गये थे।

(ग) कोई प्राण हानि नहीं हुई किन्तु आग के परिणामस्वरूप कुछ सम्पति का नुक्सान हुआ था।

पंजाब में सिंचाई की मशीनों का उद्योग

†*१३३४. **श्री हेमराज** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लोहा तथा इस्पात उपलब्ध न होने के कारण पंजाब में सिंचाई की मशीनों के उद्योग को संकट का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) इस प्रकार के कितने एकक बंद हो गये हैं अथवा बंद होने की स्थिति के सन्निकट हैं ; और

(ग) सरकार इस विषय में क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) से (ग). हमें इस प्रकार के किसी संकट की जानकारी नहीं है। इस्पात की सामान्य कमी के कारण कुछ कठिनाई हो सकती है किन्तु हम पंजाब सरकार से पूरी जानकारी मांग रहे हैं। वहां पर जो ५५ छोटे छोटे उद्योग एकक हैं राज्य सरकार ही उनकी देख भाल करती है।

बेलजियम को तम्बाकू का निर्यात

†*१३३५. **श्री राम कृष्ण** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बेल्जियम में अच्छी किस्म की तम्बाकू की पर्याप्त मांग है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो १९५७–५८ में बेल्जियम में कुल कितनी तम्बाकू का निर्यात किया गया है ; और

(ग) इस वस्तु के निर्यात की मात्रा बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) जी नहीं। बेल्जियम में केवल मध्यम और घटिया किस्म की तम्बाकू की मांग है।

(ख) १९५७–५८ में फ्लूक्योरड वर्जीनिया और सन क्योर्ड नाटु (देशी) मध्यम और घटिया किस्म की ४, १५१,३२६ पौण्ड तम्बाकू बेल्जियम भेजी गई।

(ग) भारतीय केन्द्रीय तम्बाकू समिति, तम्बाकू निर्यात संवर्द्धन कौंसिल और एण्टवर्प (बेल्जियम), लन्दन और हांगकांग स्थित अधिकारी बेल्जियम में भारतीय तम्बाकू की बिक्री बढ़ाने के लिये सतत प्रयत्न करते रहते हैं।

तिलहन पर निर्यात शुल्क

†*१३३६. **पण्डित द्वा० ना० तिवारी** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मूंगफली, मर्डो रामतिल, तिल और सीटेमप तेल पर निर्यात शुल्क समाप्त करने की सरकारी घोषणा के पश्चात् इन वस्तुओं की कीमत बढ़ गई है ; और

(ख) यदि हां, तो निर्यात शुल्क उठा देने के क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). जी, हां। तिल के निर्यात पर अप्रैल, १९५६ से प्रतिबंध है। अतः कीमतों में और वृद्धि का कारण निर्यात शुल्क उठा देना नहीं है। निर्यात शुल्क इस आशा में समाप्त किया गया था कि जब स्वदेश में और विदेशी भाव में समानता हो जायेगी तो कुछ निर्यात होगा। किन्तु देश में इसकी मांग अधिक होने के फलस्वरूप यहां इसकी कीमत अधिक बनी हुई है।

स्थानीय विकास निर्माण कार्य

†१३३७. **श्री हेमराज** : क्या योजना मंत्री २५ अप्रैल, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २७८५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में यथार्थ सफलता के आधार पर स्थानीय विकास निर्माण कार्य-क्रम के अन्तर्गत अतिरिक्त सहायता मिलेगी ;

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों के क्या नाम हैं ; और

(ग) यथार्थ सफलता का निर्णय करने के लिये क्या मापदण्ड निर्धारित किया गया है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० न० मिश्र)** : (क) से (ग). यह विषय विचाराधीन है और जानकारी यथासमय लोक सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

दिल्ली में अधोभूमि जल स्तर

†१३३८. सरदार इकबाल सिंह : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री १३ दिसम्बर, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या १६६६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में अधोभूमि जल स्तर को नीचा करने के लिये टेक्नीकल विशेषज्ञों की अंतिम सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें क्रियान्वित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। विशेषज्ञ समिति की अन्तरिम रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुसार कार्यवाही कर ली गयी है।

भविष्य निधि में कर्मचारियों का अंशदान

†*१३३९. { श्री स० म० बनर्जी :
श्री तंगामणि :
श्री जगदीश अवस्थी :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सुरक्षा निधि के अंशदान के रूप में कानपुर के कुछ कपड़ा मिलों की ओर ३१ जुलाई, १९५८ को पर्याप्त रकम बकाया थी ;

(ख) यदि हां, तो भविष्य निधि की कितनी रकम बकाया है ; और

(ग) इस रकम को वसूल करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) जी हां।

(ख) ३१ जुलाई, १९५८ को नियोजक तथा भविष्य निधि अंशदान में नियोजकों और कर्मचारियों के अंशों के रूप में मिलों की ओर १५,८३,७२४ रुपये बकाया थे।

(ग) भू राजस्व की बकाया राशि की भांति उपरोक्त शेष रकम इन तीन मिलों से वसूल करने के लिये नियोजक सुरक्षा निधि अधिनियम की धारा ८ के अधीन कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

खादी और ग्रामोद्योग भवन

†*१३४०. श्री आसर : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली का खादी और ग्रामोद्योग भवन दूकान प्रतिष्ठान अधिनियम के अधीन पंजीकृत[1] नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) जी हां।

(ख) खादी और ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली से इस विषय पर पत्र-व्यवहार चल रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Registered

ट्रकों का निर्माण

†*१३४१. श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगले छः मास में ट्रकों में निर्माण का क्या कार्यक्रम है ;

(ख) क्या ट्रकों का मूल्य सूची में बताये गये मूल्य से बहुत अधिक लिया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां तो इसे विनियमित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) सरकार का यह प्रयत्न रहा है कि १९५८ में ट्रकों और बसों के निर्माण की वही गति बनाये रखी जाये जो १९५७ में थी । परन्तु अगले छः मास में कितना उत्पादन होगा इसका अनुमान लगाना सम्भव नहीं है । अक्तूबर '५७—मार्च' ५८ की लाइसेंस देने की अवधि में ६९६२ ट्रकों और बसों के पुर्जों का आयात करने के लाइसेंस दिये गये थे परन्तु इसी अवधि में उत्पादन ७४८७ का हुआ था । चालू लाइसेंस देने की अवधि में—अप्रैल-सितम्बर १९५८—८०३० ट्रक और बसों के लिये सामान का आयात करने के लाइसेंस दिये गये हैं । अप्रैल-जुलाई १९५८ में उत्पादन ३३८७ का हुआ था ।

(ख) ऐसी कोई शिकायतें नहीं मिली हैं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

काम दिलाऊ दफ्तर

†*१३४२. श्रीमती इलापाल चौधरी : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार यह विचार कर रही है कि देश में काम दिलाऊ दफतर केवल गजेटिड अफसरों के अधीन ही रखे जायें ;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ? ;

(ग) अन्तिम निर्णय कब तक होने की आशा है ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) नहीं ।

(ख) और (ग) का प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

लोह अयस्क का निर्यात

†*१३४३. श्री पाणिग्रही : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री १४ अगस्त १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १२६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा सरकार ने सुरिंदा खानों से परदीप बन्दरगाह से जापान को लौह अयस्क भेजने में सुविधा के लिये किस प्रकार की सहायता मांगी है ; और

(ख) इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) उड़ीसा सरकार ने सुरिंदा खानों से जेनापुर तक रेलवे साइडिंग और जेनापुर से परदीप बन्दरगाह तक अन्तर्देशीय जल परिवहन में सुधार करने हेतु सहायता मांगी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) रेलवे मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय और योजना आयोग से परामर्श करते हुए इस मामले पर विचार किया जा रहा है। उसी दौरान में राज्य व्यापार निगम 'मिड'-स्ट्रीम लोडिंग' और परदीप बन्दरगाह से लगभग ५०,००० टन लौह-अयस्क जापान भेज कर उड़ीसा सरकार की सहायता कर रहा है।

बिजली के सामान का विक्रय

†*१३४४. **श्री जाधव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में तैयार किये जाने वाले सामान का बाजार में भेजने से पहले परीक्षण किया जाता है ; और

(ख) यदि हां तो क्या बचाव के प्रमाण पत्र जारी करना अनिवार्य है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) प्राय: ऐसा किया जाता है ।

(ख) जी नहीं ।

चाय निर्यात

†*१३४५. **श्री प्र० चं० बरूआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५७ में भारतीय चाय का निर्यात केवल ४४७० लाख पौंड जिसका मूल्य १२३.३९ करोड़ रुपये था रह गया जब कि पूर्वगामी वर्ष में वह ५२३५.६ लाख पौंड था और मूल्य १४२.८२ करोड़ रुपये था ;

(ख) यदि हां तो निर्यात कम होने के क्या कारण हैं; और

(ग) निर्यात को बढ़ाने के लिये क्या प्रयत्न किये गये हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) और (ख). १९५६ में निर्यात असाधारणत: ज्यादा हुआ था अत: साधारण वर्षों की तुलना के लिये उसे आधार नहीं माना जाता जब कि औसतन ४५०० लाख पौंड निर्यात होता है। चाय के निर्यात और उस के मूल्य में कमी बेशी होती रहती है परन्तु १९५७ में कोई **असाधारण** कमी नहीं हुई थी ।

(ग) चाय के अधिक इस्तेमाल के लिये संयुक्त प्रचार आन्दोलनों में भाग लेकर विभिन्न देशों को चाय का निर्यात बढ़ाने के लिये हम प्रयत्न करते रहते हैं। कुछ एक देशों में प्रत्यक्ष रूप से प्रचार करने के लिये हम लोग सम्पर्क एकक स्थापित करने के बारे में विचार कर रहे हैं। जिन देशों में अर्थव्यवस्था शासन के हाथ में है वहां हम उभयपक्षीय² व्यवस्था कर के चाय बेचने का प्रयत्न करते हैं।

सोलहवां भारतीय श्रम सम्मेलन

†*१३४६. { **श्री तंगामणि** :
श्री स० म० बनर्जी :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री ११ अगस्त १९५८ को सभा-पटल पर रखे गये सोलहवें भारतीय श्रम सम्मेलन के कार्यवाही विवरण को देखते हुए एक विवरण प्रस्तुत करेंगे जिसमें यह जानकारी हो :

(क) औद्योगिक सम्पर्क सम्बन्धी निर्णय को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Mid-stream loading
[2]Bilateral

(ख) उक्त निर्णय के आधार पर संघ की सदस्यता की जांच कहां तक की गई है; और

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिये केन्द्रीय कर्मिक संघों के प्रतिनिधियों की कोई बैठक की गई है ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) राज्य सरकारों को जो कार्यवाही करना है उसके बारे में पत्र लिख दिये गये हैं। केन्द्रीय सरकार से सम्बद्ध मामलों के बारे में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

(ख) केन्द्रीय कर्मिक संघ संस्थाओं की सूचियां प्राप्त हो चुकी हैं। इन संघों की सदस्यता की जांच करने के लिये उपयुक्त कार्यवाही की जा रही है।

(ग) जी नहीं।

लम्बे रेशे वाली कपास

†*१३४७. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में इस समय लम्बे रेशे वाली कपास की वार्षिक आवश्यकता क्या है ;

(ख) देशीय उपज से कितनी आवश्यकता पूरी हो जाती है ;

(ग) क्या सरकार ने कपास की इस किस्म के आयात के बारे में कोई निश्चय किया है ;

(घ) यदि हां. तो वह निश्चय क्या है ; और

(ङ) यह कपास का आयात किन-किन देशों से और कितनी कितनी मात्रा में किया जायेगा ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) भारत की कपड़ा मिलों में लम्बे रेशे वाली कपास की वार्षिक लागत लगभग ७ लाख भारतीय गट्ठे हैं।

(ख) इस में से १ से १ $^1/_2$ लाख गट्ठों की आवश्यकता देशीय उपज से पूरी होती है।

(ग) से (ङ). १$^1/_{16}$" और इस से अधिक लम्बे रेशे वाली कपास के आयात की ही स्वीकृति दी जाती है। आयात इन बातों पर निर्भर करता है कि भारत में कपड़े की मिलों की आवश्यकता क्या है। विदेशी मुद्रा उपलब्ध है या नहीं और देशीय उत्पादन कितना है और अमरीकी सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत कितना आयात किया जा रहा है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए सुलभ मुद्रा वाले देशों और अमरीका से कपास का आयात करने की अनुमति दी जाती है। अतः आगामी वर्षों के लिये विदेशी कपास की आवश्यकता का पहले से अनुमान लगाना कठिन है।

नर्सिंग गिरजी मैनुफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, शोलापुर

†*१३४८. { **श्री राम कृष्ण** :
श्री सरदार इकबाल सिंह :
श्री सोनावाने :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह ११ फरवरी १९५८ के नर्सिंग गिरजी मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड शोलापुर के कार्य संचालन में सोमान समिति द्वारा जांच के बारे में तारांकित

†मूल अंग्रेजी में

प्रश्न संख्या २ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उसके पश्चात इस मिल के बारे में सोमानी समिति का प्रतिवेदन मिल गया था ;

(ख) यदि हां, तो उसकी उपपत्तियां क्या हैं; और

(ग) प्रतिवेदन पर क्या कार्यवाही की गई और नर्सिंग गिर्जी मैनुफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, शोलापुर की वर्तमान स्थिति क्या है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). अभी समिति की सिफारिशें बताना लोक हित में नहीं होगा । मिल को जब से बम्बई सरकार ने अवसायन से पट्टे पर लिया तब से इसे तीन शिफ्टों में चलाया जा रहा है । संगत सिफारिशें बम्बई सरकार को विचार तथा जब कभी आवश्यक हो कार्यवाही करने के लिये समिति की सिफारिशें भेज दी गई हैं ।

नारियल जटा उत्पादों के लिये निगम

†*१३४९. **सरदार इकबालसिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य सरकार ने नारियल जटा उत्पादों के निर्यात के लिये एक निगम स्थापित करने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने यह सिफारिश स्वीकार कर ली है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** :(क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

लौंग और इलायची का निर्यात

†२१७७. **श्री पांगरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७-५८ और १९५८-५९ में अब तक लौंग और इलायची का कुल कितना निर्यात हुआ;

(ख) किन-किन देशों को कितना-कितना निर्यात किया गया; और

(ग) उपरोक्त निर्यात की स्थिति १९५६-५७ की तुलना में कैसी है ?

†***वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबंध संख्या १०८**]

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (प्राइवेट) लिमिटेड

†२१७८. **श्री पांगरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५७-५८ में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (प्राइवेट) लिमिटेड ने बम्बई राज्य में लघु उद्योगों के विकास के लिये किस प्रकार की मशीनों की व्यवस्था की ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** सामान्य प्रयोजन की मशीनें लेथ, रेडियल एण्ड बैंच ड्रिलिंग मशीनें, शेपिंग मशीनें, पीसने की मशीनें, बैंच ग्राइंडर, स्लौटिंग मशीनें आदि ।

विशेष प्रयोजन की मशीनें

ये मशीनें निम्नलिखित उद्योगों के इस्तेमाल के लिये दी गईं :

(१) ढिबरी और पेच (नट एण्ड बोल्ट्स); (२) वायर केबल (तार); (३) पाइप; (४) चमड़ा; (५) जूते आदि; (६) घड़ियों के पट्टे; (७) तार की जाली बनाना ; (८) औषधियां बनाना; (९) वैज्ञानिक तथा सर्जिकल औज़ार; (१०) कार की बैटरी; (११) रेशम का धागा; (१२) कोलैप्सीबल ट्यूबें और (१३) सिरामिक (मृच्छिला) ।

चलचित्र निर्माण

†२१७९. **श्री पांगरकर :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में अब तक भारत में प्रदर्शन के लिये कुल कितने चल-चित्रों को प्रमाण-पत्र दिये गये; और

(ख) इस अवधि में ये चलचित्र किन-किन भाषाओं में निकाले गये ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) :** (क) चल-चित्र अधिनियम, १९५२ के अन्तर्गत केन्द्रीय चलचित्र विवाचन बोर्ड ने भारत में प्रदर्शन के लिये १-१-५८ से ३१-८-५८ तक जिन चलचित्रों को प्रमाण-पत्र दिये उनका ब्योरा नीचे दिया जाता है :

	भारतीय	विदेशी	कुल
३५ मिलिमीटर			
२००० फुट से अधिक	२०४	२०९	४१३
२००० फुट से कम .	३४२	३८९	७३१
१६ मिलिमीटर			
८०० फुट से अधिक	७	२१४	२२१
८०० फुट से कम . .	२०	७४३	७६३
	५७३	१,५५५	२,१२८

(ख) भारत में चलचित्रों के निर्माण पर सरकार का नियंत्रण नहीं है । अतः यह जानकारी देना सम्भव नहीं कि अमुक अवधि में कितने चलचित्रों का निर्माण हुआ । १-१-५८ से ३१-८-५८ तक केन्द्रीय चलचित्र विवाचक बोर्ड ने जिन भारतीय चलचित्रों को सार्वजनिक प्रदर्शन के लिये प्रमाण पत्र दिये उनका भाषानुसार विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १०९**]

चर्म रोगों सम्बन्धी प्रलेखीय चल चित्र

†२१८०. **श्री पांगरकर :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चर्म रोगों के बारे में कोई प्रलेखीय चलचित्र तैयार किया गया है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या अब किसी राज्य में उसका प्रदर्शन किया गया है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) और (ख). जी नहीं ।

कलकत्ता पत्तन में माल लादने और उतारने वाले श्रमिकों[1] को भत्ते

†२१८१. **श्री एन्थनी पिल्ले** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में कलकत्ता पत्तन में हुई हड़ताल के दौरान में गोदी श्रमिक बोर्ड ने माल लादने और उतारने वाले श्रमिकों को उपस्थिति भत्ते और 'डिसअपायंटमेंट' भत्ते के तौर पर कितनी राशि दी;

(ख) उक्त पत्तन में उक्त प्राधिकारियों के किये गये काम की मजूरी के तौर पर कितनी राशि का भुगतान किया; और

(ग) कलकत्ता पत्तन में मासिक वेतन पर रखे गये कितने ऐसे श्रमिकों की, उक्त हड़ताल में भाग लेने के कारण, मजूरी में से कटौती की गई और कितनी कटौती की गई ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क)

उपस्थिति भत्ता : . .	४८,६८३.०० रुपये
'डिसअपायंटमेंट' भत्ता : . . .	४.५० रुपये

(ख) ६१०५६.३७ रुपये ।

(ग) कोई नहीं । यह समझा जाता है कि उन्होंने हड़ताल में भाग नहीं लिया ।

उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण

†२१८२. **श्रीमती मफीदा अहमद** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण क्षेत्रों में आदिम जातियों के लोगों को झूम या स्थान परिवर्ती[2] काश्त की बजाय आर्द्र कृषि[3] करने की आदत डालने के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण के आदिम जातियों के लोग प्राचीन काल से स्थान परिवर्ती (झूम) काश्त करते चले आये हैं और यह उनकी सामाजिक रुढ़ि बन गई है । पहाड़ी और वनैला क्षेत्र होने के कारण बड़े पैमाने पर आर्द्र कृषि करना सम्भव भी नहीं है । अतः सरकार की यह नीति नहीं है कि वह झूम काश्त की मनाही करके उनकी लोगों की अनिच्छा से ही उन्हें आर्द्र कृषि करने के लिये बाध्य किया जाये ।

जहां तक सम्भव है लोगों को क्यारियां उत्तल कृषि और आर्द्र कृषि करने के लिये प्रोत्साहन दिया जाता है । इस प्रकार लोगों को रजामन्द करने से लगभग १८,००० एकड़ भूमि में उत्तल कृषि अथवा आर्द्र कृषि होने लगी है ।

जहां 'झूम' काश्त को जारी रखना उचित समझा गया है वहां भी बढ़िया बीज और औजारों से काम ले कर और भूमि के कटाव और वनों को नष्ट होने से रोक कर उपज बढ़ाने का प्रयत्न किया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Stevedore Workers.
[2]Shifting Cultivation.
[3]Wat Cultivation.
[4]Tevaced Cultivation.

दिल्ली और कटक के रेडियो ट्रांसमीटर

२१८३. श्री नवल प्रभाकर : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली तथा कटक के २० किलोवाट लघु तथा मध्यम तरंग प्रेषित (ट्रान्समीटर) से कौन-कौन से कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं; और

(ख) इनका प्रसारण कितनी दूर तक सरलता से सुना जा सकता है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (डा० केसकर): (क) दिल्ली और कटक के २० किलोवाट के मध्यम तरंग ट्रांसमीटरों से इन दोनों केन्द्रों के संगीत और बोलचाल के कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं। दिल्ली के २० किलोवाट के दो शार्ट वेव ट्रांसमीटरों से विदेशी विभाग के बाहरी देशों के लिये कार्यक्रम तथा देश के अन्दर समाचार (न्यूज बुलेटिन) प्रसारित होते हैं।

(ख) २० किलोवाट के मध्यम तरंग ट्रांसमीटर से दिन में लगभग १०० मील की दूरी तक और सूर्यास्त के बाद लगभग ४०० मील की दूरी तक कार्यक्रम सुना जा सकता है। २० किलोवाट के शार्ट वेव ट्रांसमीटर से प्रादेशिक कार्यक्रम सामान्यतः लगभग ५०० मील की दूरी तक प्रसारित कर सकते हैं। पर विदेशों को कार्यक्रम एक विशिष्ट दिशा में फेंके जाते हैं और अधिक दूर तक जा सकते हैं।

श्रीनगर और भोपाल में प्रसारण स्टूडियो

२१८४. श्री नवल प्रभाकर : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रीनगर तथा भोपाल में स्थायी प्रसारण स्टूडियो बनाये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो ये कब तक पूरे हो जायेंगे; और

(ग) भवन तथा उस में लगने वाली मशीनों का अलग-अलग अनुमानित व्यय कितना है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (डा० केसकर) : (क) जी हां।

(ख) भोपाल में बनाई का काम आरम्भ हो गया है और १९५९ के अन्त तक स्टूडियो बन जायेगा। श्रीनगर में स्टूडियो बनाने का काम अभी शुरू नहीं हुआ।

(ग) अलग-अलग अनुमानित व्यय निम्नलिखित है :—

	श्रीनगर स्टूडियो रु० (लाखों में)	भोपाल स्टूडियो ० (लाखों में)
जमीन और इमारत पर होने वाला खर्च जिसमें ध्वनि व्यवस्था आदि भी सम्मिलित हैं	१०.३८	४.७४
उपकरणों तथा उनको लगाने पर होने वाला खर्च	४.००	३.२३
कुल	१४.३८	७.९७

भारत स्टोर विभाग, लन्दन और भारत सप्लाई मिशन, वाशिंगटन

२१८५. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत स्टोर विभाग, लन्दन और भारत सप्लाई मिशन, वाशिंगटन में कितने अधिकारी व कर्मचारी हैं;

(ख) इनमें से कितने कर्मचारी अनुसूचित जातियों व अनुसूचित आदिम जातियों के हैं;

(ग) क्या वहां कुछ और कर्मचारी भेजने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो उनमें से कितने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के होंगे; और

(ङ) इन कार्यालयों को भेजे जाने वाले कर्मचारियों का चुनाव किस आधार पर किया जाता है ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) : (क) अधिकारियों व कर्मचारियों की संख्या निम्न प्रकार से है :—

(१)	इण्डिया स्टोर विभाग, लन्दन . .	५३५
(२)	इण्डिया सप्लाई मिशन, वाशिंगटन .	१२७

(मुख्य लेखापाल के कार्यालय को सम्मिलित करके)

(ख) इण्डिया सप्लाई मिशन, वाशिंगटन में इन जातियों के कोई कर्मचारी नहीं हैं। इण्डिया स्टोर विभाग, लन्दन से सम्बन्धित सूचना मांगी गई है और प्राप्त होने पर सभा की मेज़ पर रख दी जायेगी।

(ग) इन कार्यालयों में कुछ और कर्मचारियों को भेजने के कुछ प्रस्तावों पर विचार हो रहा है और इनके परिणाम स्वरूप सम्भव है कि इन कार्यालयों के जिन कर्मचारियों की पदावधि पूरी हो चुकी है उनकी जगह भारत से कुछ कर्मचारी भेजे जायें।

(घ) कोई निश्चित संख्या दे सकना सम्भव नहीं है क्योंकि इन कार्यालयों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की नियुक्ति के लिये कोई अंश निर्धारित नहीं किया गया है।

(ङ) इन कार्यालयों के लिये कुछ कर्मचारी भारत से भेजे जाते हैं और कुछ की नियुक्ति वहीं की जाती है। जगहें खाली होने पर ही भारत से अधिकारी भेजे जाते हैं। इन व्यक्तियों का चुनाव उनकी योग्यता, अनुभव तथा विदेशों में नियुक्ति के लिये उपयुक्त होने पर ही निर्भर होता है। अधिकारियों का चुनाव उनमें से होता है जो पहिले से ही भारत सरकार के कार्यालयों में अनुरूप पदों पर कार्य कर रहे होते हैं।

चाय बोर्ड

†२१८६. **श्री हेम राज** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चाय बोर्ड का गत निर्वाचन किस वर्ष में हुआ था; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इस में चाय के छोटे उत्पादकों के और इस से सम्बद्ध अन्य लोगों के कितने प्रतिनिधि हैं ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) चाय बोर्ड के सदस्य सरकार द्वारा नामज़द किये जाते हैं । पहले पहल बोर्ड १ अप्रैल, १९५४ में स्थापित किया गया था । बहुत से सदस्यों की पदावधि ३१ मार्च, १९५७ को समाप्त हो गई । १ अप्रैल, १९५७ को उनके स्थान पर नये सदस्य नियुक्त किये गये जो ३१ मार्च, १९६० तक रहेंगे ।

(ख) बोर्ड चाय की पैदावार करने वाले १३ सदस्यों में एक सदस्य छोटे उत्पादकों का प्रतिनिधि है । चाय अधिनियम की धारा ४ की उप-धारा (३) के खंड (बी) से (एच) में उल्लिखित विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य निम्नलिखित सदस्य भी चाय बोर्ड में शामिल हैं :—

(१) आसाम, पश्चिमी बंगाल, मद्रास, पंजाब और केरल सरकारों और त्रिपुरा प्रशासन का एक-एक प्रतिनिधि;

(२) संसद् के तीन प्रतिनिधि (दो लोक-सभा में से और एक राज्य सभा में से);

(३) चाय बागान में काम करने वालों के सात प्रतिनिधि;

(४) चाय विक्रेताओं; जिनमें निर्यात करने वाले और आन्तरिक व्यापारी भी शामिल हैं, के तीन प्रतिनिधि;

(५) उत्पादकों के दो प्रतिनिधि;

(६) उपभोक्ताओं के दो प्रतिनिधि; और

(७) अन्य सम्बन्धित लोगों के चार प्रतिनिधि ।

फिल्मों का आयात

†२१८७. श्री बि० चं० प्रधान : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७-५८ में विदेशों से भारत में कुल कितनी फिल्मों का आयात किया गया; और

(ख) उन फिल्मों के नाम क्या हैं ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) और (ख). १९५७-५८ में १६९ लाख फुट धुली हुई और तैयार की हुई तथा साधारण फिल्मों का आयात किया गया । फिल्मों की संख्या और नामों का रिकार्ड नहीं रखा गया है अतः यह जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

दुग्ध खाद्य तथा दुग्ध उत्पादों का आयात[1]

†२१८८. पंडित ठाकुर दास भार्गव : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९४७-४८, १९५२-५३, १९५५-५६, १९५६-५७ और १९५७-५८ में निम्नलिखित वस्तुओं का भारत में कितना आयात किया गया और उसका मूल्य क्या था :—

(१) परिरक्षित दूध

(२) दूध की क्रीम

†मूल अंग्रेजी में

[1]Import of Milk Food and Dairy Products.

(३) बच्चों तथा असमर्थ व्यक्तियों के लिये दूध

(४) दूध का पाउडर

(५) मक्खन

(६) घी; और

(७) पनीर

(ख) क्या गत तीन वर्ष में इन वस्तुओं का आयात बढ़ा है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) १९४७-४८, १९५२-५३, १९५५-५६ और १९५६-५७ (अप्रैल-दिसम्बर,' ५६) में पुराने व्यापार वर्गीकरण के आधार पर जो दिसम्बर, १९५६ तक लागू था और जनवरी-मार्च १९५७, १९५७-५८ और अप्रैल-जून १९५८ में जनवरी १९५७ से लागू किये गये पुनरीक्षित व्यापार वर्गीकरण के अनुसार भारत में किये गये दुग्ध उत्पादों के आयात की मात्रा तथा मूल्य बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ११०]**

(ख) विवरण से पता चलेगा कि १९५५-५६ से १९५७-५८ तक दूध पाउडर और जमे हुए दूध के आयात में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। १९५८-५९ के पहले तीन मास में इनका आयात कम हो गया है। जमे हुए दूध का आयात १९५५-५६ से १९५७-५८ तक धीरे धीरे बढ़ता गया है।

(ग) परिरक्षित अथवा जमे हुए दूध का आयात बढ़ने का यह कारण था कि दिसम्बर, १९५५ तक लाइसेंस देने की नीति बहुत उदार रही। आयात नीति को कड़ा बना देने पर भी आयात बढ़ता गया क्योंकि माल भेजने के लिये पहले से आर्डर दे रखे थे और देश में मांग भी बढ़ रही थी। दूध के पाउडर का आयात पुराने आयात करने वालों के लिये प्रतिबिद्ध कर दिया गया परन्तु पी० एल० ४८० के अन्तर्गत उसकी स्वीकृति दी जा रही है।

खालों का निर्यात

†२१८९. **पंडित ठाकुर दास भार्गव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९४७-४८, १९५२-५३, १९५४-५५, १९५५-५६, १९५६-५७ और १९५७-५८ में निम्नलिखित वस्तुओं का कितना निर्यात किया गया और उसका मूल्य क्या था :—

(१) भैंसों की कच्ची खालें

(२) भैंसों की कमाई हुई खालें

(३) गाय की कच्ची खालें

(४) गाय की कमाई हुई खालें

(५) बछड़ों की खालें, और

(६) बछड़ों की कच्ची खालें ;

(ख) क्या गत तीन वर्ष में इन वस्तुओं का निर्यात बढ़ रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १११]

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

खालों और गोश्त का निर्यात

†२१९०. पंडित ठाकुर दास भार्गव : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९४७-४८, १९५२-५३, १९५४-५५, १९५५-५६, १९५६-५७ और १९५७-५८ में निम्नलिखित वस्तुओं का कितना निर्यात किया गया और उनका मूल्य क्या था :—

(१) बछड़ों की कमाई हुई खालें
(२) हड्डियां
(३) गोश्त
(४) गोमांस
(५) 'टंगस्' (जीभ)
(६) 'बीफ केसिंग' और
(७) आंतें और मरे हुये पशुओं के अन्य उत्पाद ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : जनवरी, १९५७ से पूर्व भारत के विदेशी व्यापार में आंकड़ों में गोमांस और गोश्त के निर्यात के आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते थे. बल्कि उन्हें 'गोमांस और बकरे के गोश्त' में ही शामिल किया जाता था । व्यापार के आंकड़ों में मरे हुये पशुओं के उत्पादों के अलग आंकड़े नहीं हैं परन्तु 'एनिमल केसिंग्स' के जनवरी, १९५७ से पूर्व के और मरे हुये पशुओं के उत्पादों में जनवरी, १९५७ के बाद के आंकड़े उपलब्ध हैं । विभिन्न वस्तुओं के निर्यात के आंकड़े दिखाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ११२]

जीवित पशुओं का निर्यात

†२१९१. पंडित ठाकुर दास भार्गव : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९४७-४८, १९५२-५३, १९५३-५४, १९५४-५५, १९५५-५६, १९५६-५७ और १९५७-५८ में विदेशों को कितने जीवित पशु जैसे कि बन्दर, बैल, गाय, सांड, घोड़े और अन्य पशुओं तथा पक्षियों का निर्यात किया गया और उनका मूल्य क्या था ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :

वर्ष	संख्या	मूल्य (हज़ार रुपयों में)
१९४७–४८	७२,४३०	३,१४२
१९५२–५३	५,५४,२७२	५,१३२
१९५३–५४	४,९६,०३७	४,९९२
१९५४–५५	५,७२,०८१	५,६९१
१९५५–५६	४,७२,१७५	७,११५
१९५६–५७	५,९९,९८७	११,०८७
१९५७–५८	६,३२,०७३	१६,८२६

†मूल अंग्रेज़ी में

भारत का निर्यात व्यापार

†२१९२. पंडित ठाकुर दास भार्गव : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९४७-४८, १९५२-५३, १९५३-५४, १९५४-५५, १९५५-५६, १९५६-५७ और १९५७-५८ में निम्नलिखित वस्तुओं का कितना निर्यात हुआ है और उसका क्या मूल्य है :—

(१) खाई जाने वाली खली

(२) तिलहन

(३) गुआर-गोंद, और

(४) चारा, भूसी, चोकर तथा अन्य जानवरों के खाने योग्य चीजें।

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : गुआर-गोंद के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि भारत के विदेशी व्यापार के आंकड़ों में उसका अलग से अभिलेख नहीं होता। अन्य मदों के सम्बन्ध में लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ११३]

गुआर की कीमतें

†२१९३. पंडित ठाकुर दास भार्गव : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ११ फरवरी, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सन् १९५७ में गुआर की कीमतें बढ़ जाने से उसका निर्यात बन्द कर दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उस समय गुआर की प्रचलित दरें क्या थीं ;

(ग) क्या तब से दरें कम हो गई हैं ; और

(घ) गुआर की वर्तमान दरें क्या हैं ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) जी, हां। गुआर की कमी की शिकायतों के कारण फरवरी, १९५७ में गुआर-गोंद के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था।

(ख) उस समय गुआर की कीमतें १० रु० ७ आना १० पाई से लेकर ११ रुपये १४ आने प्रति मन तक थीं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) अगस्त, १९५८ में कीमतें १४ रुपये प्रति मन से लेकर १७.५० रुपये प्रति मन तक थीं।

गुआर-गोंद का निर्यात

†२१९४. पंडित ठाकुर दास भार्गव : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह मालूम है कि भारत के गुआर-गोंद कारखानों के कुछ मालिक कुछ अमरीकी व्यापारियों से गुआर-गोंद के निर्यात के लिये वायदे के सौदे करते हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो कितने मन गुआर-गोंद निर्यात की जायेगी और ऐसे वायदों की तारीख तथा अवधि क्या है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

खालें

†२१९५. पंडित ठाकुर दास भार्गव : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (१) मारे गये जानवरों से (२) अपने आप मरे हुये जानवरों से भारत में सालाना कितने प्रकार की खालें उपलब्ध होती हैं ;

(ख) किस किस्म की खालों की ज्यादा कीमत मिलती है ; और

(ग) प्रति वर्ष निर्यात की जाने वाली हर प्रकार की खालों की मात्रा तथा उनका मूल्य क्या है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) १९५२ में विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय[1] (खाद्य तथा कृषि मंत्रालय) द्वारा प्रकाशित "भारत में खालों का विपणन" रिपोर्ट के अनुसार खालों के सालाना औसत उत्पादन का अनुमान इस प्रकार लगाया गया है : --

(१) मारे गये जानवरों से	२४.८७ लाख टुकड़े
(२) मरे हुये जानवरों से	. १६४.४० लाख टुकड़े।

(ख) मारे गये जानवरों की खालें अच्छे किस्म की होती हैं और उनके अच्छे दाम मिलते हैं।

(ग) मारे गये जानवरों से मिलने वाली खालों और मरे हुये जानवरों से मिलने वाली खालों के अलग अलग आंकड़े नहीं रखे जाते ।

१९५७-५८ में कमाई गयी खालों की जो मात्रा निर्यात की गई थी उसका मूल्य ५८६ लाख रुपये है ।

भारत सेवक समाज

†२१९६. श्री मं० वें० कृष्णराव : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७-५८ में भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश के भारत सेवक समाज को कितनी वित्तीय सहायता दी है ; और

(ख) किस योजनाओं के लिये सहायता दी गई है ?

†योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र): (क) १९५७-५८ में योजना आयोग ने आंध्र प्रदेश के भारत सेवक समाज को प्रत्यक्ष रूप से कोई वित्तीय सहायता नहीं दी ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Directorate Marketing and Inspection.

आंध्र प्रदेश में हथकरघा उद्योग

†२१९७. **श्री मं० वें० कृष्णराव** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८–५९ में हथकरघा उद्योग के विकास के लिये आंध्र प्रदेश को कितनी रकम बांट में दी गई है ; और

(ख) किन मदों पर रुपया खर्च किया गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) ६५ लाख रुपये ।

(ख) अप्रैल से जुलाई, १९५८ तक राज्य सरकार ने निम्नलिखित रुपया खर्च किया है :—

	रुपये
(१) हथकरघा के कपड़े की बिक्री पर छूट	८,८५,१२४
(२) संगठन सम्बन्धी खर्च	४०,१६७.५७

राजस्थान को लोहे की चादरों और सीमेंट का दिया जाना

†२१९८. **श्री ओंकार लाल** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८–५९ में अब तक राजस्थान को लोहे की चादरों और सीमेंट का कितना कोटा बांट में दिया गया है ; और

(ख) उसमें से अब तक कितनी मात्रा ली जा चुकी है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) अप्रैल—सितम्बर, १९५८ की अवधि में राजस्थान को ७८० टन लोहे की चादरें और १,१०,२८९ टन सीमेंट बांट में दी गई थी। अक्टूबर, १९५८ से मार्च, १९५९ की शेष अवधि के लिये अभी कोटे का निर्धारण नहीं हुआ ।

(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

राजस्थान में केन्द्रीय योजनायें

†२१९९. **श्री ओंकार लाल** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के पहिले दो वर्षों में राजस्थान राज्य में केन्द्रीय सरकार द्वारा संचालित तथा कार्यान्वित की गई योजनाओं पर केन्द्र ने कुल कितना रुपया खर्च किया है ; और

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में कितना रुपया खर्च किया जायेगा ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) और (ख). द्वितीय पंचवर्षीय योजना के पहिले दो वर्षों में राजस्थान में केन्द्र द्वारा संचालित तथा कार्यान्वित की गई योजनाओं के लिये केन्द्रीय सरकार ने जितनी रक़म रखी थी उससे सम्बन्धित जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायगी । जहां तक केवल केन्द्रीय योजनाओं का सम्बन्ध है वहां यह सम्भव नहीं है कि राज्यों तथा क्षेत्रों के अनुसार खर्च का वितरण किया जाये ।

†मूल अंग्रेज़ी में

कर्मचारी राज्य बीमा योजना

†२२००. **श्री ओंकार लाल :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के किन स्थानों पर कर्मचारी राज्य बीमा योजना प्रारम्भ की गई है ; और

(ख) योजना के चालू होने के बाद राजस्थान के प्रत्येक क्षेत्र में श्रमिकों और मालिकों ने अलग अलग कितनी राशि अंशदान में दी है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, पाली—माड़-वार, भीलवाड़ा, लाखेरी, ब्यौवार, तथा सवाई—माधोपुर ।

(ख) प्रशासनिक सुविधा के लिये निगम ने विभिन्न राज्यों को मूल रूप से क्षेत्रों में बांट दिया है तथा राजस्थान राज्य दिल्ली क्षेत्र में शामिल कर दिया गया था जिसमें प्रारम्भ में दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य भारत, अजमेर तथा भोपाल शामिल थे । लेखे राज्यों के आधार पर न रखे जाकर सम्पूर्ण क्षेत्र के लिये रखे गये थे । जुलाई, १९५७ से राजस्थान राज्य के अलग से लेखे रखे जा रहे हैं । जुलाई, १९५७ से ३१ मार्च, १९५८ तक की कर्मचारियों तथा मालिकों की अंशदान की रक़म नीचे दी जाती है :—

	रुपये
मालिकों का अंशदान . .	१,५८,५९३
कर्मचारियों का अंशदान . .	२,०७,४६५

राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के लिये अलग से आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

विदेशों को भारतीयों का आप्रवास

†२२०१. **श्री न० म० देब :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि कनाडा, अमेरिका, आस्ट्रेलिया, मलाया, न्यूगिनी, बर्मा, लंका, उत्तर बोर्नियो, तथा ब्रिटेन में आप्रवास करने वाले भारतीयों का सालाना कोटा कितना है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरु) :**

कनाडा	३००
अमेरिका	१००
ब्रिटेन . .	आप्रवास पर कोई निर्बन्धन नहीं है ।

अन्य देशों के बारे में कोई कोटा निश्चित नहीं किया गया और वहां आप्रवास की अनुमति नहीं दी जाती ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना

†२२०२. **श्री राम कृष्ण :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बन जाने के बाद ऐसी कितनी नई परियोजनायें हैं और

†मूल अंग्रेज़ी में

उनके क्या नाम हैं जिनकी लागत पचास लाख रुपये या इससे अधिक है और जिन्हें द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिया गया है; और

(ख) इन योजनाओं के मूल प्रावकलन की अपेक्षा इन को पूरा करने के लिये कितनी अतिरिक्त निधि की जरुरत होगी !

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) लोक सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ११४]**

(ख) उपर्युक्त विवरण के खाना '३' में जानकारी दी गई है ।

पंजीबद्ध समवाय

†२२०३. **श्री राम कृष्ण** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७–५८ में दिल्ली में जिन समवायों को पंजीबद्ध किया गया है, उनके क्या नाम हैं ;

(ख) इन समवायों में से प्रत्येक की प्राधिकृत पूंजी क्या है ;

(ग) इस अवधि में दिल्ली के कितने समवायों का परिसमापन हो गया है;

(घ) ऐसे कितने समवाय हैं जिनके खिलाफ़ समवाय अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों का पालन न करने की शिकायतें दायर की गई हैं ; और

(ङ) प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख). लोक सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ११५]**

(ग) लोक सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ११६]**.

(घ) और (ङ). लोक सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ११७]**

सीमेंट कारखाने

†२२०४. { **श्री राम कृष्ण** :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सीमेंट कारखानों के क्या नाम हैं जिनका द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में विस्तार किया जा रहा है और उनके इस विस्तार के कब पूरे होने की सम्भावना है ; और

(ख) इस योजना के अन्तर्गत सीमेंट की कितनी मात्रा तैयार होगी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख). लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ११८]**। वर्तमान कारखानों के विस्तार के लिये मंजूर की गई सालाना ३५·१ लाख टनों की कुल क्षमता में से १९·९ लाख टन की क्षमता को अब तक आयात लाइसेंसों के ज़रिये पूरा किया जाता है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि समाप्त होने के पहिले उसको देश के कारखानों द्वारा ही पूरा किये जाने की सम्भावना है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

मजदूरों की व्यथाओं का निवारण करने की प्रक्रिया

†२२०५. **श्री राम कृष्ण :** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मज़दूरों की व्यथाओं का निवारण करने और देश में सौहार्दपूर्ण औद्योगिक सम्बन्धों की स्थापना करने के लिये विस्तृत प्रक्रिया बना ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) और (ख). सम्बन्धित संगठनों के प्रतिनिधियों के परामर्श से शिकायतों को शीघ्र निपटाने के लिये एक आदर्श प्रक्रिया बनायी जा रही है ।

बर्मा भू-राष्ट्रीयकरण अधिनियम

†२२०६. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बर्मा में भू-राष्ट्रीयकरण अधिनियम का कितने ऐसे भारतीय राष्ट्रजनों पर प्रभाव पड़ा है जिन्हें ३१ अगस्त, १९५८ तक क्षतिपूर्ति की रकम चुका दी गई है ; और

(ख) अभी भी कितने मामले विचाराधीन हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरु) :** (क) ऐसा पता चला है कि ३० जून, १९५८ तक ऐसे ५९७ भारतीय राष्ट्रजनों को क्षतिपूर्ति की रकम दे दी गई है जिनकी भूमि का राष्ट्रीयकरण किया गया है ।

(ख) चूंकि बर्मा सरकार भारतीय राष्ट्रजनों की क्षतिपूर्ति के दावों के आवेदनपत्रों के सम्बन्ध में अलग से कोई आंकड़े नहीं रखती अतएव ये आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

दस्तकारी का विकास

†२२०७. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में दस्तकारी का विकास करने के लिये दिल्ली प्रशासन को वित्तीय सहायता देने का कोई प्रस्ताव रखा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कुल कितनी रकम देने का प्रस्ताव रखा गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) जी, हां ।

(ख) दिल्ली प्रशासन के अन्तर्गत दस्तकारी के विकास के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ८ लाख रुपयों की व्यवस्था की गई है । परन्तु योजना की पुनर्समीक्षा होने के कारण, शायद इस निर्धारित रकम को भी बदल दिया जाए ।

गोआ-बम्बई स्टीमर सेवा

†२२०८. **श्री न० रा० मुनिस्वामी :**
सरदार इकबाल सिंह :
श्री आसर :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत-सरकार गोआ और बम्बई के बीच फिर से स्टीमर यातायात चालू करने के प्रश्न पर विचार कर रही है; और

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) यदि हां, तो सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) और (ख). जी, हां। यह प्रश्न विचाराधीन है और अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया।

भारत का राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड

†२२०९. **श्री मोहम्मद इमाम** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक राज्य व्यापार निगम ने मैंगनीज की कितनी मात्रा खरीदी है और किस दर पर खरीदी है ;

(ख) इसमें से कितना मैंगनीज निर्यात किया गया है; और

(ग) इसमें राज्य व्यापार निगम ने कितना लाभ उठाया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: अब तक निगम ने सभी दर्जे का १०,२१,१८६ टन मैंगनीज खरीदा है जिसमें से लगभग ५,८८,५९१ टन जहाजों द्वारा बाहर भेज दिया गया है। इसकी खरीद उन प्रचलित बाजार दरों पर की गई थी जो समय समय पर बदलती रहती है। निगम के व्यापार हित के लिये यह बताना उचित नहीं है कि प्रत्येक लेन देन में क्या कीमत थी और क्या फायदा हुआ है। फिर भी, निगम की १९५७–५८ की वार्षिक रिपोर्ट ज्यों ही तैयार हो जाएगी त्यों ही सभा-पटल पर रख दी जाएगी। निगम की सन् १९५६–५७ की वार्षिक रिपोर्ट पहिले ही सभा-पटल पर रख दी गई है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग

†२२१०. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के औद्यानिकी विभाग ने दिल्ली के ऊबड़ खाबड़ टीलों को सुन्दर-स्थलों में बदलने के लिये कोई विस्तृत योजना बनाई है ;

(ख) इस योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब तक इस सम्बन्ध में कितना काम किया है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) से (ग). दिल्ली के ऊबड़ खाबड़ टीले वालों क्षेत्र के विकास के लिये एक विस्तृत योजना बना ली गई है। इस दिशा में दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में तारों की बाढ़ लगाकर तथा वृक्ष लगा कर श्रीगणेश कर दिया गया है।

विस्थापित व्यक्तियों को आवंटन

†२२११. **श्री हेम राज** : क्या **पुनर्वास तथा अल्प-संख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों ने जमीन तथा घरों के ऐसे कितने जाली तथा दुहरे आवंटन कराये हैं जिनका अब तक (प्रत्येक राज्य में) पता लगा है; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उनके खिलाफ क्या कार्वाही की गई है ?

†**पुनर्वास तथा अल्प-संख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर लोक-सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

जूट के माल का निर्यात

†२२१२. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८–५९ में अब तक कितना जूट का माल बाहर भेजा गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : अप्रैल-जुलाई १९५८ में २४५,२६२ टन जूट का माल निर्यात किया गया है।

अफगानिस्तान के साथ व्यापार

†२२१३. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या प्रधान मंत्री ११ फरवरी १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ४० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तब से अफगानी माल के भारत में से ले जाये जाने से सम्बन्धित प्रक्रिया का अन्तिम निर्णय हो चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो वह क्या है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरु)**: माननीय सदस्य का ध्यान लोक सभा में ११-२-५८ को तारांकित प्रश्न संख्या ४० का जो उत्तर दिया गया था, उसकी ओर आकर्षित किया जाता है। तब से स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

कच्ची फिल्मों का आयात

†२२१४. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : और

(क) अब तक १९५८ में कच्ची फिल्म के कितने फुट आयात करने की अनुमति दी जा चुकी है ; और

(ख) इसमें कुल कितनी विदेशी मुद्रा लगेगी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख). अनुज्ञापत्र अवधियों के अनुसार ही अनुज्ञापत्र सम्बन्धी आंकड़े रखे जाते हैं। आजकल अनुज्ञापत्र अवधि वित्तीय वर्ष के आधार पर ही विभाजित की गई है। अक्टूबर १९५७—मार्च १९५८ की अवधि तथा अप्रैल—सितम्बर १९५८ (२–८–१९५८) तक की अवधि में क्रमश: १०१ लाख रुपयों तथा ७६ लाख रुपयों की कच्ची फिल्मों के लाइसेंस दिये गये थे। यह हिसाब लगाया जाता है कि इसी अवधि में क्रमश: ११५० लाख फुट और ८५० लाख फुट कच्ची फिल्म का लाइसेंस दिया गया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब में अम्बर चर्खा कार्यक्रम

†२२१५. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अम्बर चर्खा योजना प्रारम्भ होने की तारीख से अब तक उसको कार्यान्वित करने के लिये पंजाब राज्य को अनुदान तथा ऋण के रूप में कितना रुपया दिया गया है ;

(ख) अब तक कितना रुपया खर्च हुआ है ; और

(ग) उसका क्या नतीजा हुआ है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) पंजाब राज्य में अम्बर चर्खा कार्यक्रम को अपनाने के लिये १५ अगस्त १६५८ तक पंजाब सरकार, पंजाब खादी तथा उद्योग बोर्ड, संस्थाओं, आदि को अनुदान के रूप में २५,५६,७६६ रुपये तथा ऋण के रूप में ४४,६१,५०० रुपये दिये गये हैं ।

(ख) अद्यावत् जानकारी उपलब्ध नहीं है फिर भी ३१ दिसम्बर, १६५७ तक अनुदान तथा ऋणों को मंजूर की गई राशियों में से क्रमशः ७,६४,०३५ रुपयों तथा २७,३०,६१२ रुपये इस काम में लगा दिये गये हैं ।

(ग) लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ११८]**

जेलों में अम्बर चर्खा प्रारम्भ करना

†२२१६. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जेलों में अम्बर चर्खा प्रारम्भ करने की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो जिन राज्यों ने जेलों में अम्बर चर्खे प्रारम्भ कर दिये हैं उनके क्या नाम हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) जी, हां ।

(ख) बम्बई, मध्यप्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश ।

पंजाब को सीमेंट का कोटा

†२२१७. { **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री दलजीत सिंह :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब तक १६५८-५६ में पंजाब को दिये जाने वाले सीमेंट के कोटे में कोई कमी की गई है ;

(ख) उपर्युक्त अवधि में पंजाब को वास्तव में सीमेंट की कितनी मात्रा दी गई है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या इस वर्ष पंजाब सरकार ने सीमेंट के कोटे में वृद्धि करने की प्रार्थना की है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जी, नहीं।

(ख) १ अप्रैल, १९५८ से ३१ अगस्त, १९५८ तक की अवधि में राज्य के कोटे के हिसाब में से १,४२,८५६ टन सीमेंट भेजी जा चुकी है।

(ग) पंजाब की १ अप्रैल, १९५८ से ३० सितम्बर, १९५८ तक की अवधि के लिये सीमेंट की मांग १९५,१७० टन थी और उसको इस अवधि के लिये १३५,२६६ टन सीमेंट बांट में दी गई थी जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में सीमेंट की मांग २,९४,२१० टन और उसकी बांट की मात्रा ९६,००० टन थी।

पंजाब में हथकरघा सहकारी समितियां

†२२१८. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि पंजाब राज्य के ६०,००० हथकरघा बुनकरों में से केवल १२ प्रतिशत बुनकरों ने ही अपने आप को औद्योगिक-सहकारी समितियों के रूप में संगठित किया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: जी, नहीं। ३०-६-१९५८ को सहकारी क्षेत्र में पंजाब राज्य के १०,६७७ बुनकर थे जो राज्य के बुनकरों का लगभग १७ प्रतिशत होते हैं।

महा अभिरक्षक, दिल्ली

†२२१९. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या पुनर्वास तथा अल्प-संख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि महा अभिरक्षक तथा निष्क्राम्य सम्पत्ति के अभिरक्षक दिल्ली के न्यायालयों से न्यायिक दस्तावेजों तथा न्यायालय शुल्क के स्टाम्पों (कोर्ट फीस स्टाम्प्स) की चोरी के बारे में कितनी शिकायतें की गई हैं ?

†**पुनर्वास तथा अल्प-संख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : दिल्ली के महा अभिरक्षक के न्यायालय से न्यायिक दस्तावेजों तथा न्यायालय शुल्क के स्टाम्पों (कोर्ट फीस स्टाम्प्स) की चोरी होने की दो शिकायतें आई हैं और निष्क्राम्य सम्पत्ति अभिरक्षक, दिल्ली के न्यायालय से ऐसी कोई शिकायत नहीं आई।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के बिजली उपविभाग

†२२२०. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५४ में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के दिल्ली स्थित कुछ बिजली उपविभागों में होने वाले कदाचारों की जांच-पड़ताल की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) और (ख). जी, हां। निम्नलिखित बिजली उपविभागों में आरोपित अनियमितताओं और कदाचारों के सम्बन्ध में जो

---

†मूल अंग्रेजी में

शिकायतें की गई थीं उनकी जांच पड़ताल १९५४ में की गई थी :—

(१) वातानुकूलन विभाग का उपविभाग संख्या ३, नई दिल्ली।

(२) बिजली विभाग, २ का उपविभाग संख्या ३, नई दिल्ली।

जांच-पड़तालों से निम्नलिखित कदाचारों का पता चला :

(१) भण्डार सामग्री, औजारों और संयंत्रों का गबन।

(२) निर्धारित स्टैण्डर्ड से निम्न कोटि का काम तथा टेंडरों की पड़ताल करने और कार्य-आदेश तैयार करने में अनियमिततायें।

(३) कर्म-भारित[1] श्रमिकों से अफ़सरों के घरों में निजी काम कराना।

इन जांच-पड़तालों के फलस्वरूप, आठ ऐसे अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनीय कार्यवाही की गई हैं जो उनके खिलाफ लगाये गये दोषों के लिये अपराधी थे।

औद्योगिक विकास

†२२२१. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ उद्योगों ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों को पार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उन उद्योगों के क्या नाम हैं और उनका वर्त्तमान उत्पादन क्या है ;

(ग) क्या इन उद्योगों के लिये नये लक्ष्य-निश्चित किये जायेंगे ; और

(घ) यदि हां, तो वे क्या हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री):** (क) और (ख). यथासम्भव प्राप्य जानकारी बताने वाला एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १२०**]

(ग) और (घ). विदेशी मुद्रा की वर्त्तमान कठिन स्थिति तथा तृतीय पंचवर्षीय योजना अवधि में पुनर्भुगतानों के कारण होने वाले आर्थिक वित्तीय दबाव को देखते हुए सरकार का फिलहाल इन लक्ष्यों को बदलने का कोई विचार नहीं है।

सूत का वितरण

†२२२२. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में सूत का वितरण करने की कोई नयी प्रणाली शुरू की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री):** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Work-charged.

पंजाब में छोटे पैमाने के उद्योग

†२२२३. **श्री दलजीत सिंह :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान में लोगों को रोजगार देने के लिये किस प्रकार के उद्योग स्थापित किये जायेंगे ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** चूंकि छोटे पैमाने के उद्योग अधिकांशत: गैर सरकारी लोगों द्वारा स्थापित किये जाते हैं, इस कारण भविष्य में किस प्रकार के उद्योग स्थापित किये जायेंगे यह नहीं कहा जा सकता। नये उद्योग खोलने की अग्रिम योजनाओं के बारे में राज्य सरकार विपणन सम्बन्धी सम्भाव्यताओं, कच्चे माल की उपलब्धता तथा उस प्रदेश के कारीगरों की कुशलता और रुचि पर भी विचार करेगी।

रूस को कृषि वस्तुओं का निर्यात

†२२२४. **श्री नलदुर्गकर :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोवियत रूस ने कृषि वस्तुओं के संभरण के लिये भारत को आर्डर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो वे वस्तुएं कौन-कौन सी हैं और कितनी राशि का संविदा किया गया है ;

(ग) क्या इन वस्तुओं का निर्यात रूस को किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो कुल कितने टन माल निर्यात किया गया और उसका कितना मूल्य था ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) जी हां।

(ख) यह ब्यौरा केवल गैर सरकारी विक्रेताओं को ही मालूम है और स्वाभाविक है कि सरकार को इसकी जानकारी नहीं है।

(ग) और (घ). निर्यात का सम्पूर्ण ब्यौरा वाणिज्यिक सूचना तथा सांख्यिकी महानिदेशक के सांख्यिकीय प्रकाशन में देखा जा सकता है, जिसकी प्रतियां सदन के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

पाकिस्तानियों द्वारा पकड़ कर ले जाये गये भारतीय कर्मचारी

†२२२५. **श्री तंगामणि :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बेलोरिया सब-डिवीजन के वन-विभाग के दो कर्मचारियों को १६ अगस्त, १९५८ को पाकिस्तानी सेना के लोग पकड़ ले गये थे ;

(ख) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) उन अधिकारियों के नाम क्या हैं और वे इस समय कहां हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) से (ग). तथ्य ये हैं कि १५ अगस्त, १९५८ को पाकिस्तानियों ने भारतीयों के दल पर आक्रमण कर दिया जिसमें एक फोरेस्टर और दो वन रक्षक शामिल थे। इन पर सीमा से २०० गज पर मध्यम कृष्णनगर

---

†मूल अंग्रेजी में

गांव के निकट आक्रमण किया गया था और पाकिस्तानी फारेस्टर श्री पंकज मुखर्जी को पकड़ कर ले गये। उन्हें छोड़ने का प्रश्न पाकिस्तान में ३० अगस्त से लेकर २ सितम्बर, १६५८ तक हुए भारत-पाक सम्मेलन में उठाया गया था जबकि हाल में सीमान्त पर हुई घटनाओं में अन्तर्ग्रस्त कैदियों की सूची का आदान-प्रदान किया गया था। यह तय हुआ था कि वे कैदी जिनका नाम दोनों सरकारों द्वारा तैयार की गई सूचियों में है उन्हें ६ सितम्बर को छोड़ दिया जायेगा और उन कैदियों के सत्यापन और शीघ्र ही छोड़े जाने के बारे में कार्यवाही की जायेगी जिनके नाम दोनों सरकारों की सूचियों में नहीं हैं। श्री पंकज मुखर्जी का नाम पाकिस्तान द्वारा तैयार की गई सूची में न होकर केवल भारत की सूची में था। अतः ऐसी दशा में सत्यापन अत्यन्त आवश्यक है। इस मामले को आगे बढ़ाया जा रहा है।

टाटा मर्सेडीज बेंज ट्रक

†२२२६. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बनी ट्रकें विशेषकर टाटा मर्सेडीज बेंज हमारे देश की जैसी सड़कों के लिये अनुपयुक्त और असुरक्षित हैं ; और

(ख) क्या कुछ सुधार करने का विचार किया जा रहा है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) सरकार को ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

खादी ग्रामोद्योग भवन

†२२२७. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी तथा उद्योग भवन खादी ग्रामोद्योग भवनों के विभिन्न केन्द्रों पर नियंत्रण रखता है ;

(ख) यदि हां, तो देश में कितने खादी ग्रामोद्योग भवन विद्यमान हैं ; और

(ग) इन भवनों में कितने कर्मचारी लगाये गये हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जी हां।

(ख) ऐसे चार 'भवन' हैं। दिल्ली, मद्रास और कलकत्ता के तीन खादी ग्रामोद्योग भवन खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा सीधे चलाये जा रहे हैं। बम्बई में खादी ग्रामोद्योग भवन का प्रबन्ध, बम्बई उपनगर ग्रामोद्योग एसोसियेशन, बम्बई को सौंप दिया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) कर्मचारियों की संख्या निम्न प्रकार है :—

भवन का नाम	लगाये गये कर्मचारियों की संख्या
१. खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली . .	१७४
२. खादी ग्रामोद्योग भवन, मद्रास	६१
३. खादी ग्रामोद्योग भवन, कलकत्ता .	९२
४. खादी ग्रामोद्योग भवन, बम्बई	१६०

ट्रैक्टरों और बुलडोजरों का आयात

†२२२८. **श्री न० रा० मुनिस्वामी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २९ अप्रैल, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १९२३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८–५९ में जितनी ट्रकों और बुलडोजरों की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया था उसमें से कितनी संख्या में इनका आयात किया जायेगा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** १९५८–५९ में कितने ट्रैक्टरों और बुलडोजरों का आयात किया जाने वाला है उसका इस प्रक्रम पर अनुमान नहीं लगाया जा सकता। किन्तु ९–८–५८ तक चालू लाइसेंस काल (अप्रैल-सितम्बर, १९५८) में ५० से नीचे डी० बी० एच० पी० वाले ट्रैक्टरों के लिये १०६ लाख रुपये के मूल्य के लाइसेंस दिये गये थे। अनुमान है कि लगभग ६०० से ६५० ट्रैक्टरों का आयात किया जायेगा। उक्त काल में ५० डी० बी० एच० पी० से अधिक शक्ति वाले ट्रैक्टरों के लिये २९ लाख रुपये के मूल्य के लाइसेंस दिये गये हैं। इतनी बड़ी संख्या में सामान आदि आयात किये जाने को दृष्टि में रखते हुए यह बता सकना सम्भव नहीं कि कितनी संख्या में ट्रैक्टर आयात किये जायेंगे।

१९५८–५९ के उत्तरार्द्ध में ट्रैक्टरों की आयात नीति अभी नहीं बन सकी है और न ही इस प्रक्रम पर यह बता सकना सम्भव होगा कि आयात नीति क्या हो सकती है ।

आयात व्यापार नियंत्रण नीति में बुलडोजर अलग से नहीं रखे गये हैं और उसका आयात भी उसी क्रमांक में होता है जिसमें ट्रैक्टरों का।

पश्चिमी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्ति

†२२२९. { **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **पुनर्वास तथा अल्प-संख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों में वितरण के लिये निस्क्रमणार्थी सम्पत्ति के रूप में कुल कितनी भूमि उपलब्ध है तथा किन-किन व्यक्तियों को इस भूमि का वितरण किया गया है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) प्रति परिवार औसतन कितनी भूमि आवंटित की गई ?

पुनर्वास तथा अल्प-संख्यक कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) पश्चिमी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों के लिये भारत में लगभग ६०.३५ एकड़ निष्क्रमणार्थी भूमि उनके पुनर्वास के लिये उपलब्ध थी । यह भूमि लगभग ५.६८ लाख विस्थापित परिवारों को आवंटित की गई ।

(ख) दो प्रकार के आवंटन किये गये थे उदाहरणत:

(१) पश्चिमी पाकिस्तान में विस्थापित व्यक्तियों द्वारा छोड़ी गई भूमि के बदले में अर्द्ध-स्थायी योजना के अधीन आवंटन भूमि में ग्रेड के अनुसार कटौती की गई और जिस के पास जितनी ही अधिक भूमि थी उसमें उतनी ही अधिक कटौती की गई थी ; और

(२) भूमि जोतने वालों के पुनर्वास के लिये आवंटन, भले ही उनके पास पश्चिमी पाकिस्तान में भूमि न रही ो । इस दशा में प्रत्येक आवंटक को आर्थिक जोत आवंटित करने का प्रयत्न किया गया था ; जोत कितनी थी यह प्रत्येक क्षेत्र में भूमि की उत्पादकता पर निर्भर करता है ।

पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित परिवार

†२२३०. { **श्री सं० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **पुनर्वास तथा अल्प-संख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित परिवारों के पुनर्वास के लिये अब तक कुल कितनी भूमि प्राप्त की गई है ; और

(ख) प्रति परिवार को कितनी भूमि आवंटित की गई ?

†**पुनर्वास तथा अल्प-संख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) २,२७,४५४ एकड़ ।

(ख) प्रत्येक कृषक को आवंटित की जाने वाली भूमि प्रत्येक क्षेत्र में भूमि की उत्पादकता पर निर्भर करती है। त्रिपुरा और आसाम में २ से ३ एकड़ से लेकर उत्तर प्रदेश में ८ एकड़ तक है ।

विस्थापित व्यक्तियों को प्रतिकर

†२२३१. { **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों को जो कुछ निष्क्रमणार्थी सम्पत्ति मिली है उसके अतिरिक्त उन्हें अब तक कुल कितनी राशि प्रतिकर देने में व्यय की गई है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इससे कितने परिवारों को लाभ पहुंचा है ; और

(ग) ऐसे व्यवसाय तथा व्यापारिक कम्पनियों की संख्या कितनी है जिन्होंने पश्चिमी पाकिस्तान से आये विस्थापितों को रोजगार देने का प्रस्ताव रखा था ?

†**पुनर्वास तथा अल्प-संख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) ३१ जुलाई, १९५८ तक ८७.५४ करोड़ रुपये की राशि प्रतिकर के रूप में दी गई है, जो निम्न प्रकार है :—

(१) नकद	४८·०८ करोड़ रुपये
(२) सम्पत्ति के हस्तांतरण के रूप में . .	२५·०५ करोड़ रुपये
(३) सार्वजनिक देयों के समायोजन द्वारा . .	१४·४१ करोड़ रुपये
योग	८७·५४ करोड़ रुपये

(ख) ३,०९,९४८ ।

(ग) पश्चिमी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों को किन व्यवसायों तथा व्यापारिक कम्पनियों ने काम देने का प्रस्ताव रखा है । इसके आंकड़े नहीं रखे गये हैं और इस प्रक्रम पर जानकारी का संकलन कर सकना भी सम्भव नहीं है ।

उत्तर प्रदेश को केन्द्रीय सहायता

२२३२. **श्री सरजू पांडे** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत १९५८–५९ में केन्द्रीय सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को सहायता के रूप में दी जाने वाली धनराशि कम कर दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस से राज्य की किन किन योजनाओं पर प्रभाव पड़ेगा ?

योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) : (क) जी नहीं ; १९५८–५९ में राज्य सरकार को २४·२९ करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता देने की सूचना दी गई है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

राज्यों की योजनायें

२२३३. **श्री सरजू पांडे** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों से यह जानकारी देने की प्रार्थना की गई है कि राज्य में कौन-कौन सी योजनायें आरम्भ ही नहीं की जा सकीं या कौन कौन सी प्रारम्भिक अवस्था में हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) ६ राज्यों से जानकारी प्राप्त हो चुकी है और उसका अध्ययन किया जा रहा है ।

†मूल अंग्रेजी में

अम्बर चर्खा शिक्षार्थियों को वृत्ति

२२३४. **श्रीमती मिनीमाता** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अम्बर चर्खे का उपयोग सीखने वाले शिक्षार्थियों को प्रशिक्षण काल में कुछ वृत्ति देती है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में ऐसी वृत्तियां दी गई हैं और कितने शिक्षार्थियों ने उससे लाभ उठाया ;

(ग) क्या अम्बर चर्खे का उपयोग सीखने वाली प्रत्येक महिला को बीस रुपये प्रति मास की वृत्ति देने की भी व्यवस्था की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो कितनी महिलाओं को यह वृत्ति दी गई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री): (क) से (ग). अम्बर चर्खा कार्यक्रम के अधीन प्रशिक्षण पाने वाले पुरुषों तथा महिलाओं दोनों को सभी राज्यों में वृत्ति दी जाती है। जहां तक केन्द्र शासित प्रदेशों का सम्बन्ध है, अभी तक केवल दिल्ली को ही सहायता दी गयी है। ३० जून, १९५८ तक २,०७,०२५ प्रशिक्षिणार्थी यह सुविधा प्राप्त कर चुके हैं।

प्रत्येक प्रशिक्षिण क्रम के लिये २० रुपये वृत्ति दी जाती है । सीखे हुए कतवारों को किराया खरीद प्रणाली के अन्तर्गत अम्बर चरखा देने पर इस वृत्ति में से कुछ भाग उसके मूल्य में काट लिया जाता है। लेकिन प्रशिक्षिण के दौरान में प्रशिक्षणार्थी जो सूत कातते हैं, अगर वह अच्छा हुआ तो उस पर दो आना प्रति घुंडी की दर से मजूरी दी जाती है।

(घ) इस योजना से जिन महिलाओं को लाभ पहुंचा है, उनकी संख्या १,७१,००० है।

'टेन कमाण्डमेंट्स' नामक फिल्म

२२३५. **श्री मुहम्मद ताहिर** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'टेन कमाण्डमेंट्स' नामक अंग्रेजी फिल्म बम्बई में दिखाई जा रही है ;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त फिल्म में पैगम्बर मूसा अलिय-हिसालम का चरित्र वर्णित है ;

(ग) क्या यह सच है कि यह फिल्म दिल्ली में भी दिखायी जाने वाली है ;

(घ) क्या यह सच है कि मध्य-पूर्व तथा अन्य सभी स्थानों के मुस्लिम देशों ने इस फिल्म पर प्रतिबन्ध लगा दिया है ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या भारत में भी सरकार इस पर प्रतिबन्ध लगाने का विचार करती है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) से (ग). "टेन कमाण्डमेंट्स" नामक फिल्म भारत में एक वाणिज्यिक वितरक द्वारा वितरित की जा रही है। सेंसर बोर्ड द्वारा इसे प्रमाणित किया गया है और बम्बई में पहले से ही यह फिल्म दिखाई जा रही है। कुछ समय पूर्व सरकार

†मूल अंग्रेजी में

को इस बारे में शिकायतें प्राप्त हुई थीं कि इस फिल्म में पैगम्बर मूसा की तौहीन की गई है। सरकार के निदेश पर सेंसर बोर्ड की मंत्रणा तालिका के गैर-सरकारी सदस्यों की एक समिति द्वारा दिल्ली में इसकी जांच की गई जिसमें एक मुस्लिम सदस्य भी था। उनका दृष्टिकोण यह था कि यह फिल्म जो ओल्ड टेस्टामेण्ट की एक कहानी पर आधारित है, आपत्तिजनक नहीं है।

(घ) सरकार को कोई विशिष्ट जानकारी नहीं है।

(ङ) प्रश्न के पूर्व भाग के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

कार्यालयों का स्थानान्तरण

†२२३६. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कपूरथला, नाभा और मलेरकोटला के बड़े और भव्य भवनों में तमाम जगह खाली है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ केन्द्रीय सरकार के कार्यालय स्थानान्तरित करने के बारे में कोई प्रयत्न किया गया है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) और (ख). पंजाब सरकार द्वारा मार्च, १९५७ में दी गई जानकारी के अनुसार नाभा और कपूरथला में केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों की स्थापना करने के लिये उपयुक्त कोई भव्य स्थान खाली नहीं था। तत्पश्चात् यह पता लगा था कि हो सकता है कि कपूरथला में कार्यालयों के लिये कोई उपयुक्त स्थान खाली मिल जाये, किन्तु जब तक कि निवास के लिये, स्थान सम्बन्धी कठिनाइयां हल नहीं की जातीं तब तक इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। इस मामले की जांच की जा रही है। मलेरकोटला में कोई उपयुक्त स्थान खाली है इसकी जानकारी हमें नहीं है।

'बड़ा होती'

२२३७. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **प्रधान मंत्री** २९ अप्रैल, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २९३८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के गढ़वाल जिले में तिब्बती सीमान्त पर स्थित 'बड़ा होती' पठार को लेकर भारत सरकार व चीन की लोक गणराज्य सरकार के बीच जो पत्र-व्यवहार चल रहा था, उस का क्या परिणाम निकला है; और

(ख) वह 'बड़ा होती' का पठार इस समय किस के अधिकार में है—भारत सरकार के अधिकार में अथवा चीन की लोक गणराज्य सरकार के अधिकार में ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरु) : (क) चीन लोक गणराज्य के साथ इस विषय पर विस्तार से हाल ही में बातचीत हुई थी। ये बातचीत आगे भी होती रहेगी। हमारा ख्याल है कि इस स्थिति में कुछ भी बताना ठीक न होगा।

(ख) 'बड़ा होती' नाम की यह छोटी सी चरागाह भारतीय प्रदेश (उत्तर प्रदेश) में है।

---

† मूल अंग्रेज़ी में

गवेषणा तथा निर्देश विभाग

†२२३८. **श्री प्रमथ नाथ बनर्जी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मंत्रालय के गवेषणा तथा निर्देश विभाग को भारत की विभिन्न भाषाओं में कितनी पुस्तकों का संभरण किया गया है और प्रत्येक राष्ट्रीय भाषा की पुस्तकें खरीदने में कितना धन व्यय किया गया है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : गवेषणा तथा निर्देश विभाग का पुस्तकालय प्रणालीबद्ध नहीं बना है। और जिस में प्रमुख रूप से सांख्यिकी संबंधी प्रकाशन, सरकारी प्रतिवेदन तथा सुसंगत पत्रिकायें आती हैं। वित्त के अनुसार उसे एक अच्छा पुस्तकालय बनाने का विचार है। इस चीज को आरम्भ करने पर विभिन्न भाषाओं में पुस्तकें भी उपलब्ध हो जायेंगी।

हिमाचल प्रदेश में पंजीबद्ध समवाय

†२२३९. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री हिमाचल प्रदेश की जिलेवार पंजीबद्ध समवायों के नाम बताने की कृपा करेंगे ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक जिले की पंजीबद्ध समवायों का नाम बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १२१]**

सीमान्त घटनायें

†२२४०. { **श्री बसुमतारी** :
श्री लीलाधर कटकी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान आसाम के मुख्य मंत्री द्वारा सदन में दिये गये इस वक्तव्य की ओर आकर्षित किया गया है कि आसाम के सीमान्त क्षेत्रों में पाकिस्तान की सेना टुकड़ियों द्वारा चलाई गई गोली के परिणामस्वरूप ६ व्यवित मारे गये और १६ व्यक्ति घायल हुए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या पाकिस्तान से इस का कोई प्रतिरोध किया गया था और उस के परिणाम स्वरूप कुछ प्रतिकर मांगा गया है ;

(ग) क्या इस घटना की संयुक्त जांच करने के लिये आदेश दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम निकला ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी हां। सरकार ने आसाम के मुख्य मंत्री द्वारा २३ अगस्त, १९५८ को आसाम विधान सभा में दिया गया वक्तव्य देखा है। वास्तव में आसाम की सीमान्त घटना में सात भारतीय मारे गये हैं।

(ख) जी हां। अनेक प्रतिरोध किये गये हैं। भारतीयों की जानें और सम्पत्ति चले जाने के लिये पाकिस्तान सरकार से प्रतिकर की मांग की गई है। पाकिस्तान की सरकार ने विरोध का प्रतिरोध किया है और उस ने भी अपने यहां के लोगों की जानें और सम्पत्ति चले जाने के लिये प्रतिकर की मांग की हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

विदेश सेवा निरीक्षक

†२२४१. **श्री दिनेश सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश सेवा निरीक्षक, जो हाल में दौरे पर गये थे, वापस लौट आये हैं;

(ख) क्या उन्हों ने सरकार को कोई रिपोर्ट दी है; और

(ग) यदि हां, तो उस का प्रमुख ब्यौरा क्या है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) जी हां ।

(ख) जी हां, प्रत्येक दौरे के देश के बारे में ।

(ग) रिपोर्टों में ये बातें हैं :—

(१) विदेशी भत्ते पर पुनरीक्षण के लिये प्रस्ताव ।

(२) प्रशासन, सेवा और संभरण के संबंध में विविध सिफारिशें; और

(३) दौरा किये गये मिशनों की सामान्य स्थिति के बारे में गोपनीय रिपोर्ट ।

इंग्लिस्तान स्थित उच्च आयोग में भारतीय कर्मचारी

†२२४२. **श्री दिनेश सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंग्लिस्तान स्थित भारतीय उच्च आयोग में कर्मचारियों की संख्या में कमी करने का कोई विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या प्रगति की गई है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) जी हां ।

(ख) १९५७ में चलाये गये सामान्य मितव्ययिता आन्दोलन के एक अंग के रूप में यह निश्चय किया गया था कि वैदेशिक-कार्य मंत्रालय, प्रतिरक्षा, शिक्षा तथा निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय के लिये कुल ११४ स्थानों की पूर्ति नहीं की गई । पांच अन्य स्थानों की पदावनति कर दी गई है । इस के परिणामस्वरूप प्रतिवर्ष ८३,८५२ पौण्ड की बचत होगी ।

इंग्लिस्तान स्थित उच्चायोग के प्रतिष्ठान के पुनर्गठन के प्रश्न के संबंध में यह निश्चय किया गया है कि उच्चायोग के कुछ विभागों के कार्य अध्ययन को लागू करने के लिये वित्त मंत्रालय के विशेष पुनर्गठन एकक का एक पदाधिकारी दल भेजा जाये ।

पंजाब में कुटीर उद्योग

†२२४३. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब राज्य में सहकारिता के आधार पर १९५७ में कितने कुटीर उद्योग खोले गये हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** पंजाब राज्य में सहकारिता के

---

†मूल अंग्रेजी में

आधार पर १९५७-५८ में निम्न कुटीर उद्योग चलाये गये थे :—

उद्योग का नाम	सहकारी समितियों की संख्या
१. जूते तथा चमड़े का अन्य सामान बनाना, चमड़ा कमाना, खाल उतारना और हड्डी का चूरा तैयार करना . .	१८९
२. गांवों में बर्तन बनाना . . .	१
३. कपास, रेशम तथा ऊन का बुनना . .	११४
४. दस्तकारी	५३
योग . .	३५७

त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों को बसाने के लिये भूमि

†२२४४. **श्री दशरथ देब** : क्या **पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार द्वारा सहकारी समितियों के द्वारा अथवा प्रत्यक्ष रूप से त्रिपुरा के बेलोनिया सब-डिवीजन में विस्थापितों को बसाने के लिये कुल कितनी भूमि खरीदी गई है ; और

(ख) क्या आदिम जाति के भूमिया लोगों के पुनर्वास के लिये भी इसी प्रकार भूमि ली जायेगी ?

†**पुनर्वास तथा अल्प-संख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) और (ख) भू अधिग्रहण नियम के अधीन त्रिपुरा प्रशासन ने बेलोनिया सब-डिवीजन में केवल ६५० एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया है । सहकारी समितियों के द्वारा भूमि नहीं खरीदी गई है । सारा क्षेत्र विस्थापितों के पुनर्वास के लिये है ।

त्रिपुरा के शिविरों में विस्थापित व्यक्ति

†२२४५. **श्री दशरथ देब** : क्या **पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सहायता तथा पुनर्वास विभाग के अधीन त्रिपुरा की बस्तियों के विभिन्न शिविरों में अब तक कितने सामुदायिक केन्द्र स्थापित किये गये हैं ;

(ख) त्रिपुरा में सामुदायिक केन्द्र योजना को चलाने के लिये अब तक कितनी राशि स्वीकृत की गई है;

(ग) इस योजना के अन्तर्गत क्या विषय पढ़ाये जायेंगे ;

(घ) विभिन्न विषयों के लिये कितने प्रशिक्षार्थी अनुदेशक नियुक्त किये गये हैं; और

†मूल अंग्रेजी में

(ङ) इस योजना की अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) छः शिविरों में ।

(ख) २·६० लाख रुपये ।

(ग) (१) कताई, बुनाई और रंगाई;

(२) बांस का बढ़िया काम;

(३) सिलाई;

(४) कशीदाकारी तथा कपड़े की रंगाई;

(५) साबुन बनाना;

(घ) एक भी नहीं ।

(ङ) उपर्युक्त भाग (क) में जिन व्यवसायों का उल्लेख किया गया है उन में से बुनाई, रंगाई, सिलाई तथा कशीदाकारी अब तक लागू की जा चुकी है और शिविर में रहने वाले ३५४ लोगों को इन केन्द्रों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है ।

भारतीय हरी चाय प्रतिनिधि मंडल

†२२४६. **श्री हेम राज** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ४ मार्च, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ६८२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफगानिस्तान को गये भारतीय हरी चाय प्रतिनिधि मंडल के प्रतिवेदन की सरकार ने जांच कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस की एक प्रतिलिपि सभा-पटल पर रखी जायेगी;

(ग) उस की प्रमुख सिफारिशें क्या हैं; और

(घ) उन में से सरकार ने कौन कौन सी स्वीकार कर ली हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) से (घ). प्रतिवेदन को प्रकाशित करना वांछनीय नहीं होगा क्योंकि उस में सामान्यतः भारत-अफगान व्यापार के बीच मुद्रा की कठिनाइयों १९५७ के व्यापार तथा भुगतान करार को कार्यान्वित करने की कठिनाइयों तथा अफगान में हरी चाय के बदले काली चाय इस्तेमाल का उल्लेख किया गया है । प्रतिवेदन में उल्लिखित कुछ कठिनाइयों को दूर करने का पहले ही प्रयत्न किया गया है । भारत और अफगानिस्तान में जो नया व्यापार करार जुलाई, १९५८ में हुआ है उस में इस बात की व्यवस्था है कि दोनों देशों के बीच व्यापार में सन्तुलन बनाये रखने के लिये विशेष प्रक्रिया अपनाई जाये । हमें इन उपायों के परिणाम देखने होंगे ।

चाय का उपभोग करने वाले देशों में जिन में अफगानिस्तान भी शामिल है चाय के निर्यात को बढ़ावा देने के बारे में की जाने वाली कार्यवाही विचाराधीन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के कर्मचारी

†२२४७. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में इस समय कितने असिस्टेण्ट और क्लर्क हैं; और

(ख) उन में से कितने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क)

	असिस्टेण्ट	५९२
	क्लर्क	६९३
(ख)	असिस्टेण्ट	१४
	क्लर्क	१०

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के कर्मचारी

†२२४८. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूचना और प्रसारण मंत्रालय में कुल कितने असिस्टेण्ट और क्लर्क हैं; और

(ख) उनमें से कितने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) १३४१ ।

(ख) १४८ ।

निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय के कर्मचारी

†२२४९. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय में कुल कितने असिस्टेण्ट और क्लर्क हैं; और

(ख) उनमें से कितने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) असिस्टेण्ट ११७

	अपर डिवीजन क्लर्क	५०
	लोयर डिवीजन क्लर्क	११८

(ख)	असिस्टेण्ट	अनुसूचित जाति	९
	अपर डिवीजन क्लर्क	अनुसूचित जाति	४
	लोअर डिवीजन क्लर्क	अनसूचित जाति	२५
		अनुसूचित आदिम जाति	४

सिलाई की मशीनों का निर्यात

†२२५०. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४, १९५५, १९५६, १९५७ और १९५८ में अब तक विभिन्न देशों को सिलाई की मशीनों के निर्यात से कुल कितनी विदेशी मुद्रायें अर्जित की गयी हैं; और

(ख) इस वर्ष सिलाई की मशीनों का निर्यात बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जानकारी इस प्रकार है :—

वर्ष	**मूल्य** रुपये
१९५४	९,७६,०००
१९५५	७,२२,०००
१९५६	४,६६,०००
१९५७	५,५१,०००
१९५८ (जन–जून)	३,७८,०००

(ख) निर्माताओं को निम्नलिखित विशेष सुविधायें प्रदान की गयीं हैं :—

(१) निर्यात की जाने वाली सिलाई की मशीनों के लिये कच्चे लोहे और इस्पात का अग्रिम कोटा ।

(२) अत्यावश्यक कच्चे माल के लिये आयात लाइसेंस ।

(३) आयात किये गये पुर्जों पर आयात शुल्क की वापसी और देश में बने हिस्सों पर जिन पर उत्पादन-शुल्क लगाया जा सकता था, उत्पादन-शुल्क में कटौती ।

(४) निर्यात वाली सिलाई की मशीनों के कच्चे लोहे और इस्पात के हिस्सों के लिये १३३ प्रतिशत कोटा देना ।

निर्यात करने वालों के लाभ के लिये बाजार सर्वेक्षण प्रतिवेदन भी उपलब्ध किये जाते हैं ।

देश में बनी मशीनों का अन्तर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में और विदेश स्थित कुछ भारतीय दूतावासों के, जैसे श्रीलंका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और मिस्र स्थित भारतीय दूतावासों के शो रूमों में प्रदर्शन किया जाता है ।

इंजीनियरिंग निर्यात संवर्द्धन परिषद् ने विभिन्न इंजीनियरिंग उत्पादों के बाजारों का सर्वेक्षण करने के लिये अगस्त, १९५८ के अन्त में एक शिष्ट मंडल पश्चिमी अफ्रीका और बेल्जियन कांगों को भेजा है । निर्यात की संभावनाओं का अध्ययन करने के लिये एक अध्ययन-दल के शीघ्र ही योरप भी जाने की आशा है ।

भारतीय फिल्में

†२२५१. **श्री एन्थनी पिल्ले** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७-५८ में भारतीय फिल्मों के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रायें प्राप्त हुई हैं ; और

(ख) इस वर्ष में कुल कितने मूल्य की कच्ची फिल्मों का आयात किया गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) सिनेमा फिल्मों के निर्यात से १९५७-५८ में १,१३,७३,३५४ रुपये की विदेशी मुद्रायें प्राप्त हुई हैं ।

(ख) १९५७-५८ में २,०१,१८,६६४ रुपये की कच्ची सिनेमा फिल्मों का आयात किया गया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पत्तनों के माल लादने-उतारने वाले श्रमिकों की दैनिक मजूरी

†२२५२. **श्री एन्थनी पिल्ले** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) २१ दिन के काम की न्यूनतम गारंटी का हिसाब लगाने के प्रयोजन के लिये बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के पत्तनों पर गोदी श्रम बोर्डों के अधीन रक्षित संग्रह के माल लादने-उतारने वाले कर्मचारियों को किस दैनिक-दर पर मजूरी दी जाती है ; और

(ख) क्या यह इन पत्तनों में से प्रत्येक की समय-दर दैनिक मजूरी के बराबर ही होती है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) और (ख) . यह जानकारी इस प्रकार है :—

बोर्ड का नाम	प्रश्न का भाग (क)		प्रश्न का भाग (ख)
		रुपये प्रति दिन	
१. कलकत्ता गोदी श्रम-बोर्ड	टैली क्लर्क	६·३१	जी हां, दिन की पाली के लिये । दोपहर की और रात की पालियों की दर दिन की पाली से अधिक हैं ।
	डेक फोरमैन	११·२५	
	हैच फोरमैन	८·२५	
	विंचमैन	५·७५	
	सरदार	८·२५	
	मेट	६·२५	
	खामली १ व २	५·७५	
	खामली ३ व ४	५·३१	
	रोलिया १ व २	४·८१	
	रोलिया ३	४·७५	
२. बम्बई गोदी श्रम-बोर्ड	टण्डैल	५.२५	जी नहीं । गारंटी-दी गई न्यूनतम मजूरी की दरें श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के पंचाट में निर्धारित दैनिक मजूरी की दर से कम हैं । न्यायाधिकरण ने यह निदेश दिया था कि प्रोसेसिंग का भत्ता केवल उन्हीं दिनों के विषय में दिया जाना चाहिये जिन पर ये श्रमिक समय-दर या अंश-दर के हिसाब से काम कर रहे थे ।
	सीनियर वर्कर	४.२५	
	जूनियर वर्कर	३.८७	
	हैच फौरमैन	४.२५	
	विंच मैन	४.३७	
	खलासी	४.६२	
३. मद्रास गोदी श्रम-बोर्ड	मज़दूर	४.१२	जी हां ।
	विंचमैन	४.६२	
	टण्डेल	५.१२	
	फोरमैन	५.६०	

†मूल अंग्रेजी में

पत्तनों के माल लादने-उतारने वाले श्रमिक

†२२५३. **श्री एन्थनी पिल्ले :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल की हड़ताल के बाद बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के गोदी श्रम बोर्ड के अधीन पत्तनों के माल लादने उतारने वाले श्रमिकों के अवकाश और छुट्टियों सम्बन्धी नियमों को उदार बनाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक ; और

(ग) चौधरी प्रतिवेदन सम्बन्धी सरकारी संकल्प के अधीन पत्तन न्यासों के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को मिल सकने वाले अवकाश छुट्टियों की तुलना में वह कैसी बैठती है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) और (ख). अभी नहीं । लेकिन ९-९-५८ को अतारांकित प्रश्न संख्या १७०८ के उत्तर में यह बताया जा चुका है कि कलकत्ता और मद्रास के गोदी श्रम बोर्डों को बम्बई के गोदी श्रम बोर्ड के छुट्टी सम्बन्धी नियमों को, जो अधिक अनुकूल हैं, स्वीकार कर लेने की सलाह दी गई है और ये बोर्ड उस पर विचार कर रहे हैं ।

(ग) बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के गोदी श्रम बोर्डों के अधीन माल लादने-उतारने वाले श्रमिकों और पत्तन न्यासों के तटीय श्रमिकों[1] की अवकाश और छुट्टियों सम्बन्धी सुविधायें इस प्रकार हैं :—

		माल लादने-उतारने वाले श्रमिक	तटीय-श्रमिक (बम्बई, कलकत्ता और मद्रास)
बम्बई .	छुट्टियां और आकस्मिक अवकाश	वर्ष में १५ दिन	वर्ष में २१ दिन
	विशेषाधिकृत अवकाश[2]	कार्य में लगी अवधि का १/११ भाग	कार्य में लगी अवधि का १/११ भाग (अधिकतम सीमा ८० दिन)
	बीमारी का अवकाश	वर्ष में ७ दिन	वर्ष में २० दिन (आधे औसत वेतन पर)
		माल लादने उतारने वाले श्रमिक	
कलकत्ता .	छुट्टियां . .	वर्ष में ८ दिन	
	विशेषाधिकृत अवकाश	कार्य में लगी अवधि का १/१२ भाग	
	बीमारी का अवकाश	वर्ष में ५ दिन	
	आहत होने पर अवकाश ।	४ महीने से अनधिक अवधि ।	

†मूल अंग्रेजी में

[1] Shore-Worker. [1] Privilege Leave.

		माल लादने उतारने वाले श्रमिक
मद्रास	छुट्टियां . . .	वर्ष में ८ दिन
	विशेषाधिकृत अवकाश	पहले दस वर्षों में काम के दिनों का १/२२ भाग। अगले दस वर्षों में १/१६ भाग उस के बाद १/११ भाग।
	आधे वेतन पर अवकाश	नौकरी के पूरे हो चुके प्रत्येक वर्ष के लिये १५–२० दिन ।
	असाधारण अवकाश	कोई सीमा नहीं
	पृथक्करण अवकाश .	२१ दिनों से अनधिक और अपवाद स्वरूप ३० दिन ।

दिल्ली में वृक्ष

†२२५४. **श्री सुगन्धि : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि सर्दियों में दिल्ली की सड़कों पर लगे वृक्षों की पत्तियां झड़ जाती हैं ;

(ख) ऐसी कुल कितने टन पत्तियां रोज जमा होती हैं ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि इमली की पत्तियों को छोड़ कर शेष पत्तियों से बड़ी अच्छी कम्पोस्ट खाद बनती है ;

(घ) क्या यह सच है कि इस प्रकार जमा की गई पत्तियां आजकल अधिकतर सड़कों के किनारे जला दी जाती हैं ;

(ङ) शहर में समय-समय पर काटी जाने वाली बाड़ों की कतरनें, लानों की छिली हुई घास और अन्य पत्तियों आदि को किस प्रकार निबटाया जाता है ; और

(च) क्या इस से कम्पोस्ट खाद बनाने का सरकार के पास कोई प्रस्ताव है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) और (ख). कुछ प्रकार के वृक्षों की पत्तियां प्रत्येक वर्ष बसन्त में, अर्थात् मार्च के आरम्भ से अप्रैल के अन्त तक झड़ जाती हैं। इन के आंकड़े नहीं रखे गये हैं। मोटे तौर पर वर्ष में यह लगभग ७ लाख धन फुट होती हैं।

†मूल अंग्रेज़ी में

(ग) जी हां ।

(घ) जी हां ।

(ङ) लानों से तराशी गई घास या तो छीलने वाले टेकेदार ले जाते हैं और या वह नीलाम कर दी जाती है । बाड़ों की कतरनें म्युनिसिपल कर्मचारी उठा ले जाते हैं ।

(च) सरकार इस पहलू पर विचार कर चुकी है लेकिन इस प्रकार की सामान्य योजना आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं मानी गई है । फिर भी कुछ स्थानों में पत्तियों आदि को खाद का काम लेने के लिये जमा कर लिया जाता है ।

पंजाब के कामदिलाऊ दफ्तर

†२२५५. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब राज्य के कुल कितने व्यक्तियों को १ जनवरी से ३१ अगस्त, १६५८ तक विभिन्न कामदिलाऊ दफ्तरों की मार्फत काम मिला है ; और

(ख) राज्य के विभिन्न कामदिलाऊ दफ्तरों में इस समय कुल कितने आवेदन विचाराधीन हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) १६,६०८ ।

(ख) ३१ अगस्त, १६५८ को ५१,१३८ ।

पाकिस्तान के तीर्थयात्री

†२२५६. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वर्ष में पाकिस्तान के कुल कितने तीर्थ यात्रियों ने भारत के धार्मिक मेलों में भाग लिया ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरु)** : पश्चिमी पाकिस्तान के ७२५ तीर्थ यात्री अब तक सरकार द्वारा आयोजित दो दलों में भारत के धार्मिक मेलों में भाग ले चुके हैं । इन के अलावा अलग-अलग ३०२१ तीर्थयात्री अजमेर के उर्स में गये थे ।

अमृतसर की मिलों में कपड़े का स्टाक

†२२५७. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमृतसर (पंजाब) की कपड़ा मिलों में इस समय जमा कपड़े के बारे में क्या स्थिति है ; और

(ख) पंजाब में अमृतसर में बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न कर देने में यह कहां तक उत्तरदायी है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योगमंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख). अमृतसर में इस समय कपड़े की केवल एक पूरी मिल है जिस का नाम है—मेसर्स दयालबाग स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स । अगस्त, १६५८ में इस मिल के पास कपड़े का ३२८ गांठ का अनबिका स्टाक था । यह स्टाक इस मिल के २½ महीने के उत्पादन के बराबर है और इसे बहुत अधिक नहीं समझा जाता । इस मिल में केवल ३६० श्रमिक काम करते हैं और सरकार को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि मिल में स्टाक जमा हो जाने से श्रमिकों में कोई बेरोजगारी आई है ?

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा में लोह और मैंगनीज अयस्क की खानें

†२२५८. श्री पाणिग्रही: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७ में उड़ीसा की लौह और मैंगनीज़ अयस्क की खानों में कुल कितने श्रमिक काम करते थे ; और

(ख) १९५८ में उड़ीसा की लौह मैंगनीज़ अयस्क की खानों में कुल कितने श्रमिक काम करते हैं ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) लौह अयस्क की खानों में—१५,६८४ ।
मैंगनीज़ अयस्क की खानों में—१६,१९० ।

(ख) जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

मालेगांव (बम्बई) की औद्योगिक बस्ती

†२२५९. श्री जाधव : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई राज्य के नासिक जिले में मालेगांव में एक औद्योगिक बस्ती की स्थापना का प्रस्ताव राज्य-सरकार से मिला है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस औद्योगिक बस्ती की स्थापना वहां कब तक कर दी जायगी ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) राज्य सरकार द्वितीय योजना काल में जिन औद्योगिक बस्तियों की स्थापना करने वाली है उन में मालेगांव की औद्योगिक बस्ती भी एक है, लेकिन राज्य सरकार ने अभी कोई योजना प्रविधिक अनुमोदन के लिये नहीं भेजी है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

विदेशों से लौटा भेजे गये भारतीय

†२२६०. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) १९५६, १९५७ और १९५८ में अब तक विदेशों में स्थित कुल कितने भारतीय सरकारी खर्च पर स्वदेश लौटा-भेजे गये और ये किन-किन देशों से लौटा-भेजे गये थे ;

(ख) क्या उन के पासपोर्ट के आवेदनों पर गारंटी करने वालों से इस खर्चे को वसूल किया गया है ;

(ग) श्रीलंका से लौटा भेजे गये लोगों पर सरकार का कुल कितना व्यय हुआ है ;

(घ) विदेशों में स्थित कितने भारतीय राष्ट्रजनों को उन के मेजबान राष्ट्रों ने अवांछनीय व्यक्ति घोषित किया है ; और

(ङ) इस के क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू)** : (क) से (ङ). पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है और इसे जमा करने में जितना समय और श्रम लगेगा उसे ध्यान में रखते हुए विदेशों में स्थित हमारे दूतावासों से भी यह जानकारी नहीं मंगाई जा रही है । फिर भी, सितम्बर, १९५७ से जून १९५८ तक की अवधि के लिये कुछ देशों के सम्बन्ध में आंकड़े इस प्रकार हैं :—

अमरीका	१
ईरान	१३
बेल्जियम	२
मारीशस	१

इन लोगों को लौटा-भेजने में कुल ६,९२५ रुपये का व्यय हुआ था ।

विकास-कार्य

२२६१. **श्री भक्त दर्शन : क्या योजना मंत्री** २२ अप्रैल, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २६११ के भाग (क) के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पहली योजना अवधि में आरम्भ किये गये विकास कार्यों में से प्रत्येक पर कितनी धनराशि खर्च की गई ?

योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

योजना का नाम	प्रथम योजना की अवधि में व्यय
	(लाख रुपये)
(१) पशु धन का विकास	३.३
(२) ऊन के विकास की योजना	२.७
(३) शिक्षा की सुविधायें	०.६
(४) एलोपैथिक औषधालयों और जच्चा-बच्चा कल्याण केन्द्रों की स्थापना	१.०
(५) मल्टी पर्पज़ (बहुद्देशीय) बागवानी फार्मों की स्थापना .	०.९
(६) औषध-विकास योजना . . .	०.४
(७) सड़कें	२७.४
योग . .	३६.६

क्वार्टरों का दिया जाना

†२२६२. **श्री साधू राम : क्या निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) २५०–५०० रुपयों के वेतन-क्रम में सरकारी कर्मचारियों को रेगुलर क्वार्टर दिये जाने की प्राथमिकता तिथि क्या है ;

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) अन्य वेतन-क्रमों की प्राथमिकता तिथि की तुलना में यह कैसी बैठती है ;

(ग) इन्हें रेगुलर क्वार्टर देने के लिये यदि सरकार ने कोई कार्यवाही की हो या करने वाली हो तो वह क्या है ;

(घ) क्या यह सच है कि उपर्युक्त वेतन क्रम के रेगुलर क्वार्टर पारी से बाहर भी दे दिये गये हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो किस आधार पर ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) 'ई' क्लास रेगुलर में ३१-३-१९२९ 'ई' क्लास स्पेशल (तीन कमरे वाले) १३-७-१९३१ ।

(ख) लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [देखिये **परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १२२**]

(ग) पिछले दो वर्षों में विभिन्न मुहल्लों में तीन कमरे वाले लगभग १६०० फ्लैटों का निर्माण किया गया है । जमीन विकसित होते ही और भी १५२५ क्वार्टरों का निर्माण शीघ्र ही आरम्भ किया जायेगा ।

(घ) जी हां ।

(ङ) स्वास्थ्य संबंधी कारणों से या सरकारी कार्य के हित में ।

भारत का राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड

†२२६३. **श्री पाणिग्रही** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लौह और मैंगनीज़ अयस्क का निर्यात करने में भारत के राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड ने किन-किन सहयोगियों का सहयोग प्राप्त किया है ; और

(ख) १९५६-५७ और १९५७-५८ में इन सहयोगियों से राज्य व्यापार निगम ने कुल कितना कमीशन कमाया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख). जिस प्रकार की जानकारी मांगी गई है उसे प्रगट करना किसी व्यापारी संगठन के व्यावसायिक हित में नहीं है ।

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

†**राजा महेन्द्र प्रताप** (मथुरा) : मैं ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी लेकिन आप ने उसकी अनुमति नहीं दी है। मेरा निवेदन है कि 'ब्रज' का प्रश्न राज्य का प्रश्न नहीं है। मथुरा तीन लोक से न्यारी । वहां की समस्या सब की समस्या है । पानी के कारण आज वहां कई गांव नष्ट हो गये हैं और लोगों को बड़ा कष्ट हो रहा है । सेना को भेज कर वहां से पानी निकालने का इंतजाम किया जाना चाहिये । मैं समझता हूं कि ब्रज के कष्टों को दूर करने के सम्बन्ध में हिन्दू, मुसलमान सभी एक-मत होंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य ने जो स्थगन प्रस्ताव दिया है, वह इतना अस्पष्ट है कि उस के सम्बन्ध में मैं कुछ समझ नहीं सका। उन का मतलब शायद यही है कि वहां जो पानी भरा हुआ है उसे निकालने का प्रबन्ध किया जाये और पम्प आदि से काम लिया जाये। मेरा सुझाव है कि माननीय सदस्य मंत्री महोदय से इस बारे में बातचीत कर लें। वह इस विषय में जो कुछ किया जाना है, कर सकते हैं। कल मैं ने कहा था कि स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दिये जाने पर, यदि माननीय सदस्य किसी बात की ओर विशेष रूप से ध्यान दिलाना चाहते हों, तो उसे मेरे पास लायें ; मैं उसे किसी अन्य दिन यहां ला सकता हूं। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य भी इस प्रक्रिया का ध्यान रखेंगे।

जानकारी का प्रश्न

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : मैंने पाकिस्तान तथा भारत में हुए समझौते के अधीन सीमांकन सम्बन्धी प्रश्न पर सरकार का ध्यान दिलाने के बारे में सूचना भेजी थी और इस सम्बन्ध में मैं ने माननीय उप-मंत्री से बातचीत भी की है। मुझे बताया गया है कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य देंगी। मैं जानना चाहती हूं उस का क्या हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरे पास वह अभी नहीं आया है। मैं आज उस के सम्बन्ध में जांच करूंगा।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : मैं अत्यावश्यक पण्य अधिनियम १९५५ की धारा ५ के अन्तर्गत निकाली गई दिनांक ३० अगस्त, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७४८ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल टी०-९२४/५८]

कर्मचारी राज्य बीमा निगम का वार्षिक प्रतिवेदन

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : मैं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम १९४८ की धारा ३६ के अन्तर्गत वर्ष १९५७-५८ के लिये कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। लेखा परीक्षा प्रतिवेदन कुछ दिन बाद रखा जायेगा।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल टी०-९२५/५८]

†**श्री तंगामणि** (मदुरै) : पहले भी कर्मचारी राज्य बीमा निगम का वार्षिक प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखते हुए यह बात कही गई थी कि लेखापरीक्षित प्रतिवेदन भी इस के साथ ही रखा जाना चाहिये। अध्यक्ष की ओर से भी यही निदेश दिया गया था।

†**श्री आबिद अली** : मुझे दोनों को साथ रखने में कोई आपत्ति नहीं है परन्तु इस में कुछ समय लगेगा। संभवतया माननीय सदस्य वार्षिक प्रतिवेदन को अभी देखना चाहेंगे और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को बाद में, जब वह आजायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री का कहना है कि लेखा परीक्षा प्रतिवेदन महालेखापरीक्षक के पास गया हुआ है और प्रतिवेदन उनके पास है। यदि माननीय सदस्य दोनों को एक साथ सभा पटल पर रखवाना चाहते हैं तो विलम्ब होने की आशंका है। माननीय सदस्य यही चाहते हैं कि दूसरा प्रतिवेदन भी शीघ्र ही प्रस्तुत किया जाये।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

सत्ताइसवां प्रतिवेदन

†**सरदार इकबाल सिंह** (भटिंडा) : मैं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का सत्ताइसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

अविलम्बनीय लोक महत्व के बिषय की ओर ध्यान दिलाना

उड़ीसा राज्य के कालाहांडी जिले में हैजे का प्रकोप

†**श्री प्र० के० देव** (कालाहांडी) : नियम १९७ के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह उस के सम्बन्ध में वक्तव्य दें।

"उड़ीसा राज्य के कालाँहांडी जिले में हैज़े का प्रकोप"

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : उड़ीसा सरकार ने यह सूचना भेजी है कि २७ मई, १९५८ को हाथपिनजारी गांव में, जिस की जनसंख्या ४९० है हैज़ा फैल गया था। २ जून, १९५८ तक बीमारी पर पूरी तरह नियंत्रण कर लिया गया था। २७ मई, १९५८ से २ जून १९५८ तक ४८ व्यक्ति इस रोग से ग्रस्त हुए तथा २७ की मृत्यु हुई। गांव की सारी जनता के टीके लगा दिये गये हैं और ३० मई १९५८ तक १२ कुओं तथा २० मकानों में दवाई छिड़क कर कीटाणु नष्ट किये गये।

उड़ीसा राज्य से प्राप्त इसके बाद की जानकारी से पता लगा है कि कालाहांडी में एक हज़ार व्यक्तियों में ६ से अधिक व्यक्ति बीमार नहीं पड़े थे। और सितम्बर, १९५८ से रोग का प्रकोप तेज़ी से कम होने लगा था। दक्षिण क्षेत्र के लोक स्वास्थ्य के सहायक निदेशक हैजे के रोकने के कामों का स्वयं निरीक्षण कर रहे हैं। सूचना मिली है कि रोग पर काबू पा लिया गया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : समाचारपत्रों में तो बड़ी भयोत्पादक खबरें छपी हैं। अभी एक स्थगन प्रस्ताव भी लाया गया था जिस में कहा गया था कि एक गांव का गांव बरबाद हो गया। पता नहीं इतनी बढ़ा चढ़ा कर बातें क्यों छापी जाती हैं। समाचारपत्रों को कुछ सावधानी बरतनी चाहिये।

विष (संशोधन) विधेयक

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि विष अधिनियम, १९१९ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को प्रस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विष अधिनियम, १९१९ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**पंडित गो० ब० पन्त** : मैं विधेयक को पुरस्थापित* करता हूं ।

वाणिज्यिक नौवहन विधेयक

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा में अब वाणिज्यिक नौवहन विधेयक १९५८ पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, खण्डवार विचार होगा और उस के बाद तृतीय वाचन होगा । जो माननीय सस्दय अपने संशोधन प्रस्तुत करना चाहें वह १५ मिनट में उन संशोधनों की संख्या, जिन्हें वे प्रस्तुत करना चाहते हैं, चिट पर लिख कर सभा पटल पर भिजवा दें ।

खण्ड २ पर कोई संशोधन नहीं है । अतः मैं इसे मतदान के लिये रखता हूं ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड २ विधेयक में जोड़ दिया गया

खंड ३--(परिभाषायें)

†**श्री गामणि** (मदुरै) : मैं अपने संशोधन संख्या ५२ तथा ५३ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्वखानदेश) : मैं अपने संशोधन संख्या ६४, ६५, ६६, ६७ तथा ६८ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** (नवद्वीप) : मैं अपना संशोधन संख्या १३५ प्रस्तुत करती हूं ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** (वाराणसी) : मैं अपना संशोधन संख्या ११० प्रस्तुत करता हूं ।

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : मैं अपने संशोधन संख्या १८४ और २५० प्रस्तुत करता हूं । मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ २५ पर,--

(१) पंक्ति ३९ में "from" ('से') के स्थान पर "between" ('बीच में') शब्द रखा जाये ।

(२) पंक्ति ४० में "to" ('तक') के स्थान पर "and" ('और') शब्द रखा जाये ।

(३) पंक्ति ४१ में--

(क) "from" ('से') के स्थान पर "between" ('बीच') शब्द रखा जाये; और

(ख) "to" ('तक') के स्थान पर "and" ('और') शब्द रखा जाये ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

*भारत के असाधारण गज़ट भाग २, अनुभाग २ दिनांक १७-९-५८ में प्रकाशित ।

मैं संशोधन संख्या २५० भी प्रस्तुत करता हूं । मैं प्रस्ताव करता हूं :—

पृष्ठ २५, पंक्ति ४२ में—

"Maledive Islands" ['मालदीव द्वीपसमूह'] के पश्चात् "federation of Malaya, Singapur," ['मलाया संघ, सिंगापुर'] शब्द रखे जायें ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह संशोधन सभा के समक्ष है ।

†**श्री नौशीर भरूचा** : मैं अपने संशोधन के द्वारा गोआ, दमन और ड्यू की स्थिति स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह सभी द्वीप भारत के द्वीपों के समान समझे जायेंगे क्योंकि इन के सम्बन्ध में कुछ नहीं बताया गया है ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : मैं अपने संशोधन से चाहती हूं कि स्वदेश व्यापार में लगे जहाज़ों की परिभाषा में वे सब जहाज़ आ जायें जो भारत के बन्दरगाहों और पाकिस्तान, बर्मा, लंका, मलाया, सिंगापुर, अदन तथा फारस की खाड़ी, लालसागर व पूर्वी अफ्रीका के तट के बन्दरगाहों के बीच व्यापार के सिलसिले में आते जाते हों । पुराने ज़माने में हमारी नावें आदि इन स्थानों में जाया करती थीं ।

श्री रघुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा ११० नम्बर का जो अमेंडमेंट है उस में मैं ने यह चाहा है कि क्लाज़ ३ में "होम ट्रेड शिप" की डेफ़ीनीशन यह रक्खी गई है कि ऐसा जहाज़ जो कि ३००० टन ग्रौस से ऐक्सीड (अधिक) न करता हो और जोकि भारत के किसी भी बंदरगाह से किसी अन्य जगह अथवा बंदरगाह जोकि इंडियन कौंटिनेंट में हो या हिन्दुस्तान के बन्दरगाहों से सीलोन, मैले-डाइव आइलैण्ड्स या बर्मा के किसी अन्य बन्दरगाह या स्थान से व्यापार करने में लगा हो, मैं इस ३००० टन की जो सीमा रक्खी गई है उस को अपने अमेंडमेंट द्वारा हटाना चाहता हूं क्योंकि यह हो सकता है कि कोई जहाज़ ३००५ टन हो, ३०२० टन हो या ३००० टन से कुछ ज्यादा हो । ऐसी अवस्था में इस को फ्लेक्सेबल रखना चाहिये और अगर कोई जहाज़ ३००० टन से कुछ ज्यादा भी हो तो उस को भी वह ऐलाउ करें ।

अगर मंत्री महोदय सिंगापुर का जो अमेंडमेंट है वह उस को स्वीकार करना चाहते हैं और अगर वह ऐक्सैप्ट हो जाता है तो यह बर्मा, मलाया रेड-सी और पर्शिएन गल्फ़ वाला अमेंडमेंट मैं सरकार के ऊपर छोड़ देना चाहता हूं कि अगर वे स्वीकार करना चाहते हैं तो स्वीकार कर लें ।

[**श्री मोहम्मद इमाम** पीठासीन हुए]

सरदार इकबाल सिंह (फ़ीरोज़पुर) : सभापति महोदय, मैं अपने संशोधन संख्या २३०, २३१, २३४, २३५, २३६ तथा २३७ प्रस्तुत करता हूं । २३० नम्बर के अमेंडमेंट में मैं ने यह चाहा है कि पेज २४ पर लाइन सात में क्लाज ३ (१) में आख़िर में यह जोड़ दिया जाय :"मलाया, पर्शियन गल्फ़ एंड ईस्ट अफ्रीका" ।

दूसरे श्री भरूचा का जो गोआ, दमन और ड्यू के बारे में अमेंडमेंट है कि यह भी मेनलैण्ड आफ़ इंडिया के पोर्ट्स समझे जायें, वह मुनासिब अमेंडमेंट है और मैं भी अपने अमेंडमेंट में यही चाहता हूं कि मैलेडाइव (मालदीव) आइलैण्ड्स और कोर्ट्स आफ़ गोआ, ड्यू और दमन, इन को भी जोड़ दिया जाये ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[सरदार इकबाल सिंह]

तीसरे अमेंडमेंट में मैं यह चाहता हूं कि क्लाज़ ३ में जो एक होम ट्रेड शिप की ३००० टन-ग्रौस की लिमिट रक्खी गई है उस की जगह ७००० कर दिया जाय क्योंकि जब आप अपनी जहाज़रानी ट्रेड को इंक्रीज़ (बढ़ा) कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि ३००० टन से बड़े जहाज़ भी इस ट्रेड में लग सकते हैं और यह कोस्टिंग शिप ३००० टन ग्रौस से एक्सीड कर सकता है और इसीलिये मैं ने यह ३००० की जगह ७००० सब्स्टीच्यूट करने का अपने अमेंडमेंट में सुझाव दिया है।

†श्री तंगामणि : मूल विधेयक में स्वदेश व्यापार में लगे जहाज़ों के टन भार पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया गया था। लेकिन अब संयुक्त समिति ने इस के लिये ३००० टन की व्यवस्था रखी है परन्तु इस से इन जहाजों के कप्तानों को बड़ी कठिनाई होगी। इसीलिये मैं ने एक स्पष्टीकरण इस में रखा है कि जहाज का टन भार कितना भी हो, इन का संचालन ऐसे ही अधिकारियों द्वारा किया जाये जिन के पास स्वदेश व्यापार के प्रमाणपत्र होंगे जो उन्होंने सन् १९५२ और इस अधिनियम की तारीख के बीच की अवधि में प्राप्त किये हों। मैं ने सामान्य चर्चा के समय इस सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा है और मैं समझता हूं कि सरकार इसे स्वीकार कर लेगी।

†श्री जाधव (मालेगांव) : मैं अपना संशोधन संख्या १५२ प्रस्तुत करते हुए यह कहना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री कई बार यह बता चुके हैं कि गोआ, ड्यू तथा दमन भारत के ही अंग हैं, इसलिये भारतीय तटीय व्यापार में इन को भी शामिल किया जाना चाहिये।

†श्री आसर (रत्नगिरि) : मैं अपना संशोधन संख्या २१० प्रस्तुत करता हूं। मैं यह चाहता हूं कि जो व्यक्ति भारतीय हैं अथवा भारतीय उद्भव के हैं और विदेशों में रहते हैं, उन पर यह प्रतिबन्ध न लगाया जाये कि वह चाह कर भी अपनी मातृ भूमि की सहायता न कर पायें। इसलिये मैं भारत के नागरिकों के अतिरिक्त पूर्वी अफ्रीका, बर्मा, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका आदि में रहने वाले भारतीय उद्भव के लोगों को भी इस परिभाषा में रखना चाहता हूं। साथ ही साथ सिक्किम तथा भूटान और नेपाल के नागरिक भी स्वदेश के नागरिक हैं इसलिये उन को भी इस परिभाषा में रहना चाहिये। मैं आशा करता हूं कि मेरा संशोधन स्वीकार कर लिया जायेगा।

†श्री मूलचन्द दूबे (फर्रुखाबाद) : मैं चाहता हूं कि "न्यायालय" की परिभाषा इतनी बढ़ा देनी चाहिये जिस में ऐसे पदाधिकारियों को भी शामिल कर लिया जाये जो नाविकों के हितों के विरुद्ध आदेश दे सकते हों ताकि धारा १७८–१८३ के अधीन कार्यवाही रोकी जा सके। हम ने सिर्फ व्यवहार न्यायालय अथवा राजस्व न्यायालय को ही मुक़दमें निपटाने की शक्तियां नहीं दे रखी हैं, बल्कि कुछ अन्य अधिकारियों को भी दे रखी हैं, जैसे दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक में किराया नियंत्रकों को शक्तियां दी गई हैं। मैं चाहता हूं कि न्यायालय की परिभाषा में ऐसे अधिकारियों को भी शामिल कर लिया जाये।

†श्री राज बहादुर : मैं ने दो संशोधन संख्या १८४ तथा २५० प्रस्तुत किये हैं। संशोधन संख्या १८४ केवल शाब्दिक संशोधन है। यह इसलिये रखा गया है ताकि यह खंड इस विधेयक में उल्लिखित स्थानों तथा भारत के बीच स्वदेश व्यापार में लगे जहाज़ों की दोनों तरफ की यात्राओं पर लागू हो। वर्तमान परिभाषा में इसे स्पष्ट करना आवश्यक था, इसलिये यह संशोधन प्रस्तुत किया गया।

दूसरा संशोधन स्वदेश व्यापार के प्रदेश से सम्बन्धित है। संशोधन में पृष्ठ २५ पंक्ति ४२ में "मालदीव द्वीपसमूह" के पश्चात् "मलाया संघ, सिंगापुर" शब्द रखे गये हैं। इस संशोधन में एक ग़लती रह गई थी। यह "मलाया तथा सिंगापुर का संघ" नहीं अपितु "मलाया संघ, सिंगापुर" होना चाहिये।

†मूल अंग्रेज़ी में

माननीय सदस्यों ने जो संशोधन प्रस्तुत किये हैं उन को दो श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है । प्रथमतः वे चाहते हैं कि स्वदेश व्यापार के प्रदेशों में वह कुछ अन्य प्रदेश जोड़े जायें । इस सम्बन्ध में मैं बताना चाहता हूं कि हम ने नाविक अधिग्रहण समझौता अभिसमय का, जो एक अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय है, अनुसमर्थन किया है और इस अभिसमय के अनुच्छेद २(ख) के अनुसार स्वदेश व्यापार में लगे जहाज़ की परिभाषा इस प्रकार दी गई है : "स्वदेश-व्यापार के जहाज़ से उस जहाज का अभिप्राय है जो किसी देश और राष्ट्रीय विधि द्वारा भौगोलिक आधार पर निश्चित उस के पड़ौसी देशों के बन्दरगाहों के बीच व्यापार में काम आता हो ।"

"पड़ौसी देश" शब्द रखे जाने से परिभाषा सीमित हो जाती है। इसलिये हम पूर्वी अफ्रीका फारस की खाड़ी आदि देशों को इस में शामिल नहीं कर सकते हैं जो हम से लगे हुए देश या पड़ौसी देश नहीं हैं । इसीलिये संशोधनों को स्वीकार नहीं किया जा सकता ।

दूसरा संशोधन श्री नौशीर भरूचा का है जिस पर सरदार इक़बाल सिंह, श्रीमती इला पालचौधरी तथा श्री रघुनाथ सिंह ने भी बल दिया है ; यह संशोधन गोआ, दमन, तथा ड्यू को शामिल करने के बारे में है । श्री नौशीर भरूचा, 'भारत महाद्वीप स्थान' पर 'भारत की मुख्य भूमि' शब्द रखना चाहते हैं । मैं बताना चाहता हूं कि भारत महाद्वीप में वह सभी प्रदेश आ जाते हैं जो १९४७ से पहले भारत का अंग थे जैसे पाकिस्तान, गोआ, दमन तथा ड्यू आदि । हम ने जान बूझ कर यह शब्द रखे हैं । इसलिये गोआ, दमन, ड्यू आदि सभी प्रदेश महाद्वीप में आ जाते हैं । श्रीमती इला पालचौधरी ने जिन द्वीपों के सम्बन्ध में बताया वह सभी भारतीय प्रदेश हैं ।

अब जो ३००० टन भार की व्यवस्था रखी गई है उस के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। यह सुझाव दिये गये कि इनमें आनम्यता आनी चाहिये । मैं बताना चाहता हूं कि नाविकों के कहने पर ही हम ने इस परिभाषा को स्वीकार किया था । वह २००० की सीमा चाहते थे परन्तु जहाजों के मालिकों ने इसको ४००० रखना चाहा । हमने दोनों के बीच की बात मान कर ३००० टन रख दिया है । मैं बताना चाहता हूं कि जब हम ने वर्तमान स्थिति की जांच की तो पता लगा कि स्वदेश व्यापार के सभी १३९ में से केवल ७ माल ढोने के जहाज़ तथा ३ यात्री जहाज़ ऐसे हैं जिन पर इस परिभाषा का असर पड़ता है । इस से पता लग जाता है कि इसका वर्तमान व्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ता । इस से अन्ततः नाविकों को ही लाभ होगा । इस से उनका भविष्य सुधरेगा । इन्हीं उद्देश्यों से हमने ३००० की सीमा निश्चित की थी ।

श्री तंगामणि ने बताया कि इस परिभाषा से स्वदेश व्यापार के जहाजों पर काम करने वाले नाविकों को बहुत नुकसान होगा और वे शायद काम से अलग कर दिये जायें । परन्तु उन्होंने स्वयं ही खण्ड ४५६ का निर्देश किया जिसमें बताया गया है कि महानिदेशक को इस प्रकार के लोगों को छूट देने के अधिकार दिये गये हैं । मैं सभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि हमारा विचार इन जहाज़ों के ऐसे पदाधिकारियों को जो इन जहाजों पर बिना किसी बुरी रिपोर्ट के एक वर्ष तक जहाज़ों पर काम कर चुके हों, छूट दे देने का है । मेरे विचार से खण्ड ४५६ से इस प्रकार के लोगों की रक्षा हो जायेगी ।

श्री आसर का कहना है कि हमें संशोधन संख्या २१० स्वीकार कर के नागरिक की परिभाषा को और विस्तृत कर देना चाहिये । मैं इस सम्बन्ध में उन का ध्यान संविधान के अनुच्छेद ५ तथा ६ और नागरिकता अधिनियम के उपबन्धों की ओर दिलाना चाहता हूं । नागरिकता अधिनियम की धारा ५(१)(ख) के अधीन विदेशों में रहने वाले भारतीय उद्भव के व्यक्ति चाहें तो भारत की नागरिकता को अपना सकते हैं और इसके लिये आवेदन-पत्र दे सकते हैं । यदि वह

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री राज बहादुर]

ऐसा नहीं करते हैं तो भारतीय जहाजों में स्वत्व प्राप्त करने के लिये उनको नागरिक मानना और अन्य बातों के लिये उन्हें विदेशी मानना उन के लिये तथा हमारे लिये ठीक नहीं होगा। इससे जिन विदेशों में वह रहते हैं उन देशों के लोग तथा सरकारें उन पर संदेह करने लगेंगी। इसलिये हमें परिभाषा को बढ़ाना नहीं चाहिये ।

मैं समझता हूं कि मैंने सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया है ।

†**सभापति महोदय :** अब मैं पहले सरकारी संशोधन संख्या १८४ और २५० मतदान के लिये रखता हूं । प्रश्न यह है :

पृष्ठ २५ पर,––

(१) पंक्ति ३९ में "from" ["से"] के स्थान पर "between" ["बीच"] शब्द रखा जाये ।

(२) पंक्ति ४० में "to" ["तक"] के स्थान पर "and" ["और"] शब्द रखा जाये ।

(३) पंक्ति ४१ में––

(क) "from" ["से"] के स्थान पर "between" ["बीच"] शब्द रखा जाये ; और

(ख) "to" ["तक"] के स्थान पर "and" ["और"] शब्द रखा जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ २५, पंक्ति ४२ में––

"Maladive Islands" ["मालदीव द्वीपसमूह"] के पश्चात् "Federation of Malaya, Singapore" ["मलाया संघ, सिंगापुर"] शब्द रखे जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या ५२, ५३, ६४ से ६८, १३५, ११०, २३०, २३१, २३४ से २३६, १५२ तथा २१० मतदान के लिये रखे गये पथा अस्वीकृत हुये

†**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ३, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड ३, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया

खंड ४––(राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड की स्थापना)

†**सभापति महोदय :** माननीय सदस्य अपने संशोधन प्रस्तुत करें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री बर्मन** (कूचबिहार-रक्षित—अनसूचित जातियां): मैं अपना संशोधन संख्या ३७ प्रस्तुत करता हूं । मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ३०, पंक्ति १५ में,

(१) "five" ["पांच"] के स्थान पर, "six" ["छः"] शब्द रख दिया जाये ; और

(२) "three" ["तीन"] के स्थान पर, "four" ["चार"] शब्द रख दिया जाये ।

माननीय परिवहन मंत्री इसे स्वीकार करने को तैयार हैं, इसलिये मैं इस के विषय में कुछ नहीं कहना चाहता ।

†**श्री नौशीर भरूचा** : मैं अपने संशोधन संख्या ६९ और ७० प्रस्तुत करता हूं ।

संशोधन संख्या ६९ में व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड में पांच संसद्-सदस्यों के स्थान पर सात रखे जायें। इस से बोर्ड अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण बन जायेगा । संशोधन संख्या ७० में यह कहा गया है कि सरकार द्वारा नियुक्त किये जाने वाले १६ सदस्यों में से सात केन्द्रीय सरकार, एक पोत-स्वामियों, दो नाविकों, दो नौवहन व्यापार और उद्योग, एक यात्रियों की संस्थाओं और तीन अन्य उपयुक्त हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले हों । सरकार को इसे स्पष्ट कर देना चाहिये । सरकार यदि मनमाने ढंग से सोलहों सदस्यों की नियुक्ति करेगी, तो यह बोर्ड एक सरकारी विभाग बनकर ही रह जायेगा, जिससे हम किसी व्यापक दृष्टिकोण की आशा नहीं कर सकते ।

†**सभापति महोदय** : संशोधन संख्या २४३ बिल्कुल ६९ की भांति ही है ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : मैं अपने संशोधन संख्या २४४ और २४५ प्रस्तुत करता हूं ।

साहिबे सदर, मैं यह चहता हूं कि नम्बर १६ से २० कर दिया जाये और पैसिंजर्स एसोसियेशन्स (यात्री संस्थाओं) को भी इस बोर्ड पर नुमायन्दगी दी जाय । आप ने इस में तीन चार इंटेरेस्ट्स (हितों) को नुमायन्दगी दी हुई है, बाकी को नहीं दी है । जिन लोगों को इन जहाजों में सफर करना होता है या जिनको सामान भेजना होता है यानी जिनका इस चीज से लगाव हो सकता है उन लोगों को इसमें रिप्रज़ेंटेशन (प्रतिनिधित्व) मिलना चाहिये ताकि सारी बातें आप सुन सकें और उनके मुताबिक कार्रवाई कर सकें । इसलिये मैं चाहता हूं कि तादाद १६ से २० कर दी जाये और क्योंकि आप पैसिंजर्स का वेलफेयर (कल्याण) भी करना चाहते हैं इसलिये पैसिंजर्स एसोसियेशन्स को भी इस बोर्ड पर नुमायन्दगी दी जाये ।

†**श्री बाला साहेब पाटिल** (मिराज) : मैं अपना संशोधन संख्या १९४ प्रस्तुत करता हूं ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

मैं चाहता हूं कि नाविकों और पोत स्वामियों के प्रतिनिधियों को सरकार नियुक्त न करे बल्कि उनका चुनाव किया जाये । तभी बोर्ड में उनके हितों का सही प्रतिनिधित्व किया जा सकेगा ।

खण्ड ५ में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड विशेषज्ञों का निकाय होगा या सलाहकारों का । यदि वह विशेषज्ञों का निकाय होगा, तो उसमें संसद् सदस्यों को नियुक्त करने का कोई अर्थ नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री आचार (मंगलौर) : तटीय क्षेत्रों की जनता में इस खण्ड ४ की व्यवस्था से बड़ा उत्साह पैदा हो गया है। इसलिये कि तटीय प्रदेश के कुछ राज्यों, जैसे मैसूर, की अभी तक उपेक्षा ही की गई। गुजरात, बम्बई, तामिलनाद, बंगाल जैसे राज्यों के पास तो अपने पत्तन मौजूद हैं, लेकिन मैसूर में अभी तक कोई भी पत्तन नहीं बना है। कम से कम मंगलौर को तो एक पत्तन के रूप में विकसित किया ही जा सकता है। राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड में समुद्रतटीय राज्यों को भी एक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार देना चाहिये।

†**परिवहन तथा संचार मंत्री** (श्री स० का० पाटिल) : हम श्री बर्मन का संशोधन स्वीकार करते हैं कि बोर्ड में पांच के स्थान पर छः संसद्-सदस्य रहें और उसमें इस सभा के चार सदस्य हों। हम २ और १ का अनुपात रखने को तैयार हैं।

चूंकि श्री भरूचा का सात संसद्-सदस्य रखने का संशोधन मानने से यह अनुपात नहीं रहेगा, इसलिये हम उसे स्वीकार नहीं करते।

श्री भरूचा ने अपने दूसरे संशोधन द्वारा चाहा है कि सरकार द्वारा नियुक्त किये जाने वाले बोर्ड के सोलह सदस्यों में से विभिन्न हितों के प्रतिनिधियों की संख्या निश्चित कर दी जाये। मैं तो इसके लिये तैयार था, लेकिन इस तरह विभिन्न हितों के लिये प्रतिनिधियों की संख्या निश्चित करना सम्भव नहीं है। सरकार स्वयं भी सारी शक्तियां अपने हाथ में नहीं लेना चाहती। चूंकि अभी इसकी शुरुआत ही है, इसलिये अभी यह कहना कठिन है कि बोर्ड में कितने सदस्य रखे जाने चाहियें। हो सकता है कि १६ सदस्य भी न रखे जायें। अभी इस अवस्था पर नाविकों और पोत-स्वामियों का विशेष उल्लेख इसीलिये किया गया है कि इनको तो बोर्ड में लाना ही है। कई अन्य हितों का भी उल्लेख किया गया है, जैसे यात्रियों और नौवहन उद्योग आदि का। श्री आचार ने कहा है कि बोर्ड में कुछ छोटे पत्तनों का प्रतिनिधित्व भी होना चाहिये। बात तो ठीक है, लेकिन अभी इस अवस्था पर बोर्ड को कुछ हितों विशेष तक ही सीमित कर देना ठीक नहीं होगा।

हमारी कोशिश यही रहेगी कि उसमें अधिकाधिक हितों का प्रतिनिधित्व हो सके। हम इन सुझावों को ध्यान में रखेंगे।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं पहले संशोधन संख्या ३७ रखता हूं। प्रश्न यह है :

पृष्ठ ३०, पंक्ति १५ में,

(१) "five" ["पांच"] के स्थान पर, "six" ["छः"] शब्द रख दिया जाये; और

(२) "three" ["तीन"] के स्थान पर, "four" ["चार"] शब्द रख दिया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ६९, ७०, २४४, २४५ और १९४ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ४, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

---

†मूल अंग्रेजी में

खंड ४, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया

खंड ५—(राष्ट्रीय नौवहन बा॰ के कृत्य)

†**सरदार इकबाल सिंह** : मैं अपना संशोधन संख्या २४६ प्रस्तुत करता हूं ।

जनाब स्पीकर साहब, मैं चाहता हूं कि इस बोर्ड के फंक्शन्स (प्रकार्यों) को डिफाइन (परिभाषित) कर दिया जाये ताकि यह इफेक्टिव ढंग से चल सके और काम कर सके और सिर्फ रबर स्टैम्पिंग बाडी (हां में हां मिलाने वाला निकाय) न हो जिसमें यह हो कि दो घंटे मीटिंग हुई, डाइरेक्टर जनरल ने प्रीसाइड किया और वापस चले गये । गवर्नमेंट की जो बहुत सी कमेटीज़ बनी हैं उनमें इसी तरह से काम होता है । लेकिन मैं चाहता हूं कि इस बोर्ड के फंक्शंस साफ तौर से दर्ज हों ताकि जो मेम्बर इसकी मीटिंग्स में जायें वे अपने सजेशन्स भी दे सकें, और उनके सिलसिले में बोर्ड अपना काम कर सके और रिपोर्ट भी दे सके । लेकिन अगर आप बोर्ड को सिर्फ इतना ही रखेंगे कि वह डेवेलपमेंट आफ शिपिंग को देखे और जो मामला गवर्नमेंट रेफर करे उसको कंसीडर करे तो यह रबर-स्टैम्पिंग बाडी ही हो जायेगी । इसलिए मैं चाहता हूं कि इसके फंक्शन्स डिफाइन कर दिये जायें ताकि पैसिंजर ऐमिनिटीज़ (यात्री सुविधायें) के सिलसिले में यह बोर्ड काम कर सके और गवर्नमेंट को अपनी राय दे सके और गवर्नमेंट उस राय पर चले कि क्या अमेनिटीज़ होनी चाहिएं ।

दूसरी बात एम्पलायमेंट के सिलसिले में है । एम्पलायमेंट (रोजगार) के सिलसिले में यह बोर्ड गवर्नमेंट को डेफिनेट राय दे सके और हर मीटिंग में ये बातें सोची जा सकें ।

मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हम ने अभी इसको शुरू किया है, इसको प्लाई करेंगे । तो इस सिलसिले में बहुत सी बातें बोर्ड के कंसीडरेशन के लिये निकल सकती हैं । गवर्नमेंट की तरफ से जो चीज़ें रेफर होंगी वे बहुत देर से होंगी और बहुत कम होंगी । मैं चाहता हूं कि बोर्ड अपने तौर पर भी इन बातों पर गौर कर सके या अगर कोई मेम्बर किसी बात को पेश करता है तो उस पर गौर किया जा सके कि किस तरह से शिपिंग का ज्यादा अच्छा डेवेलपमेंट हो सकता है और क्या क्या ऐमेनिटीज़ होनी चाहिएं । मैं चाहता हूं कि ऐसा प्रावीजन होना चाहिए कि इन बातों पर भी बोर्ड अपने तौर पर गौर कर सके और साथ ही साथ वह उन बातों पर भी गौर करे जो गवर्नमेंट की तरफ से रेफर की जायें । मैं चाहता हूं कि बोर्ड के फंक्शन वाइड (व्यापक) कर दिये जायें और यह बोर्ड अपने तौर पर भी गवर्नमेंट को राय दे सके ।

†**श्री बाला साहेब पाटिल** : खण्ड ५ के उपखण्ड (ख) में कहा गया है कि इस बोर्ड का काम ऐसे मामलों में केन्द्रीय सरकार को राय देना होगा जो इस अधिनियम से उत्पन्न होंगे और जिन्हें वह राय के लिये सौंपेगी । हम इस अवस्था पर सिद्धान्तों पर विचार कर रहे हैं, इसलिये माननीय मंत्री को यह स्पष्ट कर देना चाहिये कि बोर्ड को कौन से मामले राय के लिये सौंपे जायेंगे ।

उपखण्ड (क) में कहा गया है कि बोर्ड को राय के लिये भारतीय नौवहन और उसके विकास से सम्बन्धित मामले सौंपे जायेंगे । मैं जानना चाहता हूं कि डॉकयार्डों या नये बन्दर बनाने इत्यादि के मामले इस अधिनियम के क्षेत्र में आते हैं, या नहीं ? और, बोर्ड के सदस्यों में इन मामलों के विशेषज्ञ नामज़द किये जायेंगे, या नहीं ?

इस विधेयक में यह भी नहीं बताया गया कि बोर्ड कोई प्रतिवेदन तैयार करेगा या नहीं । यदि हां, तो क्या वह प्रतिवेदन सभा में विचार के लिये रखा जायेगा, या नहीं ? क्या सरकार बोर्ड के निर्णयों पर अमल करेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० का० पाटिल** : माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं, वे वास्तव में विधेयक के क्षेत्र को और भी सीमित करते हैं । वास्तव में, राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड को पूरी नौवहन नीति से अवगत रखा जायेगा । उपखण्ड (क) में यही कहा गया है । उपखण्ड (ख) में कहा गया है कि राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड जो भी कहेगा या करेगा, उसके अलावा भी सरकार कुछ अन्य मामलों को राय के लिये बोर्ड के पास भेजेगी । सरकार कुछ मामलों में बोर्ड की राय लेना ठीक समझेगी । अभी हमें अपनी नौवहन नीति बनाना है, उसको अधिसूचित करना है । इसलिये इस समय तो क्या, अभी तीन-चार साल तक उसे स्पष्ट रूप से नहीं बताया जा सकेगा । ये सुझाव भी अभी अपनी शुरुआती अवस्था में ही हैं । बोर्ड के प्रकार्यों की परिभाषा तो होनी चाहिये, लेकिन हमें अभी वह परिभाषा बनानी है । उसमें समय लगेगा । इसलिये अभी हमें इसी से संतुष्ट हो जाना चाहिये कि नौवहन नीति से सम्बन्धित सभी मामले बोर्ड के सामने रखे जायेंगे ।

सरकार सामान्यतया बोर्ड की राय के अनुसार ही चलेगी । यदि हो सकेगा तो बोर्ड के प्रतिवेदन सभा के सामने रखे जायेंगे और अन्तिम रूप से नौवहन नीति का निर्माण सभा ही करेगी । यही सब सोचकर खण्ड की व्यवस्थाओं को व्यापक रूप दिया गया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अपने संशोधन पर आग्रह नहीं करना चाहते ।

संशोधन संख्या २४६, सभा की अनुमति से वापिस लिया गया

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ५ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड ५ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

नया खंड ५ क

†**श्री नौशीर भरूचा** : मैं अपना संशोधन संख्या ७१ प्रस्तुत करता हूं ।

अभी-अभी माननीय मंत्री ने कहा है कि कोई भी ठोस सुझाव नहीं आया है । मेरे इस संशोधन में बोर्ड को अधिकारियों की अर्हताओं और उनकी क्षमता निश्चित करने तथा परीक्षायें कराने और अधिकारियों को प्रमाणपत्र आदि देने के बारे में अन्तिम निर्णायक शक्ति दी गई है । यदि सरकार नौवहन अधिनियम के अन्तर्गत सभी शक्तियां अपने हाथ में नहीं लेना चाहती, तो वे शक्तियां बोर्ड को दे देनी चाहियें ।

†**श्री स० का० पाटिल** : विधेयक की योजना के अनुसार बोर्ड का काम सलाह देना होगा । इसलिये आप संविहित शक्तियों को उसके प्रकार्यों में नहीं जोड़ सकते । नौवहन महानिदेशक को कुछ संविहित शक्तियां दी गई हैं । वह उनका निर्वहन करेगा । यदि हम संविहित शक्तियों का निरुपण कर दें, तो उनकी सूची बड़ी सीमित हो जायेगी । बोर्ड की कुछ थोड़ी ही शक्तियों का यहां उल्लेख किया गया है, उसकी शक्तियां बहुत अधिक भी हो सकती हैं । अभी हमें पूरी नौवहन की समूची परिस्थिति का पूरा ज्ञान भी नहीं है । इसीलिये मेरा सुझाव यह है कि अभी परिस्थिति को और विकसित होने दिया जाये और जब हमें उसका अच्छा ज्ञान हो जाये तभी इन शक्तियों का निरुपण किया जाये । इस अधिनियम के अन्तर्गत तो राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड को सलाह देने की

†मूल अंग्रेजी में

शक्ति ही दी गई है । हम उसे कम नहीं करना चाहते । तीन-चार वर्ष बाद तो बोर्ड का प्रकार ही बदल जायेगा । तब उसे संविहित शक्तियां भी दी जा सकेंगी । हमें राष्ट्रीय नौवहन नीति निर्धारित होने तक रुकना चाहिये । यह मेरा आश्वासन है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अपने संशोधन पर आग्रह नहीं कर रहे ।

संशोधन संख्या ७१, सभा की अनुमति से वापिस लिया गया ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ६ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ६ विधेयक में जोड दिया गया ।

नये खण्ड ६क और ६ख

†**श्री जाधव** : मैं अपना संशोधन संख्या १७२ प्रस्तुत करता हूं ।

सरकारी नीति घोषित की गई है कि इस देश में समाजवादी ढंग का समाज बनाया जाये । लेकिन सरकार ने उसके लिये अभी तक कुछ भी नहीं किया है । अब हमारे यहां वणिक नौवहन विधेयक पारित हो चुका है और अब हमारे देश का अपना नौवहन रजिस्टर रहेगा । हमने 'भारतीय पोत' की परिभाषा भी कर दी है । इसलिये अब जरूरी है कि एक नौवहन निगम भी स्थापित किया जाये ।

सरकार को इस नौवहन उद्योग को भी सरकारी क्षेत्र में रखना चाहिये । इस उद्योग में भारतीय पूंजी भी लगी हुई है । इसलिये सरकार को नौवहन निगम स्थापित कर देना चाहिये ।

भारत को हर साल नौवहन भाड़े के रूप में १६० करोड़ रुपये अदा करने पड़ते हैं । इस समय पोतों के भाव गिरे हुए हैं, इसलिये अच्छा हो यदि सरकार नौवहन निगम स्थापित करके, निगम के जरिये कुछ पोत खरीद ले । हमें इसके लिये विश्व बैंक से ऋण भी मिल सकता है ।

श्री रामस्वामी मुदालियर ने अपना मत व्यक्त किया है कि उन्हें नौवहन के राष्ट्रीयकरण पर कोई भी आपत्ति नहीं है । उन्हें इस पर भी कोई आपत्ति नहीं है कि सरकारी क्षेत्र में इसे रखा जाये । हम इस क्षेत्र में सरकारी और निजी क्षेत्र का सहयोग भी कर सकते हैं ।

†**श्री स० का० पाटिल** : मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस प्रकार नये खण्ड जोड़कर नौवहन का राष्ट्रीयकरण करने की कोशिश की जा सकती है । खण्ड ६ तो केवल एक आनुषंगिक खण्ड है, क्योंकि विधेयक अन्य खण्डों में प्राधिकारों की व्यवस्था करने के बाद, हमें बोर्ड के सदस्यों की पदावधि, और अधिकारियों की नियुक्ति इत्यादि की व्यवस्था करनी ही पड़ती । इसीलिये, खण्ड ६ की आवश्यकता पड़ी है । अब माननीय सदस्य उस में नया खण्ड ६-क और ६-ख जोड़ कर, बड़े घुमाव फिराव से, राष्ट्रीयकरण की व्यवस्था करने की सोच रहे हैं । इस संशोधन से राष्ट्रीयकरण भी कैसे होगा, यह भी मेरी समझ में नहीं आया । उसमें कहा गया है कि सरकार एक निश्चित तिथि से भारत का नौवहन निगम स्थापित कर दे । सरकार इस क्षेत्र में दो निगम पहले ही स्थापित कर चुकी है---ईस्टर्न शिपिंग कारपोरेशन और वैस्टर्न शिपिंग कारपोरेशन । अब तीसरा अखिल भारतीय निगम स्थापित कर देने से नौवहन का राष्ट्रीयकरण कैसे हो जायेगा ? यह बात तो मेरी समझ में आती है कि किसी न किसी अवस्था पर समूचे वणिक नौवहन का राष्ट्रीय-

†मूल अंग्रेजी में

[श्री स० क० पाटिल]

करण किया जाना चाहिये। लेकिन वह जब भी किया जायेगा, तब इस प्रकार नहीं, ऐसे आनुषंगिक खण्डों के संशोधन द्वारा तो नहीं ही किया जायेगा। इसलिये दो नये खण्डों को जोड़ने का यह संशोधन बिलकुल असंगत है।

†अध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन को मतदान के लिये रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १७२ मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ७ विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ७ विधेयक में जोड़ दिया गया।

†अध्यक्ष महोदय : खण्ड ८ से १२ विधेयक का अंग बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड ८ से १२ विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड १३ (नाविक कल्याण अधिकारी)

†श्री तंगामणि : मैं अपना संशोधन संख्या ३८ प्रस्तुत करता हूं।

मेरे संशोधन का तात्पर्य यह है कि नाविक कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति सरकार द्वारा होनी चाहिये। ये भारत के सभी बड़े बन्दरगाहों में और विदेशों में जहां सरकार इनकी आवश्यकता समझे, वहां नियुक्त किये जाने चाहियें। इन्हें नाविकों के कल्याण के लिये इस प्रकार कार्य करना चाहिये जिससे उनमें अपने कल्याण अधिकारियों के प्रति विश्वास पैदा हो।

†श्री राज बहादुर : मेरे विचार से स्थिति का सामना करने के लिये यह खण्ड पर्याप्त है क्योंकि सरकार, काम की मात्रा के अनुसार जहां आवश्यकता समझेगी वहां कल्याण अधिकारियों की नियक्ति कर सकती है। बम्बई व कलकत्ता में पूरे समय कार्य करने वाले कल्याण अधिकारी हैं। मद्रास में एक अधिकारी की नियुक्ति करने का विचार है। विदेशों में वाणिज्यिक दौत्य अधिकारियों को नाविकों के कल्याण का दायित्व दिया गया है। मेरे विचार से वर्तमान व्यवस्था उनके कल्याण के लिये पर्याप्त होगी।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ३८ मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"खंड १३ विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड १३ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड १४--(नौवहन विकास निधि का निर्माण)

†श्री नौशीर भरूचा : मैं अपना संशोधन संख्या ७३ प्रस्तुत करता हूं।

†मूल अंग्रेजी में

नौवहन विकास निधि में सरकार जा राशि देगी वह बहुत कम गी, लेकिन इस निधि का उपयोग बहुत अधिक होगा इसलिये सरकार यात्री तथा माल पर अधिभार लगा सकती है और इस प्रकार थोड़े समय में पर्याप्त राशि एकत्र की जा सकती है ।

†**श्री राज बहादुर** : यदि हम अधिभार लगायेंगे तो अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रतिद्वंदिता करने वाली अन्य नौवहन कम्पनियों से हम पिछड़ जायेंगे । माल तथा यात्रियों पर अतिरिक्त अधिभार लगाने से यात्रियों व जहाजों को अधिक परेशानी का सामना करना होगा । हम इन पर अधिक बोझ नहीं डालना चाहते हैं । अतः यह निधि, उस विशेष खण्ड में विहित संसाधनों से निर्मित होगी ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ७३ मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १४ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १४ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड १५ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १५ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड १६ (नौवहन विकास निधि का लागू होना)

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (पाली) : मैं अपना संशोधन संख्या २४० प्रस्तुत करता हूं ।

मेरा आशय यह है कि निधि का ५० प्रतिशत सरकारी क्षेत्र में नौवहन के उपयोग में आये । सरकार को इस क्षेत्र में पदार्पण करना चाहिये । कारण यह है कि अब तक जहाज़ के मालिकों ने कभी भी हमारी आशा या लक्ष्य के अनुरूप कार्य नहीं किया है वे सन्तोषजनक रूप से माल लादने ले जाने में असमर्थ रहे हैं । अतः मेरा निवेदन है कि उक्त निधि का ५० प्रतिशत निगम बनाने के लिये उपयोग में लाया जाय ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : मैं अपना संशोधन संख्या २५६ प्रस्तुत करता हूं । उक्त संशोधन से मेरा आशय यह है कि लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रति वर्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिये । अन्यथा जो लोग इन गलतियों के लिये जिम्मेदार होंगे वे तब तक नौकरी छोड़ देंगे और उन पर कोई कार्यवाही करना संभव नहीं होगा ।

†**श्री परुलेकर** (थाना) : मैं संशोधन संख्या ४७ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री वारियर** (त्रिचूर) : मेरा संशोधन संख्या ११४ है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह संशोधन संख्या ४७ जैसा ही है ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

†**श्री बाला साहब पाटिल** : मैं संशोधन संख्या १९५ प्रस्तुत करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बाला साहेब पाटिल]

मेरा सुझाव है कि समिति को कुछ अधिक शक्तियां होनी चाहियें। उसे जहाजों की खरीद व निर्धारण के लिये ऋण देने का अधिकार होना चाहिये। समिति को प्रत्येक बात के लिये केन्द्रीय सरकार पर निर्भर नहीं रहना चाहिये।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (हिसार) : मैं संशोधन संख्या ८६ प्रस्तुत करता हूं।

इस संशोधन से मेरा आशय यह है कि सरकार ऋण देते समय कोई ऐसी शर्त विहित न करे जो बहुत कठोर हों और जिसके कारण कम्पनियां ऋण लेना अस्वीकार कर देवें। इसलिये लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में विशिष्ट शर्तें विहित करना उचित नहीं होगा। अतः मंत्री महोदय को यह आश्वासन देना चाहिये कि ऐसी कोई शर्त नहीं रखी जायेगी जिससे समवायों को ऋण लेने में रुकावट हो।

†**श्री तंगामणि** : मैं अपना संशोधन संख्या ३९ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री वारियर** : विधेयक में कहा गया है कि इस राशि का उपयोग जहाजों को प्राप्त करने और निर्धारण में होगा। मेरी आपत्ति निर्धारण के सम्बन्ध में है। मैं चाहता हूं कि यह राशि केवल जहाजों के अर्जन के लिये होनी चाहिये।

मेरा सुझाव यह है कि यह निधि राज्य निगमों द्वारा जहाज प्राप्त करने के लिये रक्षित रहनी चाहिये क्योंकि १९४७ के संकल्प के अनुसार भविष्य में यह उद्योग पूरी तरह सरकार द्वारा लिया जा सकता है ऐसी अवस्था में कुछ राशि का राज्य निगमों द्वारा उपयोग के लिये रक्षित रहना आवश्यक है। सम्भव है जहाजों के मालिक इस निधि का लाभ न उठायें क्योंकि पिछले कई वर्षों में भी जहाजों के मालिकों ने सरकार द्वारा दी गई कई सुविधाओं का लाभ नहीं उठाया है।

†**श्री स०का० पाटिल** : श्री हरिश्चन्द्र माथुर ने हमें सुझाव दिया है कि हम संविहित रूप से ५० प्रतिशत निधि सरकारी क्षेत्र के लिये सुरक्षित कर दें। यह बात सरकारी क्षेत्र के विरुद्ध जा सकती है। एक समय ऐसा आ सकता है जबकि समस्त निधि सरकारी क्षेत्र को जायेगी। सरकारी क्षेत्र का दायित्व सरकार पर होने पर, इसकी समस्त आवश्यकतायें इससे पूरी की जायेंगी। हमारा अभिप्राय यह नहीं है कि सरकारी क्षेत्र को मिलने वाला लाभ गैर-सरकारी क्षेत्र को जाय। इसलिये इस स्थिति में प्रतिशत का निर्धारण करना उचित नहीं है। समिति की नियुक्ति भी सरकार द्वारा होगी। अतः ऐसी कठिनाई पैदा होने की सम्भावना ही नहीं है। इसलिये मैं कहता हूं कि सरकारी क्षेत्र की आवश्यकता होने पर ५० प्रतिशत ही नहीं अपितु शत प्रतिशत निधि नौवहन के विकास के लिये दी जा सकती है। अतः मैं ५० प्रतिशत स्वीकार करने के पक्ष में नहीं हूं। लेखा परीक्षा सम्बन्धी संशोधन में कहा गया है कि लेखाओं का वार्षिक परीक्षण होना चाहिये। वस्तुतः महालेखा परीक्षक ने स्वयं ही इन शब्दों को पसन्द किया है यदि वे चाहते हैं तो प्रतिवर्ष लेखा परीक्षण कर सकते हैं। वस्तुतः सरदार इकबाल सिंह को जिस बात का सन्देह है वैसा नहीं हो सकता है। अतः उक्त शब्दावली को स्वीकार किया जाय।

पण्डित ठाकुर दास भार्गव ने उपखण्ड २ का जिक्र किया है। एक गैर-जिम्मेदार अधिकारी ऐसी शर्तें रख सकता है जो वस्तुतः वहां न हों। अभिप्राय यह है, क्योंकि इस दायित्व का एक बड़ा अंश सरकार वहन करेगी, अर्थात् हम बहुत बड़ी राशि के ऋण देंगे वस्तुतः हम निदेशक की नियुक्ति करना चाहते थे लेकिन हमने विशिष्ट रूप से इसे इस कारण विहित नहीं किया कि कुछ कम्पनियां जिन्हें हम

---

†मूल अंग्रेजी में

ऋण दे चुके हैं वहां सरकारी निदेशक नहीं हैं। यद्यपि हम ऐसा करना चाहते हैं तथापि इसके लिये अधिनियम में परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं होगी। अतः हमें इस सम्बन्ध में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिये।

श्री वारियर ने कहा है कि निर्धारण के लिये इस राशि से व्यय नहीं करना चाहिये। वस्तुतः हमारा अभिप्राय भी निर्धारण के लिये ऋण देना नहीं है। यह ऋण जहाजों की खरीद इत्यादि में दिया जायगा। लेकिन यदि निर्धारण इत्यादि के लिये रुपया प्रदान न किये जाने पर, ऐसे जहाज को खतरा हो जिसके लिये सरकार ने अग्रिम धन दिया है तब इसकी आवश्यकता हो सकती है। सामान्यतः जहाजों के निर्धारण के लिये कोई राशि प्रदान नहीं की जायेगी।

वस्तुतः राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड उक्त बातों के सम्बन्ध में नीति बनायेगा और सरकार को समय समय पर सलाह देगा। अतः हमें यह बात बोर्ड के हाथों में छोड़ देनी चाहिये कि वे ऐसी प्रणाली या परम्परा कायम करें जो स्थायी रूप से कायम रहे।

†**श्री परुलेकर** : मेरे संशोधन का उत्तर नहीं दिया गया है।

†**श्री राज बहादुर** : माननीय मन्त्री द्वारा बताये गये कारणों के आधार पर हम ५० प्रतिशत राशि को सरकारी क्षेत्र के लिये सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। उन्हीं कारणों से हम गैर-सरकारी क्षेत्र को भी इस लाभ से वंचित नहीं कर सकते हैं। हम गैर-सरकारी कम्पनियों के विरुद्ध विभेद नहीं करना चाहते हैं। यह निधि दोनों के लिये है।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या २४०, २५६, ४७, १९५, ८६ और ३९ मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"खण्ड १६ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड १६ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड १७ से १४९

†**उपाध्यक्ष महोदय**: अब हम समय बचाने के लिये खण्ड १७ से खण्ड १४९ तक साथ लेते हैं। इन खंडों पर माननीय सदस्य अपने संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं

†**पंडित कृ० चं० शर्मा** (हापुड़) : मैं संशोधन संख्या ८८ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : मैं संशोधन संख्या ४० और ४१ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री मोहम्मद इमाम** (चित्तल द्रुग) : मैं संशोधन संख्या ८७ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री परुलेकर** : मैं संशोधन संख्या ४८, ४९ और ५० प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री नौशीर भरूचा** : मैं संशोधन संख्या ७४, ७५, ७६, ७७, ७८, ७९, ८०, ८१, ८२ और १७६ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री आसर** : मैं संशोधन संख्या १७८, १७९ और २५७ प्रस्तुत करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री जाधव : मैं संशोधन संख्या १५४, १५५ और १५६ प्रस्तुत करता हूं।

†श्री तंगामणि : मैं संशोधन संख्या ४२, ९१, ९२ प्रस्तुत करता हूं।

†श्री बाला साहेब पाटिल : मैं संशोधन संख्या १९७ और १९८ प्रस्तुत करता हूं।

†श्री ले० अचौ सिंह (आन्तरिक मनीपुर) : मैं संशोधन संख्या १७३ प्रस्तुत करता हूं।

†श्री अरविन्द घोषाल (उलुबेरिया) : मैं संशोधन संख्या २०, २१, २२, २३ और २४ प्रस्तुत करता हूं।

†सरदार इकबाल सिंह : मैं संशोधन संख्या १२१ प्रस्तुत करता हूं।

†श्री नाथ पाई (राजापुर) : मैं संशोधन संख्या २६१ १५७, १५८, १५९, १६०, १६१ और १६२ प्रस्तुत करता हूं।

†श्रीमती इला पालचौधरी : मैं संशोधन संख्या १३८, १३९, १४०, १४१ और १४२ प्रस्तुत करती हूं।

†श्री र० द० मिश्र (बुलन्दशहर) : मैं संशोधन संख्या ६० प्रस्तुत करता हूं।

†उपाध्यक्ष महोदय: यह संशोधन संख्या ८८ जैसा ही है, जो प्रस्तुत हो चुका है। माननीय सदस्य खण्ड १४९ तक सभी खण्डों और संशोधनों पर बोल सकते हैं।

†श्री नाथ पाई: श्रीमान् जी देशी तथा विदेशी पूंजी के प्रतिशत के बारे में दोनों ओर से काफी तर्क प्रस्तुत किये गये हैं, किन्तु इस बात पर बहुत कम बल दिया गया है कि भारत के व्यापारिक समुद्री बेड़े का संचालन किन लोगों के हाथ में रहेगा तथा भारतीय नागरिकों को कुशल नाविक बनाने के लिये, जिससे कि वे अपने देश के व्यापारिक बेड़े का सारा कार्यभार अपने हाथ में ले सकें, प्रशिक्षण आदि की क्या व्यवस्था की जायेगी ? इस बात का विशेष अन्तर नहीं पड़ता कि जहाज किन लोगों की पूंजी से बना है। यदि किसी जहाज़ का संचालन भारतीय कप्तान तथा नाविकों के हाथ में है तो हमें किसी किस्म का खतरा नहीं पैदा हो सकता। वर्तमान विधेयक में इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया है कि भारतीय व्यापारिक जहाजों के नाविक कौन लोग होंगे। यह बड़ी भारी चूक है। आशा है मन्त्री महोदय इस बात की ओर विशेष ध्यान देंगे।

मेरा संशोधन संख्या २६१ 'गह व्यापार पर लगे हुए जहाज़' शब्द की परिभाषा के सम्बन्ध में हैं। वर्तमान विधेयक के अनुसार ३,००० टनों तक के ऐसे जहाजों को जो भारत के तट पर एक बन्दरगाह से दूसरे बन्दरगाह तक माल ले जाते हैं, गह व्यापार पर लगे हुए जहाज़ करार दिया गया है। मैंने अपने संशोधन में यह कहा है कि इस खण्ड में यह परन्तुक और जोड़ा जाना चाहिये "कि धारा ३ खण्ड (१६) का गृह-व्यापार में लगे हुए वर्तमान जहाजों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा यद्यपि उनका ग्रास टन भार ३,००० टन से अधिक भी हो।"

संशोधन १५७ में मैंने यह कहा है कि विधेयक की पृष्ठ ७६ पर २८वीं पंक्ति में 'अथवा' हटा दिया जाये तथा २९वीं पंक्ति में 'अथवा' के स्थान पर 'तथा' रख दिया जाये।

संशोधन संख्या १५८ में मैंने यह कहा है कि चार दिन के स्थान पर ४८ घंटे कर देने चाहियें। बेतन भुगतान अधिनियम में भी ४८ घंटे शब्दों का प्रयोग किया गया है। ऐसे करने से दोनों अधिनियमों में एकरूपता आ जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

संशोधन संख्या १५९ के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता ।

मैंने संशोधन संख्या १६० इसलिये रखा है कि नाविकों के साथ करार में यह शर्त भी रख दी जाये । यह शर्त रखना इस लिये जरूरी है क्योंकि नाविक प्रायः अनपढ़ होते हैं ।

खण्ड १४३ में जो ये शब्द रखे गये हैं कि "ऐसी राशियां जो कि जहाज का मास्टर सेवा छोड़ने की स्थितियों को देखते हुए निश्चित करे" इत्यादि विधेयक में से निकाल दिये जाने चाहियें क्योंकि यह जहाज के मास्टर को अनावश्यक अधिकार देने वाले शब्द हैं ।

†**श्री वारियर** : श्रीमान् जी हम इस विधेयक के खण्ड दो पर विचार कर रहे हैं । कल मन्त्री महोदय ने भारतीय जहाजरानों के कृत्यों पर बड़ा गर्व प्रकट किया है और उन्होंने आशा प्रकट की है कि उनका उद्देश्य यही है कि वह भारतीय जहाज़रानी को शत प्रतिशत भारतीय बनाना चाहते हैं । उन्होंने यह आशा प्रकट की है कि शीघ्र ही नौवहन पर पूर्णरूपेण भारतीयों का नियन्त्रण हो जायेगा । किन्तु मेरी समझ में नहीं आता जब हम इसमें २५ प्रतिशत विदेशी पूंजी लगाने की अनुमति दे रहे हैं तब यह उद्देश्य कैसे पूर्ण हो सकेगा ? और अब भी इस सभा के बाहर इस प्रतिशत को ६०:४० या ५१:४९ तक बढ़ाने की बातचीत की जा रही है । मेरा विचार है जब तक हम शतप्रतिशत भारतीय पूंजी नहीं लगायेंगे तब तक हमारा इस उद्योग पर कभी भी शतप्रतिशत नियन्त्रण नहीं हो सकेगा ।

†**श्री जाधव** : इस विधेयक में भारतीय जहाज़ की परिभाषा दी गई है किन्तु इस विषय में कोई उपबन्ध नहीं किया गया है कि इस जहाज का नियन्त्रण भारतीय राशियों के हाथ में रहेगा । मैं यह चाहता हूं कि भारतीय जहाज की बागडोर पूर्ण रूपेण भारतीय लोगों के हाथ में होनी चाहिये । इसमें शत प्रतिशत भारतीय पूंजी लगी होनी चाहिये । क्योंकि ऐसी स्थिति में ही हम आपतकाल में अपने जहाजों का प्रयोग कर सकते हैं अन्यथा नहीं। मैंने इसी आधार पर संशोधन संख्या १५६ प्रस्तुत किया है ।

†**श्री नौशीर भरूचा** : मैंने जो संशोधन संख्या ७४, ७५, ७६ प्रस्तुत किये हैं, ये खण्ड २१ के बारे में हैं । श्रीमान् मैं चाहता हूं कि विदेशी पूंजी की जो राशि निश्चित की गई है वह किसी भी हालत में नहीं बढ़ाई जानी चाहिये । और उसको बंधकों तथा अन्य तरीकों से बढ़ाने का कोई प्रयत्न नहीं किया जाना चाहिये क्योंकि अन्यथा विदेशी लोगों का भारतीय जहाजों के नियन्त्रण में बहुत हाथ बढ़ जायेगा । मैंने अपना संशोधन संख्या ७६ इसलिये प्रस्तुत किया है ताकि विदेशी पूंजी को चोर दरवाज़े से इस उद्योग में घुसने का अवसर न मिल सके ।

खण्ड ३२ के अनुसार जहाज़ मालिकों को जहाज़ का पंजीयन कराने के लिये रजिस्ट्रार के पास कुछ कागजों की मूल प्रतियां भेजने का उपबन्ध किया गया है । मैं चाहता हूं ऐसे अधिकार पत्र वगैरह की फोटो प्रतियां जहाज़ियों को दी जानी चाहियें जो कि वे रजिस्ट्रार के पास जमा करा देंगे ।

मेरा संशोधन संख्या ७८ खंड ४२ के विषय में है जो कि संयुक्त समिति की रिपोर्ट के अनुसार गलत छपा हुआ है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मेरे विचार में इस सम्बन्ध में एक शुद्धि पत्र जारी किया जा चुका है ।

†**श्री नौशीर भरूचा** : वह शुद्धि पत्र भी गलत छपा है । यह सारे का सारा खंड ग़लत छप गया है । इसको ठीक करने के लिये ही मैंने यह संशोधन रखा है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री नौशीर भरूचा]

खंड ४४ के बाद में एक नया खण्ड ४४क और रखवाना चाहता हूं ताकि जब भी कभी किसी नये व्यक्ति को कोई भी अधिकार दिया जाये उसके बारे में एक अधिसूचना जारी की जाये । इससे विदेशी पूंजी का चोर दरवाज़े से प्रवेश नहीं हो सकेगा ।

संशोधन संख्या ८० का यह उद्देश्य है कि जब कभी भी उच्च न्यायालय के आदेशानुसार किसी ऐसे जहाज़ की कुर्की या नीलामी की जाये जिसमें भारतीय हिस्सेदार भी हों तब भारतीय हिस्सेदारों को उस जहाज़ को खरीदने का प्रथम अधिकार होना चाहिये ।

मेरे खण्ड ६४ के बारे में संशोधन संख्या ८२ और १०३ दो छोटे से संशोधन हैं । उनके बारे में मैं उनसे अधिक कुछ नहीं कहना चाहता ।

†**श्री अरविन्द घोषाल** : श्रीमान् मेरा पहला संशोधन संख्या २० खंड ८८ के बारे में है । इस खण्ड में सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह यह निश्चित कर सकेगी कि किसी जहाज को चलाने के लिये कम से कम कितने नाविक होने जरूरी हैं । अब कई बार जहाज़ी कम नाविकों से ही जहाज़ चालू कर देते हैं । इसलिये मैंने यह संशोधन रखा है कि यदि किसी जहाज पर निर्धारित संख्या से कम नाविक हों तो उसे अगले बन्दरगाह पर अवश्य यह संख्या पूरी कर लेनी चाहिये । यदि वहां पर कोई नाविक न मिल सकते हों तभी जहाज़ को छट दी जानी चाहिये ।

संशोधन संख्या २१ खंड ८९ के बारे में है । इस खण्ड के अन्तर्गत जहाज़ के मास्टर को नाविकों की शिकायतें आदि सुनने का अधिकार दिया गया है । किन्तु अगर मालिकों और नाविकों के बीच करार के बारे में किसी शर्त का उल्लंघन हो तब उनकी शिकायत की सुनवाई का कोई व्यवधान नहीं किया गया है । मास्टर को ऐसी शिकायतें सुनने का भी अधिकार होना चाहिये ।

संशोधन संख्या २२ खंड १०१ के बारे में है । इस का उद्देश्य यह है कि जहाज़ के मालिकों और नाविकों के बीच जो करार हो उसमें उनके सप्ताह में काम करने के कितने घण्टे होंगे यह बात साफ तौर से लिखी रहनी चाहिये ताकि नाविकों को पता रहे उन्हें सप्ताह में कुल कितने घंटे काम करना है और उनसे ज्यादा काम कराने की शिकायतें न आयें ।

इसी खण्ड के बारे में मैं ने एक और संशोधन रखा है । इसमें यह कहा गया है कि नाविकों से लिये जाने वाले काम का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये । इस समय एक नाविक से जहाज में झाड़ देने से लेकर रसोईघर में भोजन बनाने तक का काम लिया जाता है । यह बात ठीक नहीं है । प्रत्येक व्यक्ति को पता होना चाहिये कि वह किस काम के लिये नियुक्त हुआ है और उसके साथ करार में उसके कर्तव्य लिखे रहने चाहियें ।

मेरा संशोधन संख्या २४ खंड १३८ के बारे में ही हमें वर्तमान खंड के स्थान पर यह उपबन्ध रखना चाहिये कि जैसे ही कोई नाविक किसी जहाज पर जाने के लिये चुन लिया जायेगा उस के २४ घण्टे के पश्चात् उसको ३ रुपये प्रति दिन के हिसाब से भोजन व्यय[1] मिलना शुरू हो जायेगा । वास्तव में उनको यह व्यय मिल भी रहा है । इसलिये मैं समझता हूं विधेयक में इस बात का स्पष्ट उपबन्ध हो जाना चाहिये ।

†**श्री महन्तो** (ढेंकानाल) : मैं अपना संशोधन संख्या ५९ प्रस्तुत करता हूं । मैं अपने संशोधन द्वारा माननीय मन्त्री का ध्यान नौवहन उद्योग के राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता की ओर दिलाना चाहता हूं । आज भारतीय नौवहन उद्योग की यह स्थिति है कि दो या तीन कम्पनियों ने इस पर एका-

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1]Victual charge.

एकाधिकार जमा रखा है । यदि आप उनके संसाधनों पर विचार करेंगे तो आपको पता चल जायेगा कि उनकी वास्तविक स्थिति कितनी शोचनीय है तथा उसमें सामान्य भारतीय करदाता का कितना अंश लगा हुआ है । सिंधिया कम्पनी की ३० जून, १९५७ को कुल प्रदत्त पूंजी ११३८.५७ लाख रुपये थी । भारत सरकार ने उन्हें ११२०.२२ लाख रुपये का ऋण दिया हुआ है । शेष कम्पनियों की भी यही दशा है । ये सारी कम्पनियां आज सरकारी ऋणों के सहारे चल रही हैं और उसके सहारे इतना इतना मुनाफ़ा कमा रही हैं । मैं समझता हूं हमें इस स्थिति से तुरन्त छुटकारा पाने का प्रयत्न करना चाहिये और इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर लेना चाहिये ।

आज हम देश में समाजवादी ढाँचे का समाज बनाना चाहते हैं । हमने मोटर-ठेलों के परिवहन व्यापार तक का राष्ट्रीयकरण करना प्रारम्भ कर दिया है । आज रेलवे परिवहन का राष्ट्रीयकरण हो चुका है । फिर नौवहन का ही क्यों राष्ट्रीयकरण न किया जाये ?

हमारा नौवहन उद्योग आज भी संसार की जहाजी कम्पनियों से मुकाबला करने की स्थिति में नहीं आ पाया । इसको १९५५–५६ और १९५८–५९ के बीच २९.६९ करोड़ रुपये के ऋण देने स्वीकार किये गये थे किन्तु यह उद्योग उनमें से केवल १८.४८ करोड़ रुपये की राशि का ही उपयोग कर सका । यदि यही रुपया सरकारी क्षेत्र में किसी नौवहन निगम के पास जाता तो इस उद्योग की कितनी उन्नति हो सकती थी ?

प्रतिरक्षा की दृष्टि से भी इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण करना बड़ा आवश्यक है । इसलिये मैंने यह संशोधन रखा है कि सरकार इस उद्योग का तुरन्त राष्ट्रीयकरण कर ले ।

†**श्री तंगामणि:** मेरा संशोधन संख्या ४२ छः मुख्य बन्दरगाहों के बारे में है तथा संशोधन संख्या ९१ और ९२ उन बन्दरगाहों में काम करने वाले श्रमिकों की परिस्थितियों के बारे में । मैं यह चाहता हूं कि खण्ड १२०(१) में जो यह कहा गया है कि जब कोई नाविक डिसचार्ज किया जायेगा उस समय जहाज के मास्टर को "नाविक के काम के अच्छे या बुरे होने की रिपोर्ट दी जायेगी" यह बात बड़ी भयानक सिद्ध हो सकती है खास कर जबकि उस नाविक को दूसरे जहाज पर नौकरी करने के लिये जाना पड़ेगा । इसलिये इस खण्ड को विधेयक में से निकाल देना चाहिये ।

मेरा दूसरा संशोधन संख्या ९२ खण्ड १४३ के बारे में है । इसके बारे में श्री नाथ पाई पहले ही बता चुके हैं कि जब किसी नाविक को बर्खास्त किया जाये तब उसे उसका पूरा वेतन मिलना चाहिये ।

इसी प्रकार मालिकों तथा नाविकों के बीच होने वाले करार में स्पष्टतया यह बात लिखी रहनी चाहिये कि नाविकों को कितने घंटे काम करना होगा । यह अवधि एक दिन में ८ घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिये जिसको कि हम फैक्टरी ऐक्ट में स्वीकार कर चुके हैं । इस सम्बन्ध में मैं श्री घोषाल के संशोधनों का पूर्ण समर्थन करता हूं ।

†**श्री आसर :** श्रीमान् मेरा संशोधन देशी नावों के बारे में है । आज देशी नावों व छोटे देशी जहाजों का कारोबार बिल्कुल नष्ट सा हो रहा है । अगर इस कारोबार को सरकार का आश्रय नहीं मिला तो यह बिल्कुल ठप्प हो जायेगा । देशी नापों में प्रायः २, ४ या ६ नाविक रहते हैं और ये नावें एक दिन में ३० से ५० मील तक सफर करती हैं । इसलिये मेरा निवेदन है कि ३० टन तक के इन देशी जहाजों तथा नावों को इस विधेयक से छूट दी जानी चाहिये ताकि उनके मालिक जो कि प्रायः अशिक्षित होते हैं, बिना सरकारी अफसरों की रोक टोक के अपना जीवन निर्वाह कर सकें ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी :** मेरे संशोधन नाविकों के कल्याण से सम्बन्धित हैं । संशोधन संख्या १३८ में मैंने यह कहा है कि किसी जहाज़ को प्रमाणपत्र देने से पहले सर्वेक्षक को यह देख लेना

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती इला पाल चौधरी]

चाहिये कि उस जहाज़ पर नाविकों के लिये पर्याप्त स्थान है अथवा नहीं। जब तक उसे इस बात का पूर्ण सन्तोष न हो जाये उसे जहाज़ को प्रमाणपत्र नहीं देना चाहिये।

मेरा संशोधन संख्या १४० खंड १२२ के बारे में है। इस उपबन्ध में इन शब्दों के "कि नाविकों को जहाज़ की आमद के ४८ घंटे के अन्दर" स्थान पर यह शब्द रखे जाने चाहियें कि 'किसी के भाग जाने या नौकरी पर न आ सकने या अस्पताल में भर्ती होने के पन्द्रह दिन के भीतर'। प्राय: ऐसा देखा जाता है कि ऐसी स्थितियों में नाविकों को अपने वेतन के लिये कई दिन तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जहाज़ कई दिन तक किनारे नहीं लगता। इसलिये इन स्थितियों में नाविकों को अधिक कष्ट न हो इसके लिये इस प्रकार का उपबन्ध करना बड़ा आवश्यक है।

मेरा संशोधन संख्या १४१ खंड १२६ के बारे में है। मेरा निवेदन है कि जब तक जहाज़ के मास्टर से पूर्ण अनुमोदन न प्राप्त हो जाये किसी नाविक का ओहदा नहीं घटाया जाना चाहिये।

अब मैं संशोधन संख्या १४२ को लेती हूं। उपखंड (३) में यह कहा गया है कि जहाज़ के मास्टर का निश्चय केवल सिफारशी होगा। जहाज़ के मालिक उसको माने चाहे न माने। अब यदि मालिक मास्टर की सिफारिश को न माने तो नाविक को न्यायालय म जाना पड़ेगा। मेरा निवेदन है कि इस विषय में मास्टर का निर्णय न्यायालय के निर्णय की तरह माननीय होना चाहिये।

श्री र० द० मिश्र : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के क्लाज नम्बर २१ पर ६० नम्बर का मेरा जो अमेंण्डमेंट है, वही अमेण्डमेंट मेरे भाई श्री रघुनाथ सिंह ने दी थी और उसको कल हमारे मिनिस्टर साहब ने करीब मंजूर कर लिया है। मेरे इस अमेंडमेंट को रखने का सिर्फ तात्पर्य यह है कि उसमें यह बात बढ़ा दी जाये कि उसका नोटिफिकेशन आफिशिएल गजट में हो ताकि इस परसेंटेज के बारे में कहीं आफिस की गड़बड़ी की वजह से कोई दूसरी चीज़ न हो जाये। यह मेरा बहुत मामूली सा अमेण्डमेंट है और मैं समझता हूं कि मिनिस्टर साहब इसे मंजूर कर लेंगे।

श्री नरदेव स्नातक : उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्लाज २१ पर अपना १७५ नम्बर का अमेंडमेंट मूव करता हूं। कल मंत्री महोदय ने अपने भाषण में कहा था और कल इस विधेयक पर यहां सदन में चर्चा चली उसमें भी अनेक माननीय सदस्यों ने ६० और ४० परसेंटेज रखने का सुझाव दिया था और उस पर मंत्री महोदय ने भी यह कहा था कि यदि इसको करने की आवश्यकता पड़े तो उसको करने में भी कोई आपत्ति नहीं तो परसेंटेज़ चाहे ५१, ४९ हो, ६६-$^{2}/_{3}$ और ३३-$^{1}/_{3}$ हो अथवा ५५ और ४५ हो, रेशियो (अनुपात) से कोई बहुत अन्तर नहीं पड़ता है अगर फारेन शेयर कैपिटल फिक्स करने के लिये हम सरकार को अधिकार दे दें। वैसे जो यह ६० और ४० का सुझाव दिया गया है यदि मंत्री महोदय इसको मान लें तो मैं समझता हूं कि हमारी इस शिपिंग इंडस्ट्री के अन्दर काफी तरक्की होगी क्योंकि फारेन कैपिटल (विदेशी पूंजी) उस हालत में अधिक से अधिक आयेगा और हमारा जहाज़रानी का व्यवसाय काफी उन्नति करेगा। मेरी अपनी इच्छा है कि माननीय मंत्री इसको स्वीकार कर लें और यह भी किया जा सकता है जैसा कि कल कुछ सदस्यों ने कहा और मंत्री महोदय ने भी कहा कि गवर्नमेंट को यह अधिकार दे दिया जाय कि इस परसेंटेज़ के मामले में आवश्यकतानुसार जैसा चाहे परिवर्तन कर सकें, परन्तु मेरा सुझाव यह है कि ६० और ४० का रेशियो मंजूर कर लिया जाये।

सरदार इकबाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, बिल के क्लाज़ २१ पर मेरा संशोधन संख्या १३१ हैं। इस सम्बन्ध में श्री रघुनाथ सिंह ने जो अमेंडमेंट अभी दिया है उसका मैं समर्थन करता हूं। हम कम्पनी के इस शेयर कैंप्टिल (अंश पूंजी) में फारेन और इंडियन उनका क्या रेशियो हो, इस

मामले में गवर्नमेंट के हाथ बांधना नहीं चाहते बल्कि उसके हाथ और मजबूत करना चाहते हैं ताकि अगर गवर्नमेंट समझे कि ७५ और २५ का रेशियो रखने से हिन्दुस्तान का जहाज़रानी व्यवसाय तरक्की करेगा तो वह उसको रख सकते हैं लेकिन अगर वह समझे कि इस परसेंटेज में कुछ बदलाव की जरूरत है और कम या ज्यादा करने की ज़रूरत है तो वह इसको कर सकती है। गवर्नमेंट को यह अधिकार दिया जाना चाहिये और इस वास्ते मैं श्री रघुनाथ सिंह के अमेण्डमेंट का समर्थन करता हूं।

श्री रघुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इस विधेयक के क्लाज़ २१ पर २६२ नम्बर का अमेण्डमेंट है। मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि पृष्ठ ३६, पंक्ति १४ के पश्चात्, यह रख दिया जाये :

"Provided that the Central Government may, by notification in the Official Gazette alter such minimum percentage and where the minimum percentage is so altered, the altered percentage shall, as from the date of the notification be deemed to be substituted for the percentage specified in this clause."

["परन्तु केन्द्रीय सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना के द्वारा ऐसे न्यूनतम प्रतिशत में परिवर्तन कर सकती है और जहां ऐसे न्यूनतम प्रतिशत म परिवर्तन किया गया हो, तो परिवर्तित प्रतिशत, अधिसूचना की तिथि से ही इस खण्ड में निर्दिष्ट प्रतिशत से स्थानापन्न मानी जायेगी"]

यह बड़े हर्ष का विषय है कि पाटिल साहब ने कल इस सिद्धान्त को स्वीकार किया और हम सब उनको इसके लिये धन्यवाद देते हैं कि हम लोगों ने "स्टेटस को" (यथापूर्व स्थिति) मेनटेन किया और १९४७ में जो गवर्नमेंट की पालिसी थी उसी पालिसी को आज हम स्वीकार करते हैं। १९४७ में जो सिद्धान्त था उस सिद्धान्त को आज स्वीकार किया जा रहा है। इस अमेंडमेंट के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को यह अधिकार दिया जा रहा है कि अगर वह ज़रूरत महसूस करे तो आफिशिएल गज़ट में नोटिफिकेशन करके मिनिमम परसेंटेज को बदल सकती है। इस दृष्टि से यह समन्वयी संशोधन है और सब पार्टीज़ को इससे सन्तोष होना चाहिये। २५ परसेंट से सरकार कम भी कर सकती है और ज्यादा भी कर सकती है जैसी कि आवश्यकता समझी जाये। जब यह शिपिंग ट्रेड मुल्क की सेकेंड लाइन आफ डिफेंस है तो उसके हाथ बांधने नहीं चाहियें उसके हाथ उन्मुक्त होने चाहियें और इस दृष्टि से मैं चाहता हूं कि यह अमेंडमेंट मंजूर किया जाये।

†**श्री स० का० पाटिल :** मैं तो केवल खण्ड २१ के बारे में ही बताऊंगा। अन्य खंडों के बारे में मेरे सहयोगी उत्तर देंगे।

जहां तक विदेशी पूंजी के अंश का सम्बन्ध है उसके बारे में मैं ने जो उस दिन कहा था उससे अधिक न कहूंगा। किन्तु मित्र श्री भरुचा ने एक नयी बात उठाई है कि जिन अंशों को गिरवी रखा जा रहा है उनका क्या होगा। इसलिये उस पर तनिक गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है। भारत सरकार के और भी अधिनियम हमने देखे हैं और यह भी देखा है कि क्या ऐसी परिस्थितियों में उन्होंने भी आकस्मिकताओं का ध्यान रखा है।

मेरे विचार में इस संशोधन से और भी उलझनें पैदा हो जायेंगी। अंशों का प्रतिशत निर्धारित करने के लिये यह आवश्यक नहीं कि हम देखें कि क्या अंशों को गिरवी रखा गया है। यही सूत्र अन्य अधिनियमों में भी अपनाया गया है। समवाय अधिनियम की धारा ६१७ के अनुसार "सरकारी समवाय" की परिभाषा की गई है अर्थात् जिस समवाय में २१ प्रतिशत अंश सरकारी हो वही सरकारी समवाय है। इसी प्रकार खान तथा खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, १९५७ में हाल

†मूल अंग्रेजी में

[श्री स० का० पाटिल]

ही में भारतीय राष्ट्रीय' सार्वजनिक समवाय के साथ दी गई है। और उसके अनुसार ऐसे समवाय में ५१ प्रतिशत अंश भारतीय राष्ट्रीय जनों के होने चाहियें। इसी प्रकार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ की धारा ७(ङ) में यह लिखा है "ऐसी संस्था जिसमें सम्बद्ध सरकार के २५ प्रतिशत से कम अंश न हों।" जहां तक बेनामी अंशों का प्रश्न है समवाय अधिनियम की धारा १५३ अंशों में किसी प्रकार के न्यास को स्वीकार नहीं करती।

यह बात केवल मात्र इसी विधेयक में नहीं है बल्कि भारत सरकार के अन्य बहुत से अधिनियमों में इसी प्रकार के मिलते जुलते उपबन्ध हैं।

श्री महन्ती ने, जो इस समय यहां नहीं है, भी २५ प्रतिशत तथा ७५ प्रतिशत अंशों के बारे में तर्क वितर्क प्रस्तुत किये थे। भारतीय नागरिकों के शत प्रतिशत अंश तो हो सकते हैं किन्तु इसका अर्थ यह तो नहीं कि समवाय का राष्ट्रीयकरण हो गया है।

हां यदि सभा यह समझती है कि किसी दिन नौवहन उद्योग का हम ने राष्ट्रीयकरण करना है तो यह अलग बात है। सभा इस बात पर विचार कर सकती है। जो बातें मैं कल कह चुका हूं अब उन्हें दुहराना नहीं चाहता।

श्री रघुनाथ सिंह के संशोधन के स्वीकार करने या न करने का भी कोई प्रश्न नहीं है। मैं केवल यही कह रहा हूं कि सरकार को इस प्रकार की शक्ति है। यदि सरकार यह समझेगी कि २५ प्रतिशत विदेशी सहायता भी ठीक नहीं तो इस में कमी की जा सकती है। यदि हम नहीं चाहेंगे कि कोई भी गैर-भारतीय निदेशक बने तो हम इस २५ प्रतिशत सहायता को भी परे कर देंगे। अतः सरकार को केवल बढ़ाने की ही नहीं घटाने की भी शक्ति दी जाये।

इस सम्बन्ध में मैंने सरकार की नीति को पर्याप्त रूप से स्पष्ट कर दिया है। जहां तक नौवहन का सम्बन्ध है हम विदेशी पूंजी का स्वागत नहीं करते किन्तु विदेशी मुद्रा की हमारी अपनी कठिनाइयां हैं। हो सकता है कि इन वर्षों मे हम कठिनाइयों में रहें किन्तु इस का अर्थ यह नहीं कि हम यह सीमायें इतने से समय के लिये लगा दें।

श्री नाथ पाई ने कहा है कि हम पूंजी प्रतिशत के अतिरिक्त जहाज पर काम करने वाली व्यक्तियों की ओर भी ध्यान दें। संभवतया उन्हें यह पता नहीं है कि जब हम नाविकों की संख्या आदि का उल्लेख करते हैं तब वह भारतीय जहाजों के ही नहीं होते। शेष जो बातें प्रशिक्ष इत्यादि के लिये उन्होंने कहीं हैं उन्हें मैं स्वीकार करता हूं और हम उस दिशा में प्रयत्न भी कर रहे हैं। इन सब बातों की नीति राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड ही निर्धारित करेगा इसी कारण वे बात इस विधेयक में नहीं रखी गयीं।

†**श्री राज बहादुर** : श्रीमान्, श्री नाथ पाई ने कहा है कि हमारे जहाजों में शत प्रतिशत भारतीय कर्मचारी ही होने चाहियें। मैं उन्हें आश्वासन दिलाता हूं कि खण्ड ७७ तथा ९९ में इस बात का उपबन्ध है। खण्ड ७७ के अनुसार एक पदाधिकारी को तब तक उचित रीति से प्रमाणित नहीं समझा जायेगा जब तक कि उस के पास जहाज के स्थान के उपयुक्त दर्जे के प्रमाणपत्र इस अधिनियम के उपबन्धानुसार न हों। उस के पास भारतीय प्रमाणपत्र होना चाहिये। खण्ड ९९ के अनुसार ऐसे नाविकों को ही रखा जायेगा जिन के पास इस विधेयक के अन्तर्गत ऐसे प्रमाणपत्र हों। ये दोनों उपबन्ध सरकार को जहाजी कर्मचारियों के विनियमन की शक्तियां देते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री नाथ पाई ने दूसरा प्रश्न देशी व्यापार जहाजों के बारे में उठाया था । मैं समझता हूं कि हम ने महा निदेशक को ये शक्तियां दे कर पर्याप्त सीमा तक उन की इस मांग को पूरा कर दिया है । हम देखेंगे कि इस आधार पर किसी भी नाविक को कोई कष्ट न हो ।

उन्होंने खण्ड १२९ का उल्लेख किया और वे चाहते हैं कि जहाज मालिक सारा भुगतान ४८ घंटे में ही किया करें । शायद वह यह भूल गये हैं कि इस मामले पर संयुक्त समिति ने पूर्णतया विचार किया था और बहुसंख्या के आधार पर ही चार दिन की सीमा रखी गई थी । पहले यह सीमा पांच दिन की थी । जब हम एकमत हो कर एक समझौता कर लें तब हमें वह भंग नहीं करना चाहिये ।

अब मैं खण्ड १४३ (१) पर आता हूं । यदि हम यात्रा आरम्भ होने से पहले निवृत्त किये नाविकों तथा यात्रा आरम्भ होने के पश्चात् निवृत्त किये गये नाविकों में अन्तर न करें तो अन्याय है । अब उपबन्ध यह है कि यात्रा पूर्व निवृत्त नाविक को एक मास का वेतन दिया जाय और बाद वाले को तीन मास का । मैं समझता हूं कि यह तो आवश्यक है ।

अब मैं श्री नौशीर भरूचा के संशोधन के बारे में कुछ कहूंगा । खण्ड ७२(१) के अधीन भी एक अन्य खण्ड है जिस के अन्तर्गत पुस्त के इन्दराजों की प्रामाणिक प्रति उपलब्ध हो सकती है । फोटो प्रतियों की व्यवस्था शायद व्यय की दृष्टि से ठीक न रहे । किन्तु प्रतियां देने की व्यवस्था तो अब भी है ।

†**श्री नौशीर भरूचा** : मैं तो स्वामित्व पत्रों की प्रतियों के बारे में कह रहा था ।

†**श्री राज बहादुर** : स्वामित्व के कागज ज्यादा होते हैं इसलिये उन के फोटो बनवाना तो और भी कठिन है । वह कहते हैं कि एक नया खण्ड ४४क जोड़ा जाये । खण्ड ५४ के उपबन्ध से उन के संशोधन का उद्देश्य पूरा हो जाता है ।

श्री घोषाल ने कहा कि किसी भी स्थान या पत्तन पर जहां पर भी कर्मचारिवृन्द की कमी पड़े वहीं से लोग ले लि जाने चाहियें । वास्तव में जब तक जहाज में नियमों के अनुसार न्यूनतम कर्मचारी न हों तब तक जहाज चलाया ही नहीं जा सकता । अतः जो बात माननीय सदस्य ने कही है वह स्वतः पूर्ण हो ही जायेगी । जहाजों के लिये यह भी तो सुविधाजनक न होगा कि वे हर पत्तन पर कर्मचारियों की भर्ती करते रहें । अतः हम यह संशोधन स्वीकार नहीं कर सकते ।

संशोधन संख्या २२ के अनुसार वह खण्ड १०१ में "साप्ताहिक कार्य के घंटों के साथ' शब्द लगाना चाहते हैं । यह भी सम्भव नहीं है । संयुक्त समिति ने इस बात पर पूरी चर्चा की है और अन्तर्राष्ट्रीय प्रथाओं के अनुसार भी हम ऐसा नहीं कर सकते । यह बात तो दोनों पक्षों के बीच तै की जाती है । इन सब बातों के बारे में हमारे नाविकों को न केवल दैशिक विधियों का अनुसरण करना होता है अपितु विदेशी विधियों पर भी उन्हें आश्रित रहना होता है । जब तक जहाज मालिक हमारे कानून को मान्यता न दें तब तक यहां किसी भी चीज़ की व्यवस्था करना अनुचित है । वह दूसरे देशों से भर्ती कर लेंगे और इस से हमारे अपने नाविकों को बड़ी भारी हानि प चेगी ।

श्री तंगामणि ने पंजीयन पत्तनों के बारे में भी कहा । हम जानते हैं कि एक वर्ष में ज्यादा से ज्यादा तीस जहाजों का पंजीयन होता है । हम ने बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास को पंजीयन बन्दरगा बनाया है । सभी पत्तनों पर इस व्यवस्था के करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है ।

संशोधन ९१ से वह चाहते हैं कि नाविकों के कार्य की कोटि के बारे में जितने भी उपबन्ध हैं उन्हें हटा दें । वह चाहते हैं कि सेवामुक्ति प्रमाणपत्र में कार्य की कोटि का उल्लेख नहीं होना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री राज बहादुर]

नाविक करार के अनुच्छेद १४ में लिखा गया है कि नाविक सदैव अपने कार्य की कोट का प्रमाणपत्र अपने अधिकारी से लेंगे ताकि यह पता लग सके कि क्या उस ने अपने करार का पालन किया है अथवा नहीं। वास्तव में यह प्रथा नाविकों की भलाई के लिये ही अपनाई गई थी ताकि अच्छा काम करने वालों को भविष्य में कोई कठिनाई न हो। यह तो आचरण का प्रमाणपत्र होता है और उसे लेने से घबराना नहीं चाहिये।

अन्तिम बात उन्होंने यही कही कि लेखा अवधि की सीमा ९६ घंटे से ४८ घंटे कर दी जाये। जब तक जहाज मालिक पूरा हिसाब नहीं कर लेते तब तक भुगतान किस प्रकार से संभव हो सकता है। उन्हें निर्धारित समय पर भुगतान करना होगा अन्यथा उन पर जुर्माना लगेगा। अतः हमें इसे और कठोर न बनाना चाहिये।

श्रीमती इला पालचोधरी ने चालकों के आवास के बारे में कहा। हम ने तत्सम्बन्धी प्रथा की पुष्टि की है। जो जहाज १९४८ के पश्चात् बने हैं उन में यह व्यवस्था की गई है कि चालकों के आवास का प्रबन्ध हो। यह प्रयास भी किया जा रहा है कि यह सुविधा पुराने खरीदे जा रहे जहाज़ों में भी दी जाये। इस के अतिरिक्त हमें स्वतः इस बात का पूरा पूरा ध्यान है।

दूसरी बात उन्हों ने कल्याण कार्यों के बारे में कही थी। वह जानती हैं कि नाविकों के कल्याण का राष्ट्रीय बोर्ड बना हुआ है। उस में नाविक भी हैं और जहाज मालिक भी। जो परामर्श वह देता है हम सामान्यतया उसे मान लेते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं समझता हूं कि संभवतया मैं सब बातों के बारे में बता ही चुका हूं।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता—मध्य) : क्या मैं यह समझूं कि सरकार ने श्री रघुनाथ सिंह की बात मान ली है कि २५ प्रतिशत से ज्यादा विदेशी पूंजी की भी यदि जरूरत हो तो उसे भी सरकार स्वीकार कर ले। क्या सरकार बिना संसद् के ही यह सारी शक्ति प्राप्त करेगी। कम से कम संसद् की आज्ञा बिना ऐसा नहीं होना चाहिये। आज्ञा सदैव संसद् से ही ली जानी चाहिय।

†**श्री स० का० पाटिल** : १९४७ का नीति संकल्प भी यह व्यवस्था करता था कि यह अनुपात स्वतः पूर्ण नहीं है। यह उपबन्ध भी था कि कतिपय परिस्थितियों में सरकार थोड़ा परिवर्तन भी कर सकती है।

अब एक मामला हमारे सामने था। एक पक्ष ने बताया कि जब तक सरकार २५ प्रतिशत से बढ़ा कर इस को ३३ न करेगी तब तक विदेशी उपक्रमी भाग न लेंगे।

सरकार की नीति तो यही है कि नौवहन में विदेशियों से हम सहायता न लें और उन का इस में कोई भाग नहीं होना चाहिये। ईश्वर न करे कि हमें मजबूर हो कर सहायता लेनी पड़े किन्तु हमारी नीति स्पष्ट है। इस सम्बन्ध में विभिन्न सदस्यों ने विभिन्न प्रकार की रायें प्रकट कीं। कुछ लोगों ने विरोध भी किया। आखिर में बात यही निकली कि यदि सरकार को यह अधिकार दिया जाय तो वह समयानुसार उसे घटा बढ़ा भी सकते हैं।

मैं ने तो कहा था कि हमें ऐसी शक्ति लेने का भाव नहीं है हां यदि सभा यह शक्ति देना चाहे तो अलग बात है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†उपाध्यक्ष महोदय : खंड १७ से २० पर कोई संशोधन नहीं है । प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १७ से २० विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १७ से २० विधेयक में जोड़ दिये गये ।

उपाध्यक्ष महोदय : हम खंड २१ के संशोधन संख्या २६२ को बाद में लेंगे । पहले मैं अन्य खंडों के संशोधनों को मतदान के लिये रखता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ८८, ४०, ४१, ८७, ४८ से ५०, ७४ से ८२, १७६, १७८, १७९, २५७, १५४, से १५६, ४२, ६१, ६२, १६७, १६८, १७३, २०, २१, २३, २४, १३१, २६१, १५७ से १६२, १३८ से १४२ तथा ५९ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २२ से १०० तथा १०२ से १४९ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २२ से १०० तथा १०२ से १४९ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब मैं खंड २१ के संशोधन संख्या २६२ को मतदान के लिये रखता हूं । प्रश्न यह है कि पृष्ठ ३६, पंक्ति १४ के पश्चात् यह रख दिया जाये :

"Provided that the Central Government may, by notification in the Official Gazette alter such minimum percentage, and where the minimum percentage is so altered the altered percentage shall, as from the date of notification be deemed to be substituted for the percentage specified in the Clause."

["परन्तु केन्द्रीय सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना के द्वारा ऐसी न्यनतम प्रतिशत में परिवर्तन कर सकती है और जहां ऐसे न्यूनतम प्रतिशत में परिवर्तन किया गया हो, तो परिवर्तित प्रतिशत अधिसूचना की तिथि से ही इस खण्ड में निर्दिष्ट प्रतिशत से स्थानापन्न मानी जायगी ।"]

सभा में मत विभाजन हुआ । पक्ष में १०४ और विपक्ष में ३४ ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"कि खंड २१, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २१, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा खंड १०१ पर संशोधन संख्या २२ मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि:

"खण्ड १०१ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड १०१ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड १५० (नाविकों और उनके नियोजकों के विवादों को न्यायाधिकरणों को सौंपने का अधिकार)

†**श्री तंगामणि** : मैं अपना संशोधन संख्या ९३ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री नौशीर भरूचा** : मैं अपना संशोधन संख्या ९४ और ९५ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री राज बहादुर** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ८६, पंक्ति १६ के पश्चात् निम्नलिखित रखा जाये :—

"(2A) No party to a dispute shall be entitled to be represented by a legal practitioner in any proceeding before the tribunal except with the consent of the other party or parties to the proceeding and with the leave of the tribunal". [(२क) विवाद से सम्बन्धित किसी भी पक्ष को, न्यायाधिकरण के समक्ष होने वाली कार्यवाही में कार्यवाही से सम्बन्धित दूसरे पक्ष अथवा पक्षों की सहमति और न्यायाधिकरण की अनुमति के अतिरिक्त, यह अधिकार नहीं होगा कि वह किसी विधि-व्यवसायी से पैरवी करवाये ।"]

पृष्ठ ८६, पंक्ति ३४ के पश्चात् निम्नलिखित रखा जाये :—

"(5) Save as otherwise provided in the award, an award shall remain in operation for a period of one year from the date on which it becomes enforceable and shall thereafter continue to remain in operation until a period of two months has elapsed from the date on which notice is given by any party bound by the award to the other party or parties intimating its intention to terminate the award." ["(५क) पंचाट में अन्य कोई व्यवस्था होने को छोड़ कर, पंचाट जिस तिथि को लागू होगा, उस तिथि से एक वर्ष की अवधि तक लागू रहेगा और तत्पश्चात् पंचाट द्वारा बद्ध किसी भी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष अथवा पक्षों को पंचाट समाप्त कर देने के अपने इरादे की सूचना देने का नोटिस दिये जाने की तिथि से दो मास की अवधि तक लागू रहेगा ।"]

†**श्री नाथ पाई**: मैं अपने संशोधन संख्या १६३, १६४, १६५, १६६, १६७, १६८ और १६९ प्रस्तुत करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

संशोधन संख्या १६३ को स्वीकार किये बिना यदि इस खण्ड को यों ही रहने दिया जायेगा संभाव्य विवादों के मामले भी न्यायाधिकरण को सौंप दिये जायेंगे। विवादों के तय होने में बहुत समय लगता है। अतः इतना अधिक अधिकार सरकार को नहीं दिया जाना चाहिए। वास्तविक झगड़ों के मामलों में ही सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिये।

दूसरे संशोधन के सम्बन्ध में मेरा कहना है कि "या बेरोजगारी या रोजगार की शर्तों" शब्दों को 'रोजगार' शब्द के बाद रख दिया जाये। भारतीय औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा २(ट) के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय दिया था जिसके आधार पर यही शब्द उस में भी जोड़े गये थे। अतः इस स्थान पर भी ये शब्द जोड़ लिये जाने चाहिए।

मेरे संशोधन संख्या १६५ में 'प्रकाशित' शब्द आया है। कहां प्रकाशित ? कुछ भी नहीं दिया है। अतः "राज्य सरकार के नियमित गजट में" शब्द रखे जायें। संशोधन संख्या १६६ में मेरा कहना यह है कि जब अपील का अधिकार ही नहीं है तो ३० दिन की अवधि बेकार रखी गयी है। अतः उसे निकाल दिया जाये।

संशोधन संख्या १६७ द्वारा मैं चाहता हूं कि पंक्ति २३ से २९ को निकाल दिया जाये। पंचाट में परिवर्तन करने या उस में कोई रूपभेद करने का अधिकार सरकार के पास नहीं होना चाहिए। संशोधन संख्या १६८ के सम्बन्ध में मुझे कहना है कि बर्न एण्ड कम्पनी के मामले में उच्चतम न्यायालय ने भी यही निर्णय दिया है। भारतीय औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा १९(ख) में भी ऐसा उपबन्ध है।

मेरे संशोधन संख्या १६९ में कहा गया है कि ऐसे मामलों में वकीलों को अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। इससे कर्मचारियों पर मामले के खर्चे का बोझ बहुत बढ़ जाता है। खण्ड १५१ के सम्बन्ध में मेरा संशोधन संख्या १७० है। यदि आप 'कोई भी' के पूर्व "विवाद से सम्बद्ध किसी मामले के बारे में" शब्द नहीं रखते तो यह कर्मचारियों के प्रति अन्याय होगा। विवादों के सम्बन्ध में दोनों पक्षों में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिये। औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा ३६(४) के अधीन कर्मचारियों को जो अधिकार प्राप्त है आप उसे छीनना चाहते हैं।

†**श्री नौशीर भरूचा** : मेरा संशोधन संख्या ९५ है। मेरे संशोधन का अभिप्राय है कि यदि सरकार—किन्हीं कारणों के आधार पर—किसी न्यायाधिकरण के पंचाट में कोई संशोधन करती है या उसे अस्वीकृत करती है या उसमें कोई रूपभेद करती है तो सरकार को इस बात पर क्या आपत्ति है कि उच्च न्यायालय इस बात पर विचार करे कि सरकार ने उचित किया है या नहीं। सरकार उच्चन्यायालय को संतुष्ट करे कि सरकार ने ठीक निर्णय किया है। यदि ऐसा उपबन्ध नहीं है तो इस न्यायाधिकरण का होना एक मजाक है।

†**श्री तंगामणि** : मेरा संशोधन संख्या ९२ है। मैं खण्ड के परन्तुक को निकाल देने का प्रस्ताव करता हूं। औद्योगिक विवाद अधिनियम से इस उपबन्ध को लिया गया है। अतः उसी अधिनियम की भावना से इस उपबन्ध को लेना चाहिये अन्यथा गड़बड़ी पैदा होगी। मैं अपने संशोधन पर आग्रह करता हूं।

†**श्री राज बहादुर** : इस खण्ड पर संशोधनों का प्रस्ताव करते हुए माननीय सदस्य दो मूल बातों को ध्यान में रखें। पहली बात यह है कि इस उद्योग में राष्ट्रीय समुद्रीय बोर्ड नामक एक संस्था है। पोतों के स्वामियों और नाविकों के सभी विवाद इसी बोर्ड को सौंपे जायेंगे। भारत के किसी अन्य उद्योग में ऐसी कोई भी संस्था नहीं है। दूसरी बात यह है कि केवल हमारे देश के ही

†मूल अंग्रेजी में

[श्री राज बहादुर]

पोतों के स्वामी नहीं हैं अन्य देशों के भी पोतों के स्वामी हैं जो हमारी विधियों के अधीन नहीं हैं। उन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है कि वे भारत से ही नाविकों की भरती करें। ६०,००० के लगभग नाविकों में से केवल ५,००० ही हमारे पोतों में हैं। शेष ५५,००० विदेशी पोतों में हैं। अतः इस संस्था का होना हमारे लिये बहुत उपयोगी बात है। इस बात को ध्यान में रख कर हमें संशोधनों पर विचार करना चाहिये।

सब से पहले मैं नाथ पाई के संशोधन संख्या १६४ को लूंगा। वह चाहते हैं कि "रोजगार" शब्द के बाद "या बेरोजगारी या रोजगार की शर्तों" शब्द रख दिये जायें। वह जानते हैं कि नाविक का काम कोई लगातार चलने वाला काम नहीं होता। कभी उसे काम पर लगा लिया जाता है कभी उसे अस्थायी रूप से काम से हटा दिया जाता है। अतः यह अनोखे प्रकार का काम होता है। अतः बेरोजगारी की बात इस खण्ड में न पैदा होती है न उचित है।

अपने संशोधन संख्या १६५ में उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार के नियमित गजट में उसे प्रकाशित किया जाये। हम उसे केन्द्रीय सरकार के गजट में रख रहे हैं। पत्तन, नाविक तथा नौवहन भारत सरकार के अधीन हैं। अतः उसे केन्द्रीय सरकार के गजट में प्रकाशित किया जाता है। इस सम्बन्ध में कोई कठिनाई नहीं है।

पंचाट को लागू करने के सम्बन्ध में वह चाहते हैं कि ३० दिन की अवधि जो रखी गयी है उसे हटा दिया जाये। यह संभव नहीं है क्योंकि समायोजन में कुछ समय लग ही जाता है और हमें कई बातें करनी पड़ती हैं। फिर इस उपबन्ध तथा औद्योगिक विवाद अधिनियम की समानता की बात कही गयी है। जैसा कि मैं ने कल भी बताया था इस विधेयक के उपबन्ध उस विधेयक के उपबन्धों से भिन्न हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम में एडवोकेट लोगों को न्यायालय में जाने पर प्रतिबन्ध है। दूसरे औद्योगिक विवाद अधिनियम में यह व्यवस्था थी कि सर्वप्रथम पंचाट कम से कम १२ महीने की अवधि तक लागू रहेगा। और यदि कोई पक्ष चाहेगा तो २ महीने तक लागू रहेगा। श्री नाथपाई ने इस खण्ड पर अपने संशोधन दिये हैं। सरकारी संशोधन संख्या १८५ और १८६ भी हैं। ये दोनों बातें उस में हैं। हम यह उपबन्ध इसलिये रख रहे हैं कि औद्योगिक विवाद अधिनियम तथा इस अधिनियम में कम से कम अन्तर रहे।

श्री भरूचा के संशोधन के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय समुद्रीय बोर्ड की व्यवस्था की गयी है। सब विवाद इसी बोर्ड को सौंपे जायेंगे और वही इनको तय करेगा। यदि राष्ट्रीय समुद्रीय बोर्ड तय नहीं कर पायेगा तो नौवहन के महानिदेशक के पास मामले भेजे जायेंगे जो उन्हें तय करेगा। अतः ऐसे सभी मामलों को नौवहन का महानिदेशक तय करता है। अतः यदि सरकार किसी पंचाट में कोई संशोधन करती है या उसे अस्वीकृत करती है तो उसे उच्च-न्यायालय के पास भेजने की व्यवस्था करना न व्यवहार्य है और न समुचित है।

इस सम्बन्ध में मुख्य बात यह ध्यान में रखनी है कि इस में विदेशी कर्मचारी भी सम्मिलित हैं। कई बार हमारे सामने ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि विदेशी पोतों के स्वामी विदेशों से नाविक भरती करने की धमकी देते हैं। अतः अपने नाविकों की भरती में हमें किसी प्रकार की बाधा नहीं उत्पन्न करनी चाहिये। नाविकों की बेरोजगारी की समस्या पैदा करने से तो यही अच्छा है कि सरकार इस प्रकार का अधिकार लेने का आग्रह न करे। मैं समझता हूं कि मैंने सभी बातों का संतोषजनक उत्तर दे दिया है। अतः मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य अपने संशोधन वापस ले लें।

संशोधन किया गया :—

पृष्ठ ८६ पंक्ति १६ के पश्चात्, निम्नलिखित रखा जाये—

"(2A) No party to a dispute shall be entitled to be represented by a legal practitioner in any proceeding before the tribunal except with the consent of the other party or parties to the proceeding and with the leave of the tribunal."

["(२क) विवाद से सम्बन्धित किसी भी पक्ष को, न्यायाधिकरण के समक्ष होने वाली कार्यवाही से सम्बन्धित दूसरे पक्ष अथवा पक्षों की सहमति और न्यायाधिकरण की अनुमति के अतिरिक्त, यह अधिकार नहीं होगा कि वह किसी विधि व्यवसायी से पैरवी करवाये ।"]

पृष्ठ ८६ पंक्ति ३४ के पश्चात् निम्नलिखित रखा जाये—

"(5A) Save as otherwise provided in the award, an award shall remain in operation for a period of one year from the date on which it becomes enforceable and shall thereafter continue to remain in operation until a period of two months has elapsed from the date on which notice is given by any party bound by the award to the other party or parties intimating its intention to terminate the award."

["(५क) पंचाट में अन्य कोई व्यवस्था होने को छोड़ कर, पंचाट जिस तिथि को लागू होगा, उस तिथि से एक वर्ष की अवधि तक लागू रहेगा और तत्पश्चात् पंचाट द्वारा बद्ध किसी भी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष अथवा पक्षों को पंचाट समाप्त कर देने के अपने इरादे की सूचना देने का नोटिस दिये जाने की तिथि से दो मास की अवधि तक लागू रहेगा ।"]

[श्री राज बहादुर]

†उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या ६३ तथा १६७ एक से ही हैं इसलिये संशोधन संख्या १६७ को मतदान के लिये नहीं रखा जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ६३, ६४, ६५, १६३, १६४, १६५, १६६, १६८ तथा १६६ मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुये ।

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १५०, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड १५० संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १५१ से २१७ विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†मूल अंग्रेजी में

[उपाध्यक्ष महोदय]

खण्ड १५१ से २१७ विधेयक में जोड़ दियें गयें ।

खंड २१८ (नाविकों के राष्ट्रीय कल्याण बोर्ड के कृत्य) संशोधित किया गया :—

पृष्ठ ११२, पंक्ति १४ के अन्त में यह जोड़ा जाये—

"And the manner in which the proceeds of such fees, after deduction, of the cast of callection, shall be utilised for the purpose specified in clause (d)."

["और फीस द्वारा उगाही गयी धनराशि का उपयोग इकट्ठा करने का खर्च घटाने के पश्चात् खण्ड (घ) में बताये गये प्रयोजनों के लिये किस प्रकार हो ।"]

[श्री राज बहादुर]

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २१८, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड २१८ संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड २१९ से ३२२ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खंड ३२३—(भारतीय जहाजों के अतिरिक्त, भार रेखा अभिसमय मानने वाले देशों के जहाजों पर नियंत्रण तथा उनका निरीक्षण)

संशोधन किया गया

पृष्ठ १५९, पंक्ति १ में—"clauses (a) and (b)"

["खण्ड (क) और (ख)"] के स्थान पर "clauses (c) and (d) ["खण्ड (ग) तथा (घ)"] शब्द रखे जायें ।

[श्री राज बहादुर]

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ३२३, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड ३२३ संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ३२४ से ४२६ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खंड ४२७ (पाल वाले जलपोतों का बन्धक रखा जाना)

---

†मूल अंग्रेजी में

संशोधन किया गया :—

पृष्ठ १९८ पर, खण्ड ४२७ के स्थान पर यह रखा जाये :—

"427. *Mortgage of sailing vessels.*—

(1) Every mortgage of a sailing vessel or of any interest therein effected after the date on which this part comes into force shall be registered with the registrar.

(2) Every mortgage of a sailing vessel or any interest therein effected before the date on which this part comes into force shall, if subsisting on that date, be registered with the registrar within three months of that date.

(3) The registrar shall enter every such mortgage in the sailing vessels register in the order in which it is registered with him.

(4) If there are more mortgages than one recorded in respect of the same sailing vessel or interest therein, the mortgages shall, notwithstanding any express, implied or constructive notice, have priority according to the date on which each mortgage is registered with the registrar and not according to the date of each mortgage itself:

Provided that nothing contained in this sub-section shall affect the relative priorities as they existed, immediately before the date on which this part comes into force as between mortgages of the same vessel or interest therein affected before such date which are registered in accordance with the provisions of sub-section (2)."

["४२७. **पाल वाले जलपोतों का बन्धक रखा जाना :—**

(१) इस भाग के लागू होने की तिथि के पश्चात् हुआ किसी पाल वाले जलपोत अथवा उसके किसी हित का प्रत्येक बन्धक पंजीयक के यहां पंजीबद्ध किया जायेगा।

(२) इस भाग के लागू होने की तिथि के पहले हुआ किसी जलपोत अथवा उसके किसी हित का प्रत्येक बन्धक, यदि वह उस समय प्रभावी हो, तो वह उस तिथि से तीन महीने के अन्दर पंजीयक के यहां पंजीबद्ध किया जायेगा।

(३) जीयक, इस प्रकार के सभी बंधकों को, जिस क्रम में उनको पंजीबद्ध किया गया हो, उसी क्रम में जलपोत पंजी में दर्ज करेगा।

(४) यदि एक ही जलपोत अथवा उसके हित के सम्बन्ध में एक से अधिक बन्धक हों तो बन्धकों को, किसी स्पष्ट, उपलक्षित अथवा अन्वयाश्रित नोटिस होने के बावजूद, पंजीयक के यहां उनके पंजीबद्ध किये जाने की तिथि के अनुसार, न कि प्रत्येक बन्धक की तिथि के अनुसार, प्राथमिकता दी जायेगी।

परन्तु इस उपधारा के उपबन्धों का, इस भाग के लागू होने की तिथि के शीघ्र पूर्व एक ही जलपोत अथवा उसके हित के इस तिथि से पहले हुये उन बन्धकों की पारस्परिक

[उपाध्यक्ष महोदय]

प्राथमिकताओं पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो उपधारा (२) के उपबन्धों के अनुसार पंजीबद्ध किये गये हों।"]

[श्री राज बहादुर]

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ४२७, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड ४२७, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड ४२८ से ४५३ विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड ४५४--(जांच के लिये प्राधिकृत व्यक्तियों के अधिकार आदि)

संशोधन किया गया :--

पृष्ठ २२४, पंक्ति ३५ में 'any' ['कोई'] शब्द के स्थान पर " and " ["और"] शब्द रखा जाये।

[श्री राज बहादुर]

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ४५४, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड ४५४ संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड ४५५ से ४५७ विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड ४५८--(नियमों तथा विनियमों के बारे में उपबन्ध)

संशोधन किया गया--

पृष्ठ २२६ पर :--

(१) पंक्ति ४ में " one year" ["एक वर्ष"] के स्थान पर " two years " ["दो वर्ष"] शब्द रखे जायें ; और

(२) पंक्ति ५ में "three thousand rupees" ["तीन हजार रुपये"] के स्थान पर "ten thousand rupees" [" दस हजार रुपये "] शब्द रखे जायें।"

[श्री राज बहादुर]

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ४५८, सहशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

---

†मूल अंग्रेजी में

खंड ४५८, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ४५९ से ४६१ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

अनुसूची

संशोधन किया गया :—

पृष्ठ २२८ पर, 'निरसन की सीमा' के स्तम्भ के अन्तर्गत :—

पंक्ति ६ से १० के स्थान पर यह रखा जाये :—

"In so far as it applies to sea-going ships fitted with mechanical means of propulsion and to sailing vessels."

["जहां तक यह जहाज़ों अथवा ऐसे पाल वाले जलपोतों पर लागू होता है जो मशीन द्वारा संचालित होते हों "]

[श्री राज बहादुर]

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दी गई ।

खंड १, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**श्री स० का० पाटिल :** मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी :** यद्यपि इस विधेयक में हमें एक अवसर पर बाध्य होकर विभाजन की मांग करनी पड़ी, परन्तु फिर भी यह बड़े गर्व का अवसर है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् पहली बार हमने वाणिजिक नौवहन के लिये एक इतनी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय विधि बनाई है ।

नौवहन उद्योग में विदेशी पूंजी के लगाये जाने के बारे में सभा में पर्याप्त चर्चा हुई है और इसी के बारे में मेरा कुछ मतभेद है । मेरा भी जैसा कि सर्वविदित है हम यह चाहते हैं कि हमारे देश में विदेशी पूंजी, जहां तक संभव हो, बिल्कुल न आये । और १९४७ के नौवहन संकल्प को ध्यान में रखते हुये, हमारा यह ख्याल था कि अब हमें विदेशी पूंजी से छुटकारा पा लेना चाहिये । लेकिन संयुक्त समिति में बहुमत से २५:७५ प्रतिशतता रखने का उपबन्ध किया गया और करीब-क़रीब सबने उसमें सहमति दी । परन्तु यह बड़े दुख की बात है कि कुछ लोगों के हित के कारण दबाव डाला गया और संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के अनुसार बनाई गई व्यवस्था में परिवर्तन किया गया और श्री रघुनाथ सिह के संशोधन को स्वीकार किया जिसके अनुसार सरकार सभा को निर्देश किये बिना ही अधिसूचना जारी करके इस अनुपात में परिवर्तन कर सकती है । इस संशोधन को स्वीकार करके सरकार ने बड़ी भूल की है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इस पर विचार करेंगे और दूसरी सभा में विचार के समय अपनी भूल को सुधार लेंगे ।

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री ही० ना० मुकर्जी]

मुझे प्रसन्नता है कि नौवहन मंत्री ने भारतीय नाविकों की दशा की ओर निर्देश किया। यद्यपि उन्होंने सभा के इस पक्ष के औद्योगिक विवाद अधिनियम को लागू करने के बारे में सभी संशोधनों को नामंजूर कर दिया है, लेकिन मुझे इसका बड़ा दुख हुआ कि सरकार ने नाविकों के काम के घंटों पर सीमा लगाने के बारे में इस क़ानून में व्यवस्था करने की बात भी नहीं मानी है। हमारे देश के नाविक दुनियां के सब से कुशल नाविकों में से माने जाते हैं लेकिन उनकी हालत बड़ी खराब है और जिन परिस्थितियों में उन्हें काम करना होता है वे बड़ी कठोर होती हैं। मैं बताना चाहता हूं कि जब हमारे नाविक विदेशों में काम के लिये जाते हैं तो गरीबी के कारण कुछ इस प्रकार की आदतों के शिकार हो जाते हैं जिनसे हमारे देश की बदनामी होती है। हमारे देश में अब हमारी अपनी सरकार है और यह बहुत ज़रूरी है कि हम उन्हें न्यूनतम सुविधायें तो दें: इसके बारे में पहला क़दम यही होगा कि औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन उनके काम के घंटों को निर्धारित किया जाता।

अन्त में मैं यही कहना चाहता हूं कि हमने जो २० लाख टन का लक्ष्य निर्धारित किया था वह तो बहुत अधिक है और उसमें समय लगेगा। अब हमें यही प्रयत्न करना चाहिये कि द्वितीय योजना काल की अवधि तक ९००,००० टन का लक्ष्य पूरा हो जाये और हम अपने देश में नौवहन की पुरानी प्रतिष्ठा फिर से प्राप्त कर सकें।

†श्री नाथ पाई: हमारे देश में प्राचीन काल से ही नौवहन की प्रतिष्ठा बहुत ऊंची रही है। सिन्धु दुर्ग को शिवाजी ने बनवाया ये आज भी नौवहन की कीर्ति पताका का जाज्वल्यमान स्तम्भ है। अकबर के शासन काल में ४०,००० जहाजों से देश का व्यापार होता था। मार्को पोलो आदि विदेशी यात्रियों ने भी भारत के नौवहन की बड़ी प्रशंसा की है। परन्तु यह बड़े खेद का विषय है कि इस संसद् में जब इस ओर ध्यान देने का और एक शक्तिशाली वाणिज्यिक नौवहन बड़ा बनाने का अवसर आया तो उसका लाभ नहीं उठाया जा सका और हमने जो क़ानून बनाया वह एक लचर क़ानून बन सका है।

यदि हम अपने वाणिज्यिक नौवहन पर दृष्टिपात करें तो पता लगता है कि इसकी बड़ी दुर्दशा है। इसमें कुल मिला कर १३७ जहाज़ हैं तथा द्वितीय योजना के दूसरे वर्ष के अन्त में कुल टन भार ६११,००० टन है। यह बहुत कम है; हमें यह अवसर मिला था कि हम अपने नौवहन को कुछ सुधार सकें परन्तु हमने यह अवसर भी खो दिया।

हमारा कहना है कि विदेशी पूंजी का उपबन्ध करके आपने भारतीय नौवहन के लिये खतरा मोल ले लिया है। मेरा विचार है कि २५ प्रतिशत रखने से विदेशियों द्वारा पूर्ण नियंत्रण का खतरा खड़ा हो सकता है। जब आप कहते हैं कि २५ प्रतिशत रखने से विदेशी पूंजी नहीं आयेगी तो फिर आपने इसे रखा ही क्यों? इसकी कोई जरूरत नहीं थी। माननीय मंत्री ने हमको आश्वासन दिये कि इस प्रतिशतता का दुरुपयोग नहीं उठाया जायेगा। परन्तु उन्होंने जो संशोधन स्वीकार किया है उससे इन आश्वासनों का कोई मल्य नहीं रह जाता। मेरी समझ में नहीं आता कि जब आप कहते हैं कि मंत्रिमंडल में बहुत सोच विचार के बाद २५:७५ की प्रतिशतता रखी गई है, तो फिर ऐसी क्या बात हो गई जिसकी वजह से इस अनुपात में परिवर्तन करने के अधिकार लेने की ज़रूरत पड़ गई।

---

†मूल अंग्रेजी में

मुझे बड़ा खेद है कि विधेयक में नाविकों को कोई सुविधायें नहीं दी गई हैं। माननीय मंत्री का कहना है कि यदि पूंजी लगाने वालों पर बहुत कठोर नियंत्रण लगाये गये तो शायद वे कहीं और से श्रमिक लाने के प्रयत्न में लगें। फिर माननीय मंत्री ने कहा कि वह नहीं चाहते कि देश में बेकारी बढ़ जाये। यह ठीक हो सकता है लेकिन मैं पूछता हूं कि हम इस प्रकार भारतीय मजदूरों को आखिर कब तक पीड़ित करते रहेंगे। भारतीय मजदूर सबसे कम मजूरी दिये जाने पर ही मिल जाते हैं। उनकी हालत बहुत खराब है। इस वर्तमान स्थिति को हमें शीघ्र समाप्त करना होगा ताकि इन नाविकों की हालत सुधर सके।

†**श्री स० का० पाटिल** : मुझे प्रसन्नता है कि सभा ने इस विधेयक का समर्थन किया है। मैं माननीय सदस्यों की चिन्ता समझता हूं कि विदेशी पूंजी को नहीं लाया जाना चाहिये। मैंने समझा था कि मैं इस बात को सभा में स्पष्ट कर चुका हूं और ग़लतफ़हमी दूर कर चुका हूं। आखिर इस प्रतिशतता के आधार पर हमारी नौवहन नीति थोड़े ही निर्धारित होगी। जैसा मैं सभा को बता चुका हूं इटली, ब्रिटेन, अमेरिका आदि अन्य देशों में यह प्रतिशतता बहुत अधिक है लेकिन फिर भी वहां विदेशी पूंजी का एक पैसा भी नहीं लगा है। इसलिये यह सोचना कि क़ानून में अगर उपबन्ध कर दिया तो इसके आगे कुछ नहीं हो सकता, और क़ानून ही हमारा पथ प्रदर्शन करायेगा कि हमारा स्वदेश प्रेम कैसा होना चाहिये और नौवहन के बारे में हमारी राष्ट्रीय नीति क्या होनी चाहिये, ग़लत है। यदि विधेयक में ५१:४९ की प्रतिशतता भी रख दी जाये तो भी यह संभव हो सकता है कि अगर हमारा काम चल जाये तो विदेशी पूंजी का एक रुपया भी इस उद्योग में नहीं लगाया जाये। हमें विदेशी पूंजी से कोई विशेष प्रेम नहीं है। मैं तो कह चुका हूं कि इस समय हमारी यह अस्थाई कठिनाई ही है और यह दूर हो ही जायेगी। पांच अथवा दस वर्षों में ९,००,००० टन का जो लक्ष्य रखा गया है वह वास्तव में बहुत कम है लेकिन हमारा देश ग़रीब है, फिर भी हमारा यह दृढ़ प्रयत्न है कि हमारे वाणिज्यिक नौवहन का स्तर अधिकाधिक उच्च हो जिससे हमारे देश की प्रतिष्ठा बढ़े। इसलिये यह २५ प्रतिशत का उपबन्ध कोई विशेष अर्थ नहीं रखता।

अब यह पूछा गया कि मैंने इस संशोधन को क्यों स्वीकार किया। यदि माननीय सदस्य उस स्थान पर होते जिस पर मैं हूं तो समझ जाते कि ऐसी व्यवस्था क्यों की गई है। हम यह अधिकार नहीं चाहते थे परन्तु १९४७ के नीति संकल्प में भी वही परन्तुक है जो श्री रघुनाथ सिंह द्वारा प्रस्तुत किये गये परन्तुक में है। तो इस संशोधन का विशेष प्रभाव पड़ने वाला नहीं है।

मैं सभा को बताना चाहता हूं कि यदि इस महत्वपूर्ण उद्योग का विकास विदेशी पूंजी को लगाये बिना संभव प्रतीत नहीं होगा तो मैं बजाये विदेशी पूंजी के लगने से, इस उद्योग को किसी वास्तविक खतरे में डालने के यह ज्यादा ठीक समझूंगा कि इसको जिस हालत में यह इस समय है उसी हालत में छोड़ दूं। इसलिये माननीय सदस्यों को अपने मन से इस भय को दूर कर देना चाहिये कि संशोधन स्वीकार कर लिये जाने से ही विदेशी पूंजी को आमंत्रित कर लिया जायेगा। यदि सभा को सरकार पर विश्वास है तो इसको स्वीकार कर लेने पर कोई अन्तर नहीं पड़ता है।

जहां तक नाविकों का प्रश्न है, इस विधेयक के क्षेत्र के लिये, विषय के इस पहलू को पूर्ण रूप से सम्मिलित करने का विचार नहीं था। बहुत सी कमियां, बुराइयां हैं परन्तु इस विधि के ज़रिये वाणिज्यिक नौवहन की नींव डालते समय उनको दूर करने की गुंजाइश नहीं थी। इन सभी बातों पर हमारे राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड को विचार करना चाहिये और दो तीन वर्षों के अनुभव

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री स० का० पाटिल]
से यदि नाविकों के कल्याण के लिये कोई विस्तृत विधेयक लाया जाना सम्भव होगा तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी और सभा उन सब बातों पर विचार कर सकती है।

इस आश्वासन को देने के साथ मैं एक बार फिर माननीय सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने राष्ट्रीय नौवहन के सम्बन्ध में इतना उत्साह दिखाया। मेरा विश्वास है कि प्रारम्भ अच्छा हो जाने से हमारा राष्ट्रीय नौवहन सफलता प्राप्त करता हुआ आगे बढ़ता रहेगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :—

"विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मूल्यांकन तथा उसकी सम्भावनाओं के बारे में प्रस्ताव

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मूल्यांकन तथा उसकी संभावनाओं के बारे में योजना आयोग के ज्ञापन पर, जो ८ मई, १९५८ को सभा-पटल पर रखा गया था, विचार किया जाये।"

पिछले साल लगभग, इन्हीं दिनों मैंने उस समय की आर्थिक स्थिति की पृष्ठ भूमि में द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर विचार करने का प्रस्ताव रखा था उस समय हमारी अर्थ व्यवस्था पर काफी संकट था। लेकिन उस समय हम पूरी तौर से यह अनुमान नहीं लगा पाये थे कि विभिन्न परिवर्तनों का योजना पर कितना और कहां तक प्रभाव पड़ेगा। इस बीच में, योजना आयोग इन समस्याओं पर काफ़ी बारीकी से अध्ययन करता रहा है। वह आर्थिक स्थिति और योजना की प्रगति तथा उसकी समस्याओं का काफी गहराई से अध्ययन करता रहा है। उस समय तो हम कुछ परियोजनाओं की लागत में होने वाले परिवर्तनों के कुछ प्राक्कलनों के सम्बन्ध में सिर्फ़ इतना ही कह पाये थे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर होने वाले व्यय में तो शायद कमी न करनी पड़े; हां हो सकता है कि उसके सभी लक्ष्यों को शायद पूरा न किया जा सके। लेकिन मैंने उस समय भी यही कहा था कि इस उद्देश्य की प्राप्ति की भी कुछ शर्तें हैं, जिन्हें पूरा करना पड़ेगा।

बाद में, जब हमने इस मामले पर गौर करना शुरू किया और भुगतान शेष के बढ़ते हुये अन्तर को देखा, तो हमारा ध्यान खास कर विदेशी मुद्रा की उन बड़ी-बड़ी अदायगियों की ओर ही रहा जिनके हम वचन दे चुके थे। ये तथ्य १९५६ के अन्त में ही विशेष तौर पर उभर कर हमारे सामने आये। हम परिस्थिति का गहराई से अध्ययन करते रहे और साथ ही संकट से बचने के कुछ उपाय भी करते रहे।

इसी साल मई में राष्ट्रीय विकास परिषद् ने सारी परिस्थिति का लेखाजोखा किया और उसी के परिणामस्वरूप सभा-पटल पर "द्वितीय योजना का मूल्यांकन और उसकी सम्भावनायें" शीर्षक

---

†मूल अंग्रेजी में

एक दस्तावेज़ रखा गया था। उसके बाद से अब तक जो भी परिवर्तन हुये हैं उनको एक दूसरे दस्तावेज़ में बताया गया है और वह संसद् सदस्यों में परिचालित भी किया गया है।

जिस समय द्वितीय पंचवर्षीय योजना तैयार की गई थी, उस समय सब से अधिक जोर उसके इसी पहलू पर दिया गया था कि योजना में लचकीलापन रहना चाहिये, घटा-बढ़ी की गुंजाइश रहनी चाहिये, ख़ास तौर से इसलिये कि योजना के लक्ष्यों को काफी बढ़ा दिया गया था और वह प्रथम योजना के मुकाबले कहीं बड़ी योजना होने जा रही थी।

यह द्वितीय योजना हमारी कुछ धारणाओं पर ही आधारित थी। उस समय हम अर्थ व्यवस्था के विकास के बारे में जितना भी सोच-समझ सके, और उसके सम्बन्ध में, उसमें होने वाले परिवर्तनों के सम्बन्ध में जितना भी कुछ अनुमान लगा सके या गणनायें कर सके, उन से ही हमारी कई धारणायें बनी थीं। लेकिन बाद में अर्थ-व्यवस्था में कुछ दूसरे ही ढंग के परिवर्तन हुये। इन दूसरे ही ढंग के परिवर्तनों में विदेशी मुद्रा की समस्या ने काफी बड़ा हाथ बटाया। सभी मामलों में अनिश्चितता आ गई। उपकरणों के आयात, विदेशी सहायता के मिलने, और यहां तक कि अर्थ-व्यवस्था की बुनियादी चीज़ों के बारे में भी अनिश्चित दशायें पैदा हो गईं। तानाशाही देशों की अर्थ-व्यवस्था में भी इस बात का बिल्कुल ही निश्चय नहीं रहता कि उनकी योजना में जो विभिन्न लक्ष्य निर्धारित हों वह पूरे ही हो जायेंगे। फिर लोकतांत्रिक देश की अर्थ-व्यवस्था के बारे में तो और भी पूरे निश्चय के साथ पहले से कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह सारी अर्थ-व्यवस्था स्वतंत्र बाज़ार पर ही निर्भर रहती है, आम जनता की अपनी पसन्द पर निर्भर करती है। इतना ही नहीं, देश की अन्दरूनी हालत के अलावा, उस पर अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति का, विश्व के बाज़ार के उतार-चढ़ावों का भी काफ़ी बड़ा असर पड़ता रहता है। इसलिये, लोकतांत्रिक अर्थ-व्यवस्था वाले देशों में यह जरूरी रहता है कि समय-समय पर योजना का मूल्यांकन होता रहे। हमने प्रथम पंचवर्षीय योजना का इसी प्रकार मूल्यांकन किया था, और उसके बाद ही हमें योजना के आकार में लगभग २०० करोड़ रुपयों की वृद्धि करनी पड़ी थी। उस समय विकास की गति कुछ मन्द पड़ गई थी, इसीलिये योजना के आकार में वृद्धि करके रोज़गार जुटाने की गुंजाइश बढ़ाना जरूरी समझा गया था।

और, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का यह हाल है कि इस अवस्था पर उसमें काफी बड़ी कटौती करनी पड़ रही है। उसमें जो भी परिवर्तन किये जा रहे हैं, उन सबको सभा में रखना हमारा कर्तव्य है, और हमारा दायित्व भी। चूंकि कटौती की जा रही है, इसलिये यह और भी जरूरी हो जाता है। कुछ संसद् सदस्य पूछ सकते हैं कि आखिर यह कटौती क्यों की जा रही है? क्या यह कटौती कुछ ऐसी परिस्थितियों के कारण करनी पड़ रही है जिन पर हमारा कोई बस नहीं चलता या जिन्हें हम पहले से नहीं समझ पाये? क्या इसकी जिम्मेदारी योजना आयोग और सरकारों पर है? पूछा जा सकता है कि क्या हमारी वे धारणायें या गणनायें ग़लत थीं जिन पर हमने योजना की नींव रखी थी? क्या हम कोई और सही योजना नहीं बना सकते थे?

आम तौर पर मूल्यांकनों के समय मूल दृष्टिकोण का प्रश्न नहीं उठाया जाता। फिर भी संसद् चाहे तो इस अवस्था पर भी योजना के मूल दृष्टिकोण के बारे में प्रश्न उठा सकती है और उस पर अपने विचार व्यक्त कर सकती है।

हमें दोबारा यह मूल्यांकन क्यों करना पड़ा? इसका पहला संकेत तो हमें इस बात से मिला था कि हमारा विदेशी मुद्रा का कोष तेजी से चुकता जा रहा था। योजना बनाते समय अनुमान यह लगाया गया था कि योजना के पांच वर्षों में भुगतान शेष में लगभग १,१०० करोड़ रुपयों की

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री नन्दा]

कमी पड़ेगी। लेकिन दरअसल हुआ यह कि पहले ही साल के चालू लेखे में ३८७ करोड़ रुपयों की कमी पड़ गई, और दूसरे साल तो वह ४११ करोड़ रुपये हो गई। इस प्रकार योजना के पहले दो साल में कुल मिला कर ७९८ करोड़ रुपयों की कमी पड़ गई। भुगतान शेष की स्थिति प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तिम चरण से ही बिगड़नी शुरू हो गई थी। इसी वजह से अब पूरी योजना के काल में कुल मिला कर पहले के अनुमान से कहीं अधिक कमी पड़ेगी। बिलकुल ठीक कहना तो कठिन है, लेकिन अन्दाज यह है कि अब पहले के अनुमान से ७० प्रतिशत अधिक कमी रहेगी।

इसका स्वाभाविक परिणाम यही हुआ कि हमारे विदेशी मुद्रा के कोष में क्रमशः कमी होती चली गई। प्रथम वर्ष में कुल कमी २१९ करोड़ रुपयों के बराबर हो गई, अर्थात् यह कमी औसतन १८.२ करोड़ रुपये प्रति मास होती रही। दूसरे वर्ष इसकी गति और भी बढ़ गई। दूसरे वर्ष में २१.७ करोड़ रुपये प्रति मास के हिसाब से कमी हुई, जो कुल मिला कर २६० करोड़ रुपये हो गई। इस चालू वर्ष के पहले पांच महीनों में ही ८० करोड़ रुपये की और भी कमी हो गई है, यानी इन पांच महीनों में प्रति माह १५ से १६ करोड़ रुपये तक की कमी होती गई है। इस प्रकार अब हमारे पास विदेशी मुद्रा के कोष में कुल १८७ करोड़ रुपये रह गये हैं। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के ऋण में से ९५ करोड़ रुपये खर्च करने के बाद भी आज स्थिति यही है।

योजना पर विचार करते समय, हमें देश में मूल्यों के स्तर का भी ध्यान रखना पड़ता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना आरम्भ होने के समय थोक चीजों का मूल्य स्तर लगभग ११३ था, और प्रथम योजना के अन्त में वह १०० ही रह गया था। लेकिन द्वितीय योजना के प्रथम वर्ष के अन्त तक ही वह १०५.६ तक पहुंच गया। और १९५६-५७ की अपेक्षा, १९५७-५८ में मूल्य स्तर औसतन ३ प्रतिशत अधिक ही रहा। अगस्त, १९५८ में, वह ११५.९ तक पहुंच गया था। इस प्रकार, द्वितीय योजना के इस इतने काल में ही मूल्य स्तर में १६ प्रतिशत वृद्धि हो गई है। फरवरी १९५८ से अगस्त १९५८ तक के काल में मूल्य स्तर लगातार ऊंचा ही उठता रहा है, उसमें १० प्रतिशत वृद्धि हुई है। योजना के इन दो वर्षों में, खाद्य वस्तुओं के मूल्यों में लगभग २५ प्रतिशत, औद्योगिक कच्चे माल के मूल्यों में ७.२ प्रतिशत, अर्द्धनिर्मित वस्तुओं के मूल्यों में लगभग २ प्रतिशत और निर्मित वस्तुओं के मूल्यों में लगभग ६.२ प्रतिशत वृद्धि हो गई है। इस काल में उपभोक्ताओं के लिये मूल्यों का देशनांक १४ प्रतिशत ऊंचा उठा है। मूल्यस्तर और भुगतान शेष की स्थिति यह दोनों एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। मूल्यों के उतार-चढ़ावों में धन की सुलभता और उत्पादन के स्तर का ही मुख्य हाथ रहता है, वह इन पर ही आश्रित रहते हैं।

अब देखिये कि इन दो वर्षों में उत्पादन का क्या हाल रहा है। द्वितीय योजना के प्रथम वर्ष में कृषीय उत्पादन का देशनांक, प्रथम योजना के प्रथम वर्ष की तुलना में, ६.१ प्रतिशत ऊपर उठा। द्वितीय वर्ष में वह, पिछले वर्ष की तुलना में, ७.८ प्रतिशत गिर गया। इस सम्बन्ध में सबसे अधिक ध्यान देने योग्य बात यह है कि जहां १९५६-५७ में खाद्यान्नों का उत्पादन ६८८ लाख टन था, वहां १९५७-५८ में वह ६२१ लाख टन ही रह गया। उसमें ९.७ प्रतिशत कमी हो गई।

औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि की गति भी मन्द पड़ गई। १९५६-५७ में औद्योगिक उत्पादन में ८.६ प्रतिशत वृद्धि हुई थी, लेकिन १९५७-५८ में उसमें केवल १.५ प्रतिशत वृद्धि ही हुई। इसका कारण शायद यह था कि सूती कपड़ा उद्योग और हल्के इंजीनियरिंग उद्योगों को इस काल में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा था। ये कठिनाइयां कई प्रकार की थीं। कुछ के उत्पादन

†मूल अंग्रेजी में

में तो गिरावट इसलिये आई कि उनके लिये आवश्यक आयातों में काफ़ी कटौती कर दी गई थी, और कुछ अन्य उद्योगों में गिरावट आने का कारण यह था कि उनकी मांग उतनी नहीं रही थी।

द्वितीय योजना के मूल्यांकन से सम्बन्धित जो दस्तावेज़ माननीय सदस्यों को दिया गया है, उसमें बहुत सारे तथ्य, आंकड़े और सूचनायें मौजूद हैं। मैं सभा को संक्षिप्त में यह बताता हूं कि उसमें क्या परिवर्तन किये गये हैं और उस सम्बन्ध में अब क्या प्रस्ताव रखे जा रहे हैं।

इस योजना के मूल्यांकन का प्रश्न संसद् में करीब पिछले साल भर से उठ रहा था। लागत के प्राक्कलनों में वृद्धि होने और बाह्य संसाधनों के मामले में कठिनाई महसूस होने के कारण, यह प्रश्न बार-बार उठाया जा रहा था। उस समय तक यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई थी कि योजना के लक्ष्यों को पूरा करने के लिये हमें ४,८०० करोड़ रुपयों की उसकी सीमा को काफ़ी आगे तक बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन, यह निर्णय पहले ही किया जा चुका था कि योजना के वित्तीय व्यय में कोई वृद्धि नहीं की जायेगी। विकास की सभी मदों पर परिवर्तनों का एक सा प्रभाव नहीं पड़ा था। और चूंकि सभी क्षेत्रों में समान रूप से योजना की प्रगति नहीं हुई थी, इसलिये यह भी आवश्यक हो गया था कि कुछ अत्यावश्यक कार्यक्रमों के लिये कुछ अतिरिक्त व्यवस्था भी की जाय और उसके लिये फिर से बंटवारा किया जाय। उद्योगों और खनिजों के लिये करीब २०० करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि देना जरूरी हो गया। इसलिये अन्य मदों के मामलों में कुछ न कुछ कटौती करना भी आवश्यक था। हम चाहते यह थे कि कृषि और सामुदायिक विकास, गांवों के और छोटे पैमाने के उद्योगों और परिवहन तथा संचार की मदों में कोई भी कटौती न की जाय। इसलिये, सिंचाई और विद्युत तथा सामाजिक सेवाओं की मदों के लिये किये गये राशि के बंटवारे में कुछ कटौती करना जरूरी हो गया। विभिन्न मदों के सम्बन्ध में किया जाने वाला राशि का यह पुनः बंटवारा इसी आधार पर किया गया कि योजना की लागत ४,८०० करोड़ पये की ही रहे। साथ ही, योजना के लक्ष्यों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक संसाधनों की स्थिति और उनकी सम्भावनाओं का भी अधिक गहराई से पुनरीक्षण किया गया। योजना के पहले तीन साल के लिये अनुमित व्यय २,४५६ करोड़ पये रखा गया है। इसका मतलब यह है कि कुल ४,८०० करोड़ रुपयों की इस योजना को पूरा करने के लिये अभी २,३४४ करोड़ रुपये और चाहिये, अर्थात् अभी कुल राशि का ४८·५ प्रतिशत और चाहिये।

योजना के इन तीन वर्षों में योजना के लिये सरकारी कोष से १,१०१ करोड़ रुपये, बाहरी देशों की सहायता के रूप में ४३८ करोड़ रुपये और घाटे की अर्थ-व्यवस्था से ९१७ करोड़ रुपये मिले हैं। इस अनुभव के आधार पर और वर्तमान परिस्थिति की प्रवृत्तियों को देखते ये इस योजना के आखिरी दो वर्षों के लिये सुलभ हो सकने वाले संसाधनों का मूल्यांकन भी किया गया। पहले प्राक्कलन के अनुसार इसके लिये १,८०४ करोड़ रुपये चाहिये थे। लेकिन इसका मतलब यह होता कि पांच वर्षों में योजना पर कुल मिला कर ४,२६० करोड़ पये ही व्यय होते। यदि योजना को इतना ही सीमित कर दिया जाये, तो उससे बड़े गम्भीर परिणाम निकलेंगे। उस दशा में हमें कई उन योजनाओं का काम बन्द कर देना पड़ेगा, जो शुरू भी की जा चुकी हैं। इससे तो पूरी योजना का ढांचा ही लड़खड़ा जाता। इससे उत्पादन की प्रगति और रोजगार की सम्भावनाओं पर भी बुरा असर पड़ता।

इसीलिये कुछ और भी संसाधन उपलब्ध करने की सम्भावनाओं पर फिर से विचार किया गया। उसका नतीजा यह निकला कि यदि हम जी-तोड़ कोशिश करें तो आंतरिक संसाधनों से योजना

[श्री नन्दा]

के आखिरी दो साल के लिये २४० करोड़ रुपयों की अतिरिक्त राशि और मिल सकती है और इस दशा में पूरी योजना ४,५०० करोड़ रुपयों की हो जायेगी ।

२४० करोड़ रुपयों की यह अतिरिक्त राशि, १०० करोड़ रुपयों के अतिरिक्त करों, ६० करोड़ पयों के ऋणों और अल्प बचत योजनाओं और ८० करोड़ रुपयों की मितव्ययता तथा बकाया करों की वसूली से प्राप्त हो सकती है ।

अब स्थिति यह मालूम पड़ती है कि ४,५०० करोड़ पयों की इस योजना के लिये ५० प्रतिशत राजकोष से, २३ प्रतिशत बाहरी देशों की सहायता से और २६ प्रतिशत घाटे की अर्थ-व्यवस्था से प्राप्त सकेंगे । माननीय सदस्यों के पास जो दस्तावेज़ भेजा गया है उस में ४,५०० करोड़ रुपयों आधार पर ही राशि का पुनः बंटवारा किया गया है । इस पुनरीक्षित योजना में कई मदों की मूल स्थिति म काफी परिवर्तन किया गया है । मूल योजना के मुकाबले, इस बंटवारे में उद्योगों और खनिजों को १०० करोड़ रुपये और अधिक दिये गये हैं । इनके लिये किये गये बंटवारे मे ३·१ प्रतिशत वृद्धि कर दी गई है । अन्य मदों में कुल मिला कर ४०० करोड़ पयों की कमी की गई है । यह कमी ९·७ प्रतिशत होती है । नये बंटवारे के अनुसार, 'उद्योगों और खनिजों' की मद की राशि को १४·५ प्रतिशत से १७.५ प्रतिशत और परिवहन तथा संचार की मद की राशि को २८·९ प्रतिशत से २९·८ प्रतिशत कर दिया गया है । इनके मुकाबले में, 'सामाजिक सेवाओं' की मद की राशि को १९·७ प्रतिशत से घटा कर १८ प्रतिशत कर दिया गया है ; 'गांवों तथा छोटे पैमाने के उद्योगों' की मद की राशि को भी ४·२ प्रतिशत से ३·६ प्रति शत कर दिया गया है ।

इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि योजना के ढांचे में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं किया गया है । यदि योजना का व्यय ४,५०० करोड़ रुपये ही रखा जाय, तो उस दशा में भी योजना के इन दो आखिरी साल में व्यय का स्तर पहले तीन साल की तुलना में, काफ़ी ऊंचा रहेगा । राज्यों के बारे में तो यह बात और भी सही है । पहले तीन साल में योजना का औसत व्यय ३४४ करोड़ रुपये था, लेकिन अब मूल्यांकित योजना के अगले दो साल में वार्षिक व्यय का औसत ४७८ करोड़ रुपये रखा गया है । केन्द्र और राज्यों के बीच किये गये बंटवारे में बहुत ही थोड़ा परिवर्तन हुआ है । मूलतः केन्द्र को ५३·३ प्रतिशत और राज्यों को ४६·७ प्रतिशत राशि देने की व्यवस्था थी, और अब केन्द्र को ५४·४ और राज्यों को ४५.६ प्रतिशत राशि मिलेगी ।

ये प्रस्ताव राष्ट्रीय विकास परिषद् की पिछली बैठक में रखे गये थे । परिषद् ने निर्णय किया कि योजना की सीमा ४,८०० करोड़ रुपये की हो, और पूरी योजना के दो भाग कर दिये जायें । योजना के भाग 'क' पर कुल व्यय ४,५०० करोड़ रुपयों का हो और उसने कृषीय उत्पादन बढ़ाने वाली परियोजनायें, 'अत्यावश्यक' परियोजनायें और वे योजनायें रखी जायें जिन पर काफी काम हो चुका है । योजना के भाग (ख) का कुल व्यय ३०० करोड़ पये रखा जाये और उसमें शेष सभी योजनाओं को सम्मिलित किया जाये, और जैसे-जैसे तथा जितने संसाधन उपलब्ध होते जायें, हम भाग 'ख' की उतनी ही परियोजनायें हाथ में लेते जायें ।

हमने मई के बाद इस सिलसिले में जो भी कार्यवाही की है उसका ब्योरा माननीय सदस्यों को दिये गये दस्तावेज़ में है । केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे नयी परियोजनाओं के सम्बन्ध में , योजना आयोग से पूछे बिना, कोई वचन न दें । इस मूल्यांकन से चालू वर्ष की योजनाओं पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है । साथ ही, योजना आयोग ने अगले

दो वर्षों के संसाधनों में पड़ने वाली २०० करोड़ रुपयों की कमी को कम से कम करने की कोशिश पर सब से ज्यादा जोर दिया है ।

माननीय सदस्यों को दिये गये दस्तावेज में यह भी बताया गया है कि हाल में योजना आयोग और केन्द्रीय मंत्रालयों के बीच जो चर्चायें हुई थीं ; उनमें अतिरिक्त राशियों की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर काफी जोर दिया गया था। लगभग १५० करोड़ रुपयों के अतिरिक्त व्यय की मांग की गई है। योजना आयोग अपनी इसी राय पर जमा हुआ है कि योजना के भाग 'क' पर होने वाले व्यय की सीमा तब तक ४,५०० करोड़ रुपये ही रखी जाये जब तक कि केन्द्र और राज्य सरकारों को अन्य अतिरिक्त संसाधन सुलभ नहीं होते।

फिर भी, योजना आयोग के सामने महत्वपूर्ण औद्योगिक परियोजनाओं की ओर से जो अत्यावश्यक मांगें रखी गई थीं और जो देश के भविष्य के लिये काफी महत्व रखती हैं, उनको देखते हुये, योजना आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि गत मई के दस्तावेज़ में जितना प्रयास करने के लिये कहा गया था, अब उससे कहीं अधिक प्रयास करना जरूरी हो गया है। उस दस्तावेज़ में २४० करोड़ रुपयों की कमी को पूरा करने के लिये कहा गया था, लेकिन अब जरूरत इस बात की है कि ३०० से ३५० करोड़ रुपयों की कमी को पूरा किया जाये। राज्यों को इसमें से लगभग १४० करोड़ रुपयों की कमी पूरी करने के लिये कहा गया है। इस समय योजना आयोग राज्यों के मुख्य मंत्रियों और वित्त मंत्रियों से परामर्श कर रहा है। इन परामर्शों के जो परिणाम निकलेंगे, वे नवम्बर में राष्ट्रीय विकास परिषद् के सामने पेश किये जायेंगे।

मूल्यांकन का सारांश यही है। अब मैं सभा को बताता हूं कि इस बीच में योजना ने क्या प्रगति की है, उस पर कितना व्यय हुआ है, और शेष दो वर्ष की सम्भावनायें क्या हैं।

सबसे पहले कृषि को लीजिये। तीन वर्ष के लिये, 'कृषि तथा सामुदायिक विकास' के लिये ४६ प्रतिशत व्यय की व्यवस्था की गई थी, और १९५६—६१ के लिये निर्धारित व्यय के पुनरीक्षित लक्ष्य, व्यय के मूल लक्ष्य का ९० प्रतिशत होगा।

सिंचाई की छोटी-मोटी परियोजनाओं की मद में तीन वर्ष के लिये ६६ प्रतिशत और पूरे योजना-काल के लिये १४० प्रतिशत; गोदामों, क्रय-विक्रय और सहयोग की मद में ३८ प्रतिशत अभी और ६८ प्रतिशत बाद में, और राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा सामुदायिक विकास की मद में ४३ प्रतिशत तीन वर्ष के लिये और ८५ प्रतिशत पूरे योजना काल के लिये रखा गया है। छोटी-मोटी सिंचाई परियोजनाओं के लिये, इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय विस्तार सेवा और सामुदायिक परियोजनाओं की मद में भी ५५ करोड़ रुपयों की और व्यवस्था की गई है।

कुल उत्पादन की सम्भावित क्षमता योजना के प्रथम वर्ष में १३ लाख टन, द्वितीय वर्ष में २३ लाख टन थी, और इस तृतीय वर्ष में ३० लाख टन है। तीनों वर्षों की कुल सम्भावित उत्पादन क्षमता ६६ लाख टन है। खाद्यान्नों के उत्पादन का मूल लक्ष्य १०० लाख टन था, जिसे अब १५५ लाख टन कर दिया गया है। इसलिये पहले तीन वर्ष में योजना के समूचे लक्ष्य का ४३ प्रतिशत पूरा कर लिया जायेगा। आशा यह है कि द्वितीय योजना के काल की समाप्ति तक कृषीय उत्पादन का समूचा पुनरीक्षित लक्ष्य पूरा कर लिया जायेगा।

सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के मामले में पुनरीक्षण किया गया है और उसके कार्यक्रम की अवधि कई वर्ष बढ़ा दी गई है। अब स्थिति यह है कि पहले तीन वर्ष के काल में लगभग ४१.१ प्रतिशत और योजना के अन्त तक लगभग ६५ प्रतिशत व्यय किया जायेगा।

[श्री नन्दा]

कृषि और सामुदायिक विकास के लिये ५०८ करोड़ की जगह अब ५१० करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई है। इस काल के कृषीय उत्पादन संबंधी कार्यक्रमों के लिये दी जाने वाली राशि भी बढ़ाने की बात सोची जा रही है। उसे १७० करोड़ से २१० करोड़ रुपये किया जायेगा। इसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि अगले दो वर्षों में पहले तीन वर्षों की अपेक्षा अधिक निधियों की आवश्यकता पड़ेगी और इसीलिये जिन स्थानों में जलाशय बन चुके हैं, वहां सहायक नहरों के निर्माण का काम पूरा करने और छोटी सिंचाई की परियोजनाओं के विस्तार के लिये २६ करोड़ रुपयों की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है।

योजना आयोग इस बात पर तुला हुआ है कि जनता का पूरा सहयोग प्राप्त होने पर कृषीय उत्पादन के कार्यक्रम को वित्तीय संसाधनों की कोई कमी न पड़ सके।

सिंचाई और विद्युत के लिये मूल विनियोजन ९१३ करोड़ रुपये का रखा गया था। पहले तीन वर्षों में ४७९ करोड़ रुपये, अर्थात ५२ प्रतिशत व्यय हो चुकेगा। अब पांच वर्षों के लिये पुनरीक्षित प्राक्कलन ८२० करोड़ रुपये, यानी बंटवारे की मूल राशि का ९० प्रतिशत रखा गया है। सिंचाई के क्षेत्र का लक्ष्य मूलतः १२० लाख एकड़ प्राक्कलित किया गया था। इन तीन वर्षों के व्यय और योजनाओं तथा प्रस्तावों को देखते हुये, कहा जा सकता है कि उसका ३२ प्रतिशत पूरा किया जा चुका है और योजना काल के अन्त तक ८७ प्रतिशत लक्ष्य पूरा किया जा सकेगा।

विद्युत के लिये, इन तीन वर्षों के काल में, ३५० लाख किलोवाट विद्युत उत्पादन के समूचे लक्ष्य का २६ प्रतिशत पूरा हो चुकेगा, और योजना-काल के अन्त तक उसका ८२ प्रतिशत पूरा हो जायेगा। सिंचाई के लिये निर्धारित मूल लक्ष्य में कमी इसलिये की गई है कि हमें पर्याप्त मात्रा में इस्पात नहीं मिल पाता। अभी तक सिंचाई की जितनी भी क्षमता पैदा की गई है, उसके उपयोग की पूरी कोशिश की जा रही है।

बड़े और मध्यम दर्जे के उद्योगों पर इन पहले तीन वर्षों में लगभग ६४ प्रतिशत व्यय किया जा चुका है। आशा यह है कि योजना-काल के अन्त तक कुल व्यय में लगभग १४ प्रतिशत वृद्धि हो जायेगी। कई महत्वपूर्ण उद्योग योजना के अपने लक्ष्यों को १०० प्रतिशत पूरा कर दिखायेंगे। कुछ उद्योग तो उससे भी आगे बढ़ जायेंगे।

उद्योगों तथा खनिजों के लिये व्यवस्थित राशि में वृद्धि की गई है। यह वृद्धि रूरकेला, भिलाई और दुर्गापुर के तीन इस्पात कारखानों के लिये पर्याप्त संसाधन जुटाने के लिये किया गया है। इन कारखानों के लिये योजना में जो ३५० करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई थी, वह अपर्याप्त सिद्ध हुई है। इसी प्रकार, सिंदरी उर्वरक और नांगल उर्वरक कारखानों के विस्तार की परियोजनाओं जैसी कुछ अन्य परियोजनाओं के लिये पहले जो व्यवस्था की गई थी वह भी अपर्याप्त सिद्ध हुई। और अभी हाल के मूल्यांकन के आधार पर, उद्योगों के लिये जितनी राशि की मूल व्यवस्था की गई थी, उसे ६१७ करोड़ से बढ़ाकर ८५० करोड़ रुपयों से कुछ अधिक ही करना पड़ेगा। तभी समूचे मूल कार्यक्रम को कार्यान्वित किया जा सकेगा। मूल्यांकन संबंधी दस्तावेज़ में उद्योगों के लिये पुनरीक्षित व्यवस्था ७०५ करोड़ रुपये की की गई थी, लेकिन वह भी अपर्याप्त रहेगी। योजना आयोग इसके बारे में संबंधित मंत्रालयों से बात कर रहा है। भारी मशीनों की परियोजनायें भी हमारे देश के भविष्य के लिये बड़ी महत्वपूर्ण हैं। इसी प्रकार, कच्ची फिल्मों, आयात के लिये लौह अयस्क के निक्षेपों के विकास, आसाम के नाहरखाटिया तेल-क्षेत्र में तेल अनुसंधान की परियोजनायें भी हमारी

अर्थ-व्यवस्था के विकास के लिये बड़ा महत्व रखती हैं। ये परियोजनायें और इस्पात के कारखाने हमारे देश के औद्योगिक ढांचे को दृढ़ बनायेंगे। निर्माण के इस काल में, कुछ तंगी और दबाव तो अनिवार्य है, लेकिन कुछ वर्ष बाद ये परियोजनायें हमारे आर्थिक ढांचे को दृढ़ बना देंगी।

संक्षेप में, औद्योगिक मामलों में हमारे सरकारी क्षेत्र ने काफी संतोषजनक कार्य किया है। उसने पेनीसिलीन जैसी कुछ अत्यावश्यक वस्तुओं के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने में बड़ा योग दिया है। सरकारी क्षेत्र में जिन परियोजनाओं को हाथ में लिया गया था, उनके प्रकार और विदेशी मुद्रा की कठिनाई को देखते हुये, इसमें कुछ विलम्ब होना तो अनिवार्य था ही। हमने विदेशी मुद्रा और आस्थगित अदायगी वाले ऋण जुटाने का भरसक प्रयास किया है। इतना ही नहीं, हमने मूल विनियोजन की योजना को भी ज्यों का त्यों बनाये रखने का प्रयास किया है। यहां यह भी बता दिया जाये कि योजना के अत्यावश्यक भाग में जिन उद्योगों को शामिल किया गया है, उनमें केवल इस्पात के कारखाने, मैसूर आइरन एण्ड स्टील वर्क्स का लौह-सिलिकोन कारखाना, कोयले संबंधी कार्यक्रम और निवेली परियोजना का खनन कार्यक्रम ही शामिल हैं। इन परियोजनाओं के लिये आवश्यक विदेशी मुद्रा जुटा दी गई है और उसके आस्थगित भुगतान पर जोर नहीं दिया गया है, जब कि अन्य सभी परियोजनाओं के मामले में आस्थगित भुगतान की व्यवस्था पर जोर दिया जाता है।

योजना आयोग के दस्तावेज में बताया गया है कि खनिजों के संबंध में अब ८५.५ करोड़ रुपयों की जगह ११० करोड़ रुपयों की आवश्यकता पड़ेगी। उसमें व्यवस्थित राशि को कोयले के लिये २८.४ से ४० करोड़ रुपये, और तेल अनुसंधान के लिये ११.३ करोड़ से २० करोड़ रुपये कर दिया गया है। कोयले के उत्पादन का कुल लक्ष्य ६०० लाख टन रखा गया था, जिसमें अब ३०–४० लाख टन की कमी रह जायेगी।

सामाजिक सेवाओं की मद के लिये व्यवस्थित राशि में कटौती की जा रही है। तीन वर्षों में इस पर कुल व्यय का ३८ प्रतिशत व्यय होगा। योजना में कुल व्यय के लिये व्यवस्थित राशि को अब पुनरीक्षण के बाद उसकी ८६ प्रतिशत ही रहने दी गयी है। अब विभिन्न मदों के लिये की गई मूल व्यवस्था का ८९ प्रतिशत शिक्षा पर, ८९ प्रतिशत स्वास्थ्य पर, ७० प्रतिशत गृह-निर्माण पर, और ८४.४ प्रतिशत अन्य सामाजिक सेवाओं पर रह जायेगा। स्वास्थ्य के संबंध में, हमारा मंशा यह है कि अस्पतालों में मरीजों के पलंगों और डाक्टरों के बारे में जो मूल लक्ष्य निर्धारित किया गया था, वह शत प्रतिशत पूरा किया जाये। हां, गृह-निर्माण मूल लक्ष्य के मुताबिक नहीं हो पायेगा। उस पर जितना व्यय करने की व्यवस्था की गई थी, उसका केवल ६१ प्रतिशत ही व्यय किया जायेगा निसन्देह ही, सभा के बहुत से सदस्य सामाजिक सेवाओं के मूल व्यय में १३५ करोड़ रुपयों की इस कटौती को पसन्द नहीं करेंगे। हम भी इसे पसन्द नहीं करते। सामाजिक सेवाओं की अविलम्बनीयता तो इस काल में और भी बढ़ गई है। वैसे तो मूल योजना में भी इसके लिये पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई थी। इस संबंध में दो चीजें ध्यान में रखनी चाहियें। पहली तो यह कि क्षमता कम होते हुये भी राज्य सरकारों को सामाजिक सेवाओं के व्यय का अधिक भार संभालना पड़ेगा, और केन्द्र को भी उनकी मदद करने की अधिक कोशिश करनी पड़ेगी। केन्द्र की ओर से राज्यों के लिये जो भी संसाधन जुटाये जायेंगे उनको अधिकांशतया कृषि, सिंचाई, विद्युत तथा गांवों और छोटे पैमाने के उद्योगों और सामाजिक सेवाओं संबंधी विशेष कार्यक्रमों पर ही खर्च करना पड़ेगा। दूसरी चीज यह है कि, पहले तीन वर्षों के कुल ३६० करोड़ रुपयों के व्यय की अपेक्षा, अगले दो वर्षों में कुल व्यय ४५० करोड़ रुपये होगा। इस प्रकार, सामाजिक सेवाओं पर होने वाले वार्षिक व्यय का औसत १२० करोड़ से २२५ करोड़ रुपये हो जायेगा, अर्थात्, चालू वर्ष के व्यय के स्तर में ४२ प्रतिशत वृद्धि हो

[श्री नन्दा]

जायेगी। हमने सामाजिक सेवाओं में कम से कम कटौती करने की कोशिश की है। यदि हम उद्योग के क्षेत्र में किये गये अपने वचनों का ध्यान रखते तो सामाजिक सेवाओं के व्यय में और भी कटौती करना जरूरी हो जाता। इसलिये, सामाजिक सेवाओं पर और अधिक बुरा प्रभाव न पड़ने देने के लिये केन्द्र और राज्य सरकारें अतिरिक्त संसाधन जुटाने का भरपूर प्रयास करेंगी।

प्राथमिक शिक्षा के लिये स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या के सम्बन्ध में अब जो पुनरीक्षित लक्ष्य रखा गया है, उसके पूरे होने की आशा है। वह लक्ष्य ११९ प्रतिशत होगा। मिडिल के विद्यार्थियों की संख्या का लक्ष्य १६८ प्रतिशत है और माध्यमिक शिक्षा के विद्यार्थियों की संख्या का लक्ष्य ११७ प्रतिशत रखा गया है। यह तब है जबकि हम उन विद्यार्थियों की संख्या की गणना करें जिनके लिये हमें सुविधायें जुटानी हैं। योजना के शेष काल में प्राविधिक शिक्षा के लिये निर्धारित लक्ष्य पूरे हो जायेंगे। इस क्षेत्र में अभी कितनी सफलता प्राप्त की गई है, उसके आंकड़े दस्तावेज में दिये गये हैं। द्वितीय योजना तैयार करते समय, इंजीनियरिंग कालेजों और पोलीटेकनीक कालेजों की संख्या और उन दोनों में भर्ती किये जाने वाले विद्यार्थियों की अतरिक्त संख्या के लक्ष्य बढ़ा दिये गये थे। बाद में, उनको और भी बढ़ा दिया गया था। द्वितीय योजना में मूल लक्ष्य यह रखा गया था कि योजना काल की समाप्ति के अन्त तक इन में भर्ती होने वाले विद्यार्थियों की संख्या डिग्री और डिप्लोमा पाठयक्रमों के लिये ४७३५ और ९२८६ से बढ़ा कर क्रमशः ५,७४५ और ११,८८६ कर दी जाये। १९५९–६१ के दो वर्षों के लिये प्रस्तावित नयी संस्थाओं की स्थापना की प्रगति में ६ इंजीनियरिंग कालेज और ३२ पोलीटेकनीक कालेज और जुड़ गये हैं। अन्य क्षेत्रों में भी इसी प्रकार प्रगति हुई है।

'परिवहन तथा संचार' की मद के सम्बन्ध में पुनरीक्षित व्यय इस प्रकार रहेगा। रेलवेज के लिये ९६ प्रतिशत, सड़कों और सड़क परिवहन के लिये १०० प्रतिशत, पत्तनों और बन्दरगाहों के लिये ८७.४ प्रतिशत, असैनिक विमान परिवहन के लिये १०५.७ प्रतिशत और डाक तथा तार के लिये ८६.५ प्रतिशत। मैंने व्यय सम्बन्धी आंकड़ों को, मूल आंकड़ों को और प्रत्याशित आंकड़ों को प्रतिशत संख्या के रूप में संक्षिप्त करके आपके सामने इसलिये रखा है कि आप उनमें हो सकने वाले परिवर्तनों को एक सही रूप में देख सकें।

मैंने योजना के अभी तक के और भावी व्यय तथा उसकी प्रगति की भी सही तसवीर आपके सामने रख दी है। अब प्रश्न यह उठता है कि कई मदों के लिये व्यय पूरा नहीं पड़ सकेगा। आप पूछ सकते हैं कि ये कठिनाइयाँ क्यों पैदा हुई और क्या इनसे बचा नहीं जा सकता था और हम भविष्य में उससे बचने के लिये क्या कर रहे हैं।

इस सम्बन्ध में आंतरिक संसाधन ही सबसे महत्वपूर्ण हैं। उनपर ही सारा दारोमदार है। अतिरिक्त करारोपण से प्राप्त राशि का लक्ष्य तो ८५० करोड़ रुपये रखा गया था, लेकिन आंतरिक संसाधनों की स्थिति अब यह है कि नये करों से पाच वर्षों में हमें ९२० करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। यह योजना के लक्ष्य से ७० करोड़ पये अधिक है। इस पर भी, हाल यह है कि वर्तमान संसाधनों से प्राप्त अतिरिक्त राशि की गणना करके देखा गया है कि उसके प्राक्कलन, योजना में किये गये प्राक्कलनों के मुकाबले में, फिर भी ४४१ करोड़ रुपये कम रह जाते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि विकास और विकास के अलावा अन्य मदों पर योजना से बाहर का व्यय काफी बढ़ गया है।

यदि हम इस बात पर विचार करें कि योजना तैयार करते समय कराधान से प्राप्त होने वाले राजस्व में, वृद्धि करने के लिये जितना प्रयास करने की बात सोची गई थी, उसमें कोई कमी तो नहीं हुई है, तो हम कह सकते हैं प्रयास में कहीं भी कोई कमी नहीं हुई है। हमारी इस वर्तमान स्थिति के कारण कुछ और ही हैं। जहां तक केन्द्र का सम्बन्ध है, इन अतिरिक्त संसाधनों से प्राप्त होने वाली जो राशि योजना के लिये रखी गई थी वह बहुत ही कम थी।. सभी जानते हैं कि कुछ राशियां राज्यों को हस्तांतरित कर दी गई थीं, हालांकि उससे समूची स्थिति में कोई परवर्तन नहीं होता। लेकिन, द्वितीय योजना के काल में प्रतिरक्षा व्यय दिन-दिन बढ़ता ही गया है। यदि योजना-काल में हुए प्रतिरक्षा-व्यय को देखा जाये तो योजना बनने के समय अनुमान किये गये प्रतिरक्षा-व्यय से शायद २२५ करोड़ रुपये अधिक बैठेगा। शेष ६२ करोड़ रुपये की वृद्धि का कारण यह है कि असैनिक प्रशासन, कर-संग्रह, खाद्य के सम्बन्ध में दी जाने वाली सहायताओं, इत्यादि की मदों पर अधिक व्यय हुआ है। राज्यों ने भी इस दिशा में काफ़ी प्रयास किया है, लेकिन वह अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच सका। इतना ही नहीं, राज्यों ने जो अतिरिक्त संसाधन जुटाये भी हैं, उनको पूरी तौर पर योजना के लिये नहीं लगाया गया है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष के लिये, योजना के अलावा अन्य विकास सम्बन्धी व्यय का प्राक्कलन २४९ करोड़ रखा गया था, लेकिन १९५८–५९ के लिये जो प्राक्कलन किया गया है वह ३३६ करोड़ रुपये बैठता है, अर्थात् ८७ करोड़ रुपये अधिक। इस वृद्धि का मुख्य कारण यह बताया जाता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, इत्यादि जैसी कुछ मदों पर किये जाने वाले पूर्व-निर्धारित व्यय में वृद्धि हो गई है, और साथ ही कुछ ऐसी योजनाओं को भी निष्पादित किया गया है जो योजना में शामिल नहीं थीं।

योजना से बाहर के विकास सम्बन्धी और विकास के अतिरिक्त अन्य कार्यों पर होने वाले व्यय में योजना के इन तीन वर्षों में, १४७ करोड़ रुपयों की वृद्धि ई है। योजना बनाते समय हमने इस वृद्धि की बात तो सोची थी, लेकिन यह वृद्धि तो उससे कहीं अधिक हुई है।

इन सब से परिणाम यही निकलता है कि इन पांच वर्षों में राज्यों की योजनाओं से बाहर के विकास सम्बन्धी और अन्य कार्यों पर हो वाला व्यय मूल प्राक्कलनों की तुलना में, २२४ करोड़ रुपये अधिक हो जायेगा।

इन तथ्यों से स्पष्ट हो जाता है कि आंतरिक संसाधनों में इतनी अधिक न्यूनता क्यों आ गई है।

अब बाह्य संसाधनों को लीजिये। योजना आयोग ने आज से लगभग छः महीने पहले विदेशी मुद्रा के कोष के बारे में एक विवरण सभा में पेश किया था। माननीय सदस्यों को याद होगा कि १९५५–५६ और १९५६–५७ में भारी परिमाण में आयात होने के कारण ही, योजना को विदेशी मुद्रा की इस कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इतना अधिक आयात होने के कई कारण थे। निजी क्षेत्र में औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिये कच्चे माल और कल-पुर्जों की आवश्यकता बढ़ गई थी। उपभोग वस्तुओं का और अधिक आयात हुआ था और साथ ही उनके मूल्यों तथा वस्तु-भाड़ों में भी वृद्धि हो गई थी। खाद्यान्नों का आयात अनुमान से कहीं अधिक करना पड़ा था। तिरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं में भी

[श्री नन्दा]

वृद्धि हो गई थी। इन सबका फल यह निकला कि हमारे पौण्ड पावने में १९५६–५७ में २२१ करोड़ और १९५७–५८ में २६० करोड़ प ों की और कमी हो गयी। इवना ही नहीं, योजना के पहले ो वर्षों में बाहरी देशों से हमें मिलने वाली सहायता भी योजना के कुल व्यय—१,५०० करोड़ रुपयों के व्यय—की १० प्रतिशत से भी कम रही। सने भी विदेशी मुद्रा की स्थिति का और संकटपूर्ण बना दिया। पिछले कुछ वर्षों में हमारी विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं की ओर अधिक सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया गया है। मार्च, १९५८ तक, हमें प्रथम योजना के लिये प्राप्त सहायता निधि में से बची १३२ करोड़ रुपयों की राशि तो मिली ी। अब हमारी योजना के लिये, १३२ करोड़ रुपयों की उस शेष राशि को मिलाकर, कुल विदेशी सहायता ८५९ करोड़ पयों तक की मिल गई है। इसमें से अमरीका ने लगभग ४०० करोड़ पये दिये हैं, विश्व बैंक ने १३६ करोड़ रुपये, सोवियत संघ ने १२३ करोड़, पश्चिमी जर्मनी ने ७५ करोड़, इंगलैण्ड ने ३५ करोड़ और कोलम्बो योजना ने ४३ करोड़ रुपये दिये हैं। इस विदेशी सहायता ने हमें केवल इसी योग्य नहीं बनाया कि हम अपने आर्थिक विकास के लिये विदेशी मुद्रा व्यय कर सकें, बल्कि इसने हमें योजना के लिये आंतरिक संसाधनों को जुटाने में भी आसानी पैदा कर दी है। फिर भी हमें विदेशी मुद्रा खर्च करने और विदेशी मुद्रा का ऋण लेने में हाथ रोक कर चलना चाहिये।

हमें चालू योजना के अन्तिम वर्ष में, और उसके बाद के कई वर्षों तक, विदेशों के ऋणों की अदायगी में औसत रूप से प्रति वर्ष १०० करोड़ रुपयों के मूल्य की विदेशी मुद्रा देनी पड़ेगी। इसलिये हमें विदेशी मुद्रा के व्यय में सबसे अधिक सावधानी रखनी चाहिये और विदेशी मुद्रा कमाने के संसाधन पैदा करने चाहियें। सरकार इसी दृष्टि से कुछ परियोजनाओं को अत्यावश्यक परियोजनायें घोषित कर रही है। इन अत्यावश्यक परियोजनाओं पर कुल ९६० करोड़ रुपये के मूल्य की विदेशी मुद्रा, यानी एक मोटे तौर पर योजना-काल के सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं पर किये जाने वाले विदेशी मुद्रा के कुल व्यय का दो-तिहाई भाग व्यय किया जायेगा।

अब निजी क्षेत्र के लिये विदेशी मुद्रा का आवंटन १९५७ के आरम्भ से ही बहुत कम कर दिया गया है। विदेशी मुद्रा के मामले में, अब अर्थ-व्यवस्था को स्वस्थ बनाये रखने के काम को ही प्राथमिकता दी जाती है। दूसरे शब्दों में, कच्चे माल, कल-पूर्जों, इत्यादि की वर्तमान उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा करने को ही प्राथमिकता दी जाती है। पूंजी-गत वस्तुओं के आयात के लिये विदेशी मुद्रा के उपयोग की अनुमति केवल उन मामलों में दी जाती है जो दीर्घकालीन ऋणों या आस्थगित भुगतान के समझौतों के अन्तर्गत आते हों और जिन मामलों में अधिकांश विदेशी मुद्रा पहले से ही सुलभ बना दी गई हो और उनमें से कुछ उपकरण उन परियोजनाओं को सम्पन्न करने के सिलसिले में जरूरी हों जिन परियोजनाओं से थोड़े ही समय में विदेशी मुद्रा की बचत या उसकी कमाई की गुंजाइश हो।

मैंने सभा के सामने सारी स्थिति रख दी है। मैंने वह परिस्थितियां भी बता दी हैं जिनके कारण मूल्यांकन जरूरी हो गया था। इसके सम्बन्ध में उठ सकने वाले श्नों का भी मैंने उल्लेख कर दिया है। मुख्य समस्या यह है कि हमने अपने औद्योगिक विकास की

गति तो इतनी बढ़ा ली है कि उसमें हमारे पूंजी के सारे संसाधन खप जाते हैं, लेकिन हम अभी तक मआत्मनिर्भर बनने की मंजिल से कोसों दूर हैं। खरी बात तो यह है कि हम अपने संसाधनों के लिये अभी घाटे की अर्थ-व्यवस्था और विदेशी सहायता के ही आश्रित हैं।

इस योजना को तैयार करते समय हमने जिस स्थिति की कल्पना की थी वह यह थी कि योजना के लिये अपेक्षित ४,८०० करोड़ रुपयों में से, ५८.३ प्रतिशत राजस्व से, १६.७ प्रतिशत विदेशों की सहायता से, और २५ प्रतिशत घाटे की अर्थ-व्यवस्था से प्राप्त होंगे। लेकिन, अब योजना के लिये अपेक्षित ४,५०० करोड़ रुपयों में से ५० प्रतिशत राजस्व से, २३ प्रतिशत विदेशी सहायता से और २७ प्रतिशत घाटे की अर्थ-व्यवस्था से जुटाये जायेंगे। इसका मतलब यह है कि विदेशी सहायता और घाटे की अर्थ-व्यवस्था पर अब हम अपेक्षाकृत अधिक निर्भर रहेंगे।

अब इस समय द्वितीय पंजवर्षीय योजना की पूरी तसवीर हमारे सामने है। देश और विदेशों में भी लोग कहते हैं कि हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना बड़ी महत्वपूर्ण है, हमारे संसाधनों और हमारी क्षमता से कहीं अधिक है। लेकिन वे सभी लोग यह बात जरूर मानते हैं कि हमारे देश में रहन सहन का स्तर बहुत ही ज्यादा नीचा है। बेकारी और ग़रीबी की बात भी वे लोग जानते हैं। उनको यह भी पता है कि हमारे देश की आबादी प्रतिवर्ष १.५ प्रतिशत बढ़ती जा रही है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रति व्यक्ति आय में १८ प्रतिशत वृद्धि करने, यानी उसे २८१ से ३३० रुपये करने की बात कही गई है। केवल यही हमारी एक महत्वाकांक्षा है। अपने देश की प्रति व्यक्ति आय को दोगुनी करने के लिये हमें पांच पंचवर्षीय योजनाओं तक, १९७६ तक रुकना पड़ेगा। आज हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय के मुकाबले, अमरीका में ३६ गुनी, इंगलैण्ड में १६ गुनी और जापान में लगभग ४ गुनी प्रति व्यक्ति आय है। हमारे देश की आबादी प्रति वर्ष १.५ प्रतिशत बढ़ती ही जा रही है, साथ ही हमारे देश का शहरीकरण भी अधिक तेजी से होता जा रहा है, प्रति वर्ष २.४ प्रतिशत की गति से।

हमें यह बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिये कि प्रश्न केवल जनसंख्या की वृद्धि का ही नहीं है, प्रश्न यह है कि जनसंख्या में जितनी ही वृद्धि होती जायेगी, हमें उतने ही अधिक लोगों के लिये शिक्षा, मकानों, परिवहन, रोज़गार, इत्यादि की व्यवस्था करनी पड़ेगी। उन सभी के लिये इतनी सुविधायें तो जुटानी ही पड़ेंगी कि उन्हें असंतोष न हो। इसीलिये अधिक जनसंख्या के लिये इन सामाजिक सेवाओं को सक्षम बनाने में और अधिक संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी। इस दृष्टि से, योजना के लिये निर्धारित व्यय को बहुत अधिक नहीं कहा जा सकता। वास्तव में वह बहुत ही कम है।

योजना के आकार का दूसरा पहलू विदेशी मुद्रा का है। हमारी योजना ही इस प्रकार की है कि उसके लिये विदेशी मुद्रा इतनी महत्वपूर्ण है। इस पर कुछ लोग कहते हैं कि योजना का ढांचा ही बदल दो, भारी उद्योगों के निर्माण और पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन पर इतना अधिक जोर ही मत दो। लेकिन इसका नतीजा तो यह होगा कि हमें और भी अधिक समय तक विदेशों पर निर्भर रहना पड़ेगा। हम और अधिक काल तक विदेशी मुद्रा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं बन सकेंगे। हम यह नहीं चाहते। विदेशी सहायता पर हमें अधिक दिनों तक निर्भर न रहना पड़े, इसीलिये हम अपने देश में भारी उद्योगों का यथासम्भव

[श्री नन्दा]

अधिक से अधिक विकास कर लेना चाहते हैं। कुछ अन्य देशों को अपने देशों का विकास करने की योजनाओं में बड़ी सफलता मिल रही है। फिर, हमारे देश में किस चीज की कमी है? लोकतांत्रिक सामाजिक व्यवस्था में विकास और आर्थिक उन्नति कर दिखाने के लिये हमारे देश को एक चुनौती सी दी गई है। क्या हम उसे सम्पन्न नहीं कर सकते? हमें इसी प्रश्न का उत्तर देना है। मेरा अपना विश्वास है कि लोकतांत्रिक देश में जनता को सक्रिया बना कर किसी भी अन्य देश की सफलता के बराबर ही सफलता प्राप्त करके दिखाई जा सकती है। हमें इस सम्बन्ध में काफी सोच-विचार करना पड़ेगा, क्योंकि यथार्थ तो यह है कि हम अभी तक इतनी प्रगति नहीं कर पाये हैं कि अपने देश में बेरोजगारी और रहन-सहन के नीचे स्तर इत्यादि की समस्यायें हल कर सकें। हमें सबसे ज्यादा ध्यान किन चीजों पर देना चाहिये? मैं आपको संक्षेप में बताता हूं। इसके दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। एक तो यह कि........

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री अपना भाषण कल जारी रखें। अब सभा स्थगित होती है।

इसके पश्चात्, लोक-सभा गुरुवार, १८ सितम्बर, १९५८, के ग्यारह बजे तक के के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[बुधवार, १७ सितम्बर, १९५८]

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	३३०३—३३३१
तारांकित प्रश्न संख्या		
१३०६	चिलियन नाइट्रेट का आयात	३३०३—३३०५
१३०७	डालमिया दादरी सीमेन्ट लिमिटेड	३३०६—३३०७
१३०८	यूरोपीय सामान्य विपणि योजना	३३०७—३३०८
१३०९	इमारती सामान	३३०८—३३०९
१३१०	भारत का राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड	३३०९—३३१२
१३१२	छंगालाल टेक्सटाइल मिल्ज (प्राइवेट) लिमिटेड, चालीसगांव	३३१२
१३१५	नये नमूने का चर्खा	३३१३
१३१६	जापान को लौह अयस्क का निर्यात	३३१३—३३१६
१३१७	अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन	३३१६—३३१९
१३२१	अणु शक्ति केन्द्र	३३१९—३३२०
१३२२	अनधिकृत भवन निर्माण	३३२०—३३२१
१३२३	बर्मा में भारतीय	३३२१—३३२२
१३२४	सोलहवां भारतीय श्रम सम्मेलन	३३२२—३३२३
१३२५	इराक के साथ चाय का व्यापार	३३२३—३३२४
१३२६	जाली पारपत्र	३३२५—३३२६
१३२७	नैरोबी में भारतीय आयुक्त	३३२६
१३२८	इराक को भारतीय राजदूत	३३२७
१३३०	कानपुर के कपड़ा मिल श्रमिकों का अस्थायी रूप से काम से हटाया जाना	३३२७—३३२९
अल्प सूचना प्रश्न संख्या		
१४	पाकिस्तानियों द्वारा सीमा का अतिक्रमण	३३३०—३३३१

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के लिखित उत्तर . . .	३३३१–३३७६
तारांकित प्रश्न संख्या		
१३११	लघु उद्योग सेवा संस्था, दिल्ली . . .	३३३१
१३१३	खेलकूद सामान उद्योग . . .	३३३२
१३१४	खाद्यान्नों की कीमतों में वृद्धि . . .	३३३२
१३१८	क्रय परामर्शदात्री समिति की बैठक . .	३३३३
१३१९	त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्ति . .	३३३३
१३२०	खादी उद्योग	३३३३
१३२९	छोटे पैमाने के उद्योग . .	३३३३–३३३४
१३३१	पंजाब में छोटे पैमाने के औद्योगिक एकक . . .	३३३४
१३३२	केरल में विकिरण का खतरा	३३३४
१३३३	ब्रिटेन में जातिभेद सम्बन्धी उपद्रव . . .	३३३५
१३३४	पंजाब में सिलाई की मशीनों का उद्योग . . .	३३३५
१३३५	बेल्जियम को तम्बाकू का निर्यात . . .	३३३५–३३३६
१३३६	तिलहन पर निर्यात शुल्क . . .	३३३६
१३३७	स्थानीय विकास निर्माण कार्य . .	३३३६
१३३८	दिल्ली में अधोभूमि जल स्तर . .	३३३७
१३३९	भविष्य निधि में कर्मचारियों का अंशदान .	३३३७
१३४०	खादी और ग्रामोद्योग भवन .	३३३७
१३४१	ट्रकों का निर्माण . . .	३३३८
१३४२	काम दिलाऊ दफ्तर . . .	३३३८
१३४३	लौह अयस्क का निर्यात . .	३३३८–३३३९
१३४४	बिजली के सामान का विक्रय .	३३३९
१३४५	चाय निर्यात . .	३३३९
१३४६	सोलहवां भारतीय श्रम सम्मेलन . . .	३३३९–३३४०
१३४७	लम्बे रेशे वाली कपास	३३४०
१३४८	नर्सिंग गिरजी मैनुफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, शोलापुर .	३३४०–३३४१
१३४९	नारियल जटा उत्पादों के लिये नियम . . .	३३४१

प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
२१७७	लौंग और इलायची का निर्यात . . .	३३४१
२१७८	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (प्राइवेट) लिमिटेड	३३४१–३३४२
२१७९	चलचित्र निर्माण	३३४२
२१८०	चर्म रोगों सम्बन्धी प्रलेखीय चलचित्र . . .	३३४२–३३४३
२१८१	कलकत्ता में पत्तन में माल लादने और उतारने वाले श्रमिकों को भत्ते	३३४३
२१८२	उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण . .	३३४३
२१८३	दिल्ली और कटक रेडियो ट्रांसमीटर	३३४४
२१८४	श्रीनगर और भोपाल में प्रसारण स्टूडियो . . .	३३४४
२१८५	भारत स्टोर विभाग, लन्दन और भारत सप्लाई मिशन, वाशिंगटन	३३४५
२१८६	चाय बोर्ड . .	३३४५–३३४६
२१८७	फिल्मों का आयात . . .	३३४६
२१८८	दुग्ध खाद्य तथा दुग्ध उत्पादों का आयात . .	३३४६–३३४७
२१८९	खालों का निर्यात . .	३३४७–३३४८
२१९०	खालों और गोश्त का निर्यात	३३४८
२१९१	जीवित पशुओं का निर्यात . .	३३४८
२१९२	भारत का निर्यात व्यापार	३३४९
२१९३	गुआर की कीमतें . .	३३४९
२१९४	जुआर-गोंद का निर्यात . .	३३४९–३३५०
२१९५	खालें	३३५०
२१९६	भारत सेवक समाज .	३३५०
२१९७	आंध्र प्रदेश में हथकरघा उद्योग . . .	३३५१
२१९८	राजस्थान को लोहे की चादरों और सीमेंट का दिया जाना	३३५१
२१९९	राजस्थान में केन्द्रीय योजनायें .	३३५१
२२००	कर्मचारी राज्य बीमा योजना . .	३३५२
२२०१	विदेशों को भारतीयों का आप्रवास . . .	३३५२
२२०२	द्वितीय पंचवर्षीय योजना . . .	३३५२–३३५३
२२०३	पंजीबद्ध समवाय .	३३५३
२२०४	सीमेंट कारखाने . . .	३३५३
२२०५	मज़दूरों का व्यथाओं का निवारण करने की प्रक्रिया .	३३५४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
२२०६	बर्मा भू-राष्ट्रीयकरण अधिनियम	३३५४
२२०७	दस्तकारी का विकास	३३५४
२२०८	गोआ-बम्बई स्टीमर सेवा	३३५४–३३५५
२२०९	भारत का राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड	३३५५
२२१०	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग	३३५५
२२११	विस्थापित व्यक्तियों को आवंटन	३३५५–३३५६
२२१२	जूट के माल का निर्यात	३३५६
२२१३	अफगानिस्तान के साथ व्यापार	३३५६
२२१४	कच्ची फिल्मों का आयात	३३५६
२२१५	पंजाब में अम्बर चर्खा कार्यक्रम	३३५७
२२१६	जेलों में अम्बर चर्खा प्रारम्भ करना	३३५७
२२१७	पंजाब को सीमेंट का कोटा	३३५७–३३५८
२२१८	पंजाब में हथकरघा सहकारी समितियां	३३५८
२२१९	महा अभिरक्षक, दिल्ली	३३५८
२२२०	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के बिजली उपविभाग	३३५८–३३५९
२२२१	औद्योगिक विकास	३३५९
२२२२	सूत का वितरण	३३५९
२२२३	पंजाब में छोटे पैमाने के उद्योग	३३६०
२२२४	रूस को कृषि वस्तुओं का निर्यात	३३६०
२२२५	पाकिस्तानियों द्वारा पकड़ कर ले जाये गये भारतीय कर्मचारी	३३६०–३३६१
२२२६	टाटा मर्सडीज़ बेंज ट्रक	३३६१
२२२७	खादी ग्रामोद्योग भवन	३३६१–३३६२
२२२८	ट्रेक्टरों और बुलडोज़रों का आयात	३३६२
२२२९	पश्चिमी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्ति	३३६२–३३६३
२२३०	पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित परिवार	३३६३
२२३१	विस्थापित व्यक्तियों को प्रतिकर	३३६३–३३६४
२२३२	उत्तर प्रदेश को केन्द्रीय सहायता	३३६४
२२३३	राज्यों की योजनायें	३३६४
२२३४	अम्बर चर्खा शिक्षार्थियों को वृत्ति	३३६५

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२२३५	"टेन कमाण्डमेंट्स" नामक फिल्म	३३६५—३३६६
२२३६	कार्यालयों का स्थानान्तरण	३३६६
२२३७	"बड़ा होती"	३३६६
२२३८	गवेषणा तथा निर्देश विभाग	३३६७
२२३९	हिमाचल प्रदेश में पंजीबद्ध समवाय	३३६७
२२४०	सीमान्त घटनायें	३३६७—३३६८
२२४१	विदेश सेवा निरीक्षक	३३६८
२२४२	इंग्लिस्तान स्थित उच्च आयोग में भारतीय कर्मचारी	३३६८
२२४३	पंजाब में कुटीर उद्योग	३३६८—३३६९
२२४४	त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों को बसाने के लिये भूमि	३३६९
२२४५	त्रिपुरा के शिविरों में विस्थापित व्यक्ति	३३६९—३३७०
२२४६	भारतीय हरी चाय प्रतिनिधिमण्डल	३३७०
२२४७	वैदेशिक कार्य मंत्रालय के कर्मचारी	३३७१
२२४८	सूचना और प्रसारण मंत्रालय के कर्मचारी	३३७१
२२४९	निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय के कर्मचारी	३३७१
२२५०	सिलाई की मशीनों का निर्यात	३३७१—३३७२
२२५१	भारतीय फिल्में	३३७२
२२५२	पत्तनों के माल लादने-उतारने वाले श्रमिकों की दैनिक मजूरी	३३७३
२२५३	पत्तनों के माल लादने-उतारने वाले श्रमिक	३३७४—३३७५
२२५४	दिल्ली में वृक्ष	३३७५—३३७६
२२५५	पंजाब के काम दिलाऊ दफ्तर	३३७६
२२५६	पाकिस्तान के तीर्थ यात्री	३३७६
२२५७	अमृतसर की मिलों में कपड़े का स्टाक	३३७६
२२५८	उड़ीसा में लौह और मैंगनीज अयस्क की खानें	३३७७
२२५९	मालेगांव (बम्बई) की औद्योगिक बस्ती	३३७७
२२६०	विदेशों से लौटा भेजे गये भारतीय	३३७७—३३७८
२२६१	विकास कार्य	३३७८
२२६२	क्वार्टरों का दिया जाना	३३७८—३३७९
२२६३	भारत का राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड	३३७९

विषय	पृष्ठ
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	३२८०–३३८१
निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गये :—	
(१) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ५ के अन्तर्गत निकाली गई दिनांक ३० अगस्त, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७४८ की एक प्रति ।	
(२) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, १९४८ की धारा ३६ के अन्तर्गत वर्ष १९५७–५८ के लिये कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति ।	
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित	३३८१
सत्ताईसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।	
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	३३८१
श्री प्र० के० देव ने उड़ीसा राज्य के कालाहांडी जिले में हैजे के प्रकोप की ओर स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान दिलाया । स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) ने उस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।	
विधेयक पुरःस्थापित	
विष (संशोधन) विधेयक, १९५८	३३८१–३३८२
विधेयक पारित	३३८२–३४१६
वाणिज्यिक नौवहन विधेयक, १९५८ पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, खण्डवार विचार हुआ और उसके पश्चात् विधेयक संशोधित रूप में पारित किया गया ।	
द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मूल्यांकन तथा उसकी संभावनाओं के बारे में प्रस्ताव	३४१६–३४१८
श्रम और रोज़गार तथा योजना मंत्री (श्री गुलजारी लाल नन्दा) ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मूल्यांकन तथा उसकी संभावनाओं के बारे में योजना आयोग के ज्ञापन पर, जो ८ मई, १९५८ को सभा पटल पर रखा गया था, विचार किया जाये । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।	
गुरुवार, १८ सितम्बर, १९५८ के लिये कार्यावलि	
द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मूल्यांकन तथा उसकी संभावनाओं के बारे में प्रस्ताव पर आगे और चर्चा ।	